खण्ड-282, अंक-7
बुधवार, 23 वैशाख, शक संवत् 1892
(13 मई, 1970 ई0)

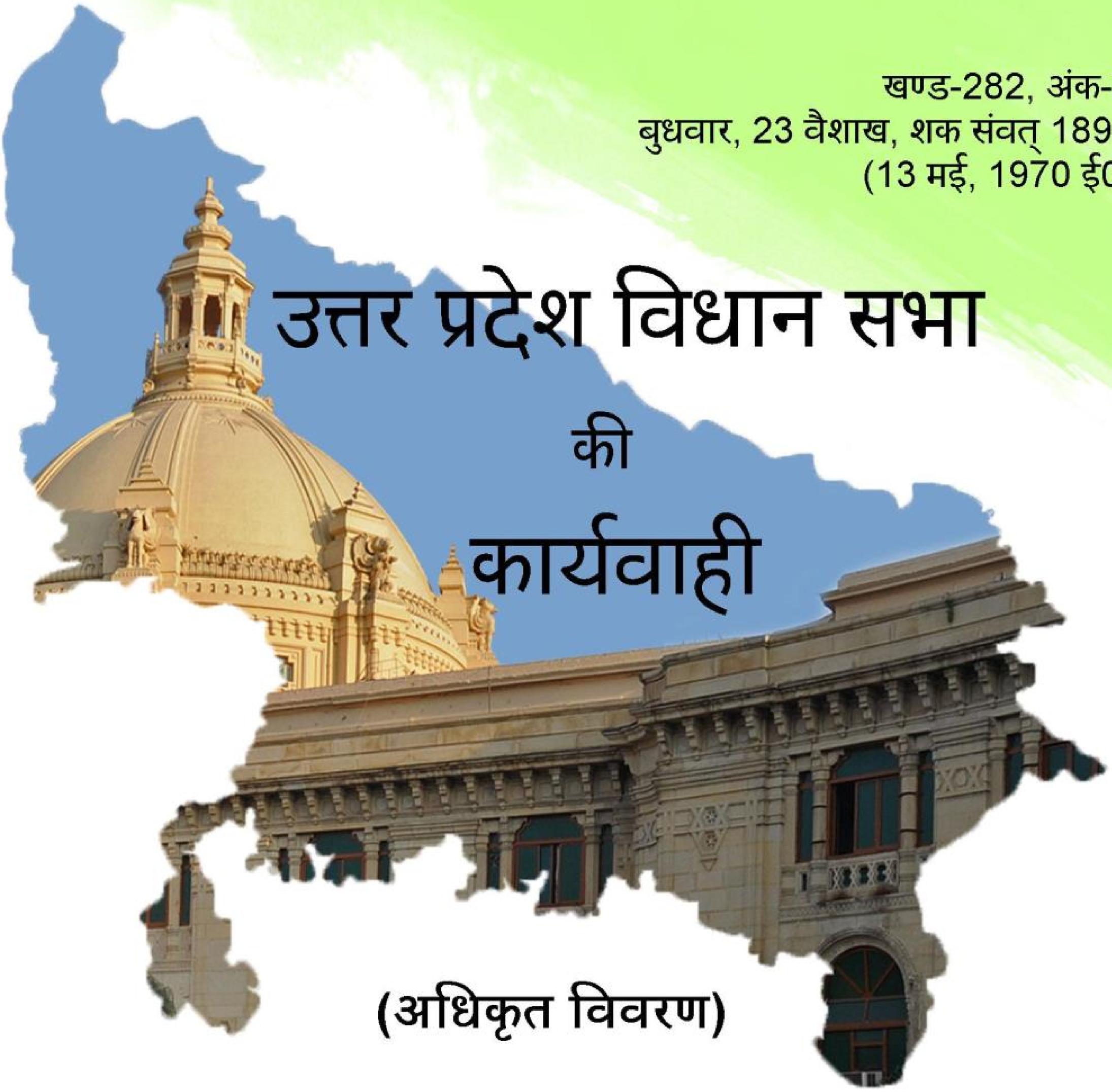

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७५७–७६०
प्रश्नोत्तर	७६१–८०४
लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षायें अनिश्चित काल तक स्थगित होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग	८०४–८०६
अमरीकी प्रेसीडेन्ट श्री निक्सन की कम्बोडिया पर आक्रामक नीति का विरोध करने के संबंध में संकल्प की सूचना (अनुमति नहीं दी गई) ..	८०६–८०७
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (संशोधित रूप में स्वीकृत) ..	८०७–८०९
६ अगस्त, १९६९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर का शोधन ..	८०९
मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में खोया, क्रीम व खोये की मिठाई पर पाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	८०९–८१२
१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	८१२–८४७
लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षायें अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	८४७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	८४७–८५०
१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	८५०–८५८
लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के स्थगन के संबंध में वक्तव्य ..	८५८–८६४
नत्थियां	८६५–८६९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १३ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१०

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
काजी मसूद, श्री
कुसदिया बेगम (बेगम एजाज रसूल), श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन वन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नारायणदास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराजसिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)

भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरमसिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री

लालसा, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम , श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथसिंह, श्री
श्याम किशोर , डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सजीवन लाल, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार १३ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री के० बी० शुक्ल की नियुक्ति पर आपत्ति

**१—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद), श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद), श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद), श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं), श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री राम करन (जिला गोरखपुर) तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री के० वी० शुक्ला जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये थे उनकी नियुक्ति सरकार ने सेवायोजित कार्यालय में अभी उच्च वेतन देकर किया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस पद पर जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उनकी पद-अवनति किस आधार पर की गई ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

श्री के० वी० शुक्ला के विरुद्ध गम्भीर आरोप उच्च न्यायालय द्वारा लगाया जाना शासन की नोटिस में नहीं है ।

यह सही नहीं है कि सरकार ने श्री के० वी० शुक्ला की नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय अथवा प्रशिक्षण एवं सेवानियोजन निदेशालय में उच्च वेतन देकर की हो ।

उपरोक्त उत्तर की दृष्टि में बाकी प्रश्न अर्थहीन है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री के ०वी०शुक्ला के खिलाफ विजीलेन्स इंक्वायरी हो रही है और सीनियर टैक्नीकल आफीसर के पद पर जो उनकी नियुक्ति की गयी थी उसको माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया ?

श्री रामंगल पाडेय—

श्रीमन्, हाईकोर्ट ने उम्र की बिना पर उनका एपाइंटमेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ था, गैर कानूनी करार दिया था, यह सही है । लेकिन उनकी रिव्यू एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि वह आदेश भ्रमवश हुआ था—मिसप्रिन्ट की वजह से । यहां से नोटीफिकेशन २१ वर्ष का हुआ था लेकिन उसमें २५ था । तो उनकी रिव्यू एप्लीकेशन एलाउ हो गयी थी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या उनके खिलाफ विजीलेन्स इंक्वायरी नं० ५९/६८ चल रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां, एक विजीलेन्स इंक्वायरी चल रही थी जिसकी रिपोर्ट भी मेरे पास आ गयी है । उनके खिलाफ कोई भी चार्जेज प्रूव नहीं होते ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी का ध्यान हाई कोर्ट ने जस्टिस एस० प्रसाद के २२ मई, १९६८ के जजमेन्ट की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है—

"It is thus clear that he does not possess any of the qualifications specifically mentioned in the advertisement and thus the question is if the qualification possessed by opposite party no. 4 can be held to be an equivalent qualification.

इससे स्पष्ट है कि उनकी वह क्वालिफिकेशंस नहीं हैं जिनका एडवरटाइजमेन्ट में जिक्र किया गया है। तो मंत्री जी इस पर कोई विचार करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, मैंने पहले ही बताया कि उसी हाईकोर्ट ने रिव्यू एप्लीकेशन पर यह बात कही कि जो २५ वर्ष की उम्र थी जिसकी बिनाह पर डिस्क्वालिफाई किया था, वह २५ नहीं [२१ थी, और उसी हाईकोर्ट ने रिव्यू एप्लीकेशन को एलाउ किया।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसी पद के लिये मेजर निगम की नियुक्ति के आदेश दिये थे उनको क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया और दूसरे आदेश क्यों दिये गये ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, उनको ज्वाइंट डाइरेक्टर के पद पर कार्य करने का कोई आदेश कभी नहीं दिया गया। आदेश केवल इतना ही था—

"The work be looked after by Major Nigam until further orders.

श्री रामपूजन पटेल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री शुक्ला इस समय किस पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

प्रधानाचार्य, आई० टी० आई०, इलाहाबाद के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पद पर इस समय कौन काम कर रहा है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

वह पद खाली हैं। विजिलेन्स इन्क्वायरी का काम पूरा हो गया है। ये के० वी० शुक्ल ज्येष्ठतम आदमी हैं। इन्क्वायरी के बाद तय किया जायगा कि किसको दिया जाय। वह पद खाली है। दूसरे लोग उस कार्य को इस समय देख रहे हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आर्मी से आये हुये अफसरों को ५० प्रतिशत नियुक्त किया गया है और उसमें मेजर निगम १० माह से उस पद पर काम कर रहे हैं ? भूतपूर्व श्रममन्त्री नारायण दत्त तिवारी ने जो आदेश दिया था उस आदेश को रद्द करके आदमी की नियुक्ति की है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इन्कार कर दिया है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि के० वी० शुक्ल जी के लिये आदेश ज्वाइन्ट डाइरेक्टर के पद पर माननीय मन्त्री जी ने कर दिया था परन्तु उसको मुख्य मंत्री जी ने रद्द कर दिया है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

केवल सुझाव दिया गया था। उसमें आदेश देने के पहले मुख्य मंत्री जी का आदेश लेना था कि उस पर नियुक्ति की जाय या नहीं।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेजर निगम सेक्रेटरी निगम के भाई हैं या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं उनका बिलकुल खास रिश्ता तो नहीं बतला सकता हूं लेकिन मेरी इतनी जानकारी है कि उनके कुछ रिश्तेदार हैं।

श्री गंगा प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शुक्ला जी के ऊपर विजिलेन्स कमेटी ने कौन-कौन से आरोप लगाये थे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उसका सारा विवरण तो मेरे पास नहीं है। केवल फाइल देखने से यह मालूम होता है कि विजीलेन्स ने उनको दोषमुक्त कर दिया है।

श्री गंगा प्रसाद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि विजिलेन्स में किस आरोप के आधार पर उनका केस भेजा गया था और वे क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि उनको मालूम नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालय में जो स्थान रिक्त है अब उसकी पूर्ति कब तक की जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

विजिलेन्स की रिपोर्ट आ गई है। उसके पढ़ने के बाद और गौर करने के बाद जो उचित होगा वह जारी किया जायगा।

श्री राम प्यार (जिला मिर्जापुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि के० बी० शुक्ला जिस पद पर पहले काम करते थे उसका वेतन क्रम क्या है और अब जो उनकी नियुक्ति हुई है उसका वेतन क्रम क्या है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

वेतन-क्रमों के बारे में तो विवरण मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन ६०० रुपये का जो सीनियर स्केल है उसे एक ही वेतन-क्रम में यह सब लोग श्री शुक्ल और श्री निगम आते हैं, लेकिन श्री शुक्ल का वेतन करीब ८०० रुपया है और श्री निमग का ६०० रुपया है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर श्री के० सी० निगम की नियुक्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्री के० सी० निगम का स्थान ज्येष्ठता के आधार पर आठवां है और वह अस्थायी हैं और उनकी सर्विस भी अभी केवल साल भर की ही है और इसी कारण से कमीशन से उनका नाम भी नहीं आया। इसलिये उनकी नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(अगले प्रश्न के लिये मंत्री जी को आमंत्रित करने पर)

बहुत से सदस्य एक साथ—

केवल एक प्रश्न और, केवल एक प्रश्न और.....

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्री जायसवाल के प्रश्न में मेरी दिलचस्पी है, वह मुझसे कह गये थे....

श्री अध्यक्ष—

समय रहेगा तो वह बाद में लिया जायगा।

लघु उद्योगों के विकास हेतु योजनायें

**२—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में लघु उद्योगों को फैलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना क्या है, कितनी लागत की है और उससे कितने नये लोगों को रोजगार मिलेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

लघु उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें जिनमें कुल परिव्यय १८ करोड़ रु० का प्रस्तावित है, चतुर्थ योजना में सम्मिलित की गई है। इन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने से अनुमानतः ५०२ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा १,६४,७७२ व्यक्तियों को अप्रयत्क्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

जो धन सरकार स्वयं योजनागत कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय करती है उसके अतिरिक्त अनेक सुविधायें और रियायतें लघु उद्योग के लिये दी जाती हैं जिससे उनको विकास में प्रोत्साहन मिलें।

सहकारिता विभाग के सुपरवाइजरों की मांगें

**३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि अभी अप्रैल, १९७० के अन्तिम सप्ताह में सुपरवाइजर्स का कोई डेपुटेशन उन्हें एक मांग-पत्र लेकर मिला है? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांग क्या हैं? और उनकी पूर्ति के लिये सरकार क्या-क्या करने का विचार रखती है?

सहकारिता राज्य मंत्री (डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता)—

जी हां। उनकी मुख्य मांग यह है कि उनकी सेवाओं का सरकारीकरण किया जाय। मांगों की पूर्ति के विषय में सरकार वर्तमान व्यवस्था में कोई तब्दीली करने का विचार नहीं रखती।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उनकी सेवाओं की सरकारी करण की मांग है, उसमें उनको क्या कठिनाई है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

इसमें सबसे बड़ी रुकावट यह है कि रिजर्व बैंक जिसका कि रुपया प्राविंशियल कोआपरेटिव बैंक द्वारा जिला बैंक को दिया जाता है उसकी वसूली और वापसी की जिम्मेदारी सुपरवाइजर्स की होती है । यदि उनका कंट्रोल सरकार के हाथ में आता है तो उस रुपये के लिये जो कि बैंक ने एडवान्स दिया है उसकी वसूली की जिम्मेदारी उठाने में बैंक गुरेज करेगा । साथ ही दूसरी दिक्कत यह है कि रिजर्व बैंक ने एक डायरेक्शन ऐसा दिया था कि इन सेवाओं को बैंकों के लिये पूरे तौर से स्थानान्तरित कर दिया जाय और थोड़ा सा कंट्रोल पी०सी०यू० का था वह भी समाप्त करके इन सेवाओं को बैंक के अधीन किया गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

उन्होंने बताया कि बैंकों के रुपये की वसूली में इनकी सेवाओं को सरकारी करने से दिक्कत होगी, लेकिन जब टूटी हुई सोसाइटियों से रुपया सरकार वसूल करती है तो फिर चालू सोसाइटियों से वसूली में सरकार को क्या दिक्कत है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

श्रीमन्, रुपये बांटने के काम बैंक करें और वसूली का काम करें तो जो कन्ट्रोल रहना चाहिये रुपया पाते वक्त, उसकी जिम्मेदारी बैंकों पर न रहने के कारण बहुत दिक्कत की सम्भावना है । रिजर्व बैंक का इस किस्म का एक नोट आया और जिसमें इस किस्म की मांग की गयी क्योंकि उनका रुपया होता है, इसलिये उनका डायरेक्शन मानना जरूरी होता है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करने का कष्ट करेंगे कि इन सुपरवाइजर्स की सर्विस को सरकारी कर दिया जाय और उन बैंकों का नियन्त्रण रहे जिस प्रकार से सब-डिप्टी इन्सपैक्टर्स आफ स्कूल सरकारी कर्मचारी होते हैं लेकिन उनका नियन्त्रण जिला परिषदों द्वारा होता है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

इन सुपरवाइजर्स की सबसे बड़ी शिकायत इस वजह से है कि इन लोगों की सर्विस में कोई स्टेबिलिटी नहीं है । इसलिये उनकी इस तरह की मांग है । इस सम्बन्ध में विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि उनकी नौकरी की कंडिशन्स के लिये नियम बनाये जायें और उस पर कुछ कार्यवाही हो रही है । जैसे ही नियम बन जायेंगे, मैं समझता हूं कि उनकी शिकायतें दूर हो जायेंगी ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

जिन सुपरवाइजर्स को बैंक ने लेना स्वीकार कर लिया कि उनको उन्हें दे दिया जाय और सुपरवाइजर्स ने अपनी कन्सैन्ट भी दे दी है कि वे तैयार हैं लेकिन फिर भी उनको सेवा में नही दिया गया, तो उनको रोकने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

अगर माननीय सदस्य इसे लिखवाकर भिजवा देंगे तो मैं उनका समाधान कराने का प्रयास करूंगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उनके पदों को सरकारी कर दिये जांय ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

मैंने पहले ही पढ़ कर सुना दिया है कि मांगों की पूर्ति के विषय में सरकार कोई तब्दीली करने का विचार नही रखती है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इन सुपरवाइजर्स की नियुक्ति कौन अधिकारी करता है ? और कहां से उनको वेतन दिया जाता है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा होती है । इसके पहले पी०सी०यू० के द्वारा होती थी । अब यह काम बैंक को सौंप दिया गया है ।

श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

रजिस्ट्रार कोआपरेटिव और हर क्षेत्र में ए० डी० ओ० गवर्नमेंट सर्विस में हैं । तो क्या इन सुपरवाइजर्स को गवर्नमेंट सर्विस में कर लेने से रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी में क्या कमी हो जायगी ? क्या वे जिम्मेदार नहीं होते हैं ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

सुपरवाइजर्स हमारे सहकारी मूवमेंट के रीढ़ की हड्डी के समान सबसे बड़ी संख्या में हैं और सबसे उपयोगी हैं । प्रदेश में इनकी संख्या ४,५०० है । जैसा मैंने पहले निवेदन किया, बैंकों से जो रुपया दिया जाता है, उनके वितरण की देखभाल भी ये ही करते हैं और उसकी वसूली की देखभाल भी यही करते हैं । बैंकों का जो रुपया है वह रिजर्व बैंक के द्वारा आया है । इसलिये स्वाभाविक है कि वे अपने रुपये की सेफ्टी के लिये इस बात की मांग करें कि वह एजेन्सी जिसके द्वारा रुपये का वितरण होता है वह उन्ही के कन्ट्रोल में रहे जिनका रुपया लग रहा है । इसलिये रिजर्व बैंक ने इस तरह के आदेश दिये हैं ।

उद्योग एवं विकास प्रदर्शनी, मिर्जापुर संबंधी आरोप

**४.—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, (जिला रायबरेली), श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर), श्री राम प्यारे, श्री महरम सिंह तथा श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, १९७० से २८ फरवरी, १९७० तक जो प्रदर्शनी मिर्जापुर में हुई उसके लिये जिलाधीश मिर्जापुर ने जो ७० हजार रुपया चन्दा द्वारा जमा किया उसके लिये क्या राज्य सरकार ने उनको अधिकार दिया था तथा क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जो प्रदर्शनी हुई उसके लिये कलाकारों को लेने के लिये जिले के सरकारी अधिकारी जनवरी, १९७० में बम्बई, इलाहाबाद तथा वाराणसी भी गये ? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से गये तथा कितना यात्रा भत्ता उन्होंने सरकार से चार्ज किया तथा जो मनोरंजन कर प्रदर्शनी में वसूल हुआ वह कितना था तथा कब खजाने में दाखिल हुआ ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

मिर्जापुर में एक उद्योग एवं विकास प्रदर्शनी २७-१-७० से २८-२-७० तक गांधी शताब्दी समारोह के अन्तर्गत आयोजित उद्योग एवं विकास प्रदर्शनी समिति के निर्णयानुसार

की गयी। जिलाधिकारी द्वारा इस प्रदर्शनी के निमित्त कोई चन्दा जमा नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं उठता। कलाकारों को लेने के लिये कोई अधिकारी नहीं गया। कलाकारों से संपर्क स्थापित करने के लिये व्यक्तिगत हैसियत से दो अधिकारी छुट्टी लेकर बम्बई गये तथा एक-एक अधिकारी वाराणसी तथा इलाहाबाद छुट्टी के दिन स्वीकृति लेकर गये। इन अधिकारियों ने कोई यात्रा-भत्ता चार्ज नहीं किया। कुल १,४६५.६० रु० मनोरंजन-कर वसूल हुआ जो कि सब जमा कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें कहीं। पहले तो यह कि कलाकारों को कोई बाम्बे लेने नहीं गया। दोबारा यह कहते हैं कि कलाकारों से सम्पर्क स्थापित करने गये थे। मेरी जानकारी है कि अधिकारी वहां से सायरा बानो और डेजी ईरानी को तय करके ले आये और उन्होंने कला का प्रदर्शन किया। उनका पेमेन्ट कहां से किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

ये जो अधिकारी गये वे अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में गये। अफसर की हैसियत से नहीं गये और इनका पेमेन्ट, जिस गांधी शताब्दी समारोह समिति की ओर से यह प्रदर्शिनी लगाई गई थी, उसी के द्वारा किया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मनोरंजन कर का रुपया तीन दिन के अन्दर जमा हो जाना चाहिये नियमानुसार परन्तु वह बाद में जमा हुआ। मैंने प्रश्न दिया था तो रुपया उसके बाद जमा हुआ। मनोरंजन कर का कितना रुपया जमा हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह रुपया ५६३.२३ पैसे ५ मार्च, १९७० को जमा हुआ और ९०२ रु० ३५ पैसे १८ अप्रैल, १९७० को जमा हुआ। माननीय सदस्य का सवाल हमारे यहां भी करीब ५ मई को हुआ है और ७ मई को यहां आया है।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने कलाकार आये थे और उन्हें क्या-क्या दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी कोई सूचना नहीं है क्योंकि गैर सरकारी लोगों ने इसका इन्तजाम किया।

श्री रामप्यारे—

श्रीमन्, उद्योग प्रदर्शनी जो लगी हुई थी उस प्रदर्शनी का अध्यक्ष कौन था और मंत्री कौन था ? और क्या यह सही नहीं है कि जो कमेटी बनी थी उसके माध्यम से चन्दा इकट्ठा करने के उद्देश्य से रसीदें छापी गई थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो गान्धी शताब्दी समारोह समिति हर जिले में है उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं और इसके मंत्री कमलेश्वर वर्मा, एडवोकेट थे।

श्री रामप्यारे—

क्या इस प्रदर्शनी के लिये कोई चन्दे की रसीदें छापी गई थीं और क्या यह सही बात है कि सिटी मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर के माध्यम से चन्दा इकट्ठा किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो गैर सरकारी मेम्बर थे उन्होंने रसीदें छापी होंगी। हमें उसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री राम प्यारे—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि इस प्रदर्शनी की सारी व्यवस्था जिलाधिकारियों ने की और उन्होंने ही चन्दा इकट्ठा किया, इसकी जांच सी०आई०डी० से करायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो मैं इसकी जानकारी करा लूंगा, इसम सी० आई० डी० से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महरमसिंह—

जब जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष थे तो जो यह चन्दा इकट्ठा हुआ और रसीदें वगैरह छपवायी गयीं वह समिति की स्वीकृति के बिना तो हो नहीं सकती, और जब समिति की स्वीकृति थी तो फिर मंत्री जी कैसे कहते हैं कि जिलाधीश उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह जो गांधी शताब्दी समारोह समिति बनी थी उसके लिये सरकार ने एक सर्कुलर भेजा था जिसमें यह आदेश दिया था कि इस समिति का कार्यक्रम आदि गैर सरकारी व्यक्ति ही करेंगे और वही धन एकत्र करेंगे, इतना जरूर था कि सरकारी अधिकारी भी चन्दा जमा करते थे, लेकिन कोई किसी तरह का बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि गांधी शताब्दी समारोह का चन्दा और उद्योग प्रदर्शनी का चन्दा अलग-अलग जमा हुआ है या एक साथ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री महरमसिंह—

क्या इस बात की जांच करायेंगे कि चन्दे की जो रसीदें बांटी गयी हैं उसके लिये समिति ने जिलाधीश की अध्यक्षता में अपनी स्वीकृति प्रदान की थी या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सारा का सारा कार्यक्रम गैर सरकारी था, जांच क्या करायी जाय।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आपने और प्रश्न नहीं पूछने दिये, इसके लिये मैं नियम ४९ के अन्तर्गत आधा घंटे का समय चाहता हूं।

(कई सदस्य प्रश्न पूछने के लिये समय मांगने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको नियम ४९ के अन्तर्गत आधा घंटा के लिये स्वीकार कर लूंगा, आप कृपया लिख कर मेरे पास भिजवा दें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कलेक्टरगंज, कानपुर का अग्निकांड

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) (अनुपस्थित), श्री सूरज लाल गुप्त, (जिला गोंडा) (अनुपस्थित), श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक १३ अप्रैल, १९७० की रात्रि को दो बजे कानपुर के कलेक्टरगंज गल्ला-मंडी में भयंकर अग्निकान्ड की घटना घटित हुई ? यदि हां, तो उक्त अग्निकांड में कुल कितने रुपये की क्षति हुई तथा घटना के घटित होने का क्या कारण है ?

श्री रामकिंकर—

जी हां । इस अग्निकांड से लगभग ५ लाख रुपये की क्षति हुई । आग आकस्मिक थी तथा एक दूकान में बिजली के तार में शार्ट सर्किट हो जाने से लगी ।

*२—श्री नित्यानन्द स्वामी, (अनुपस्थित) श्री सूरजलाल गुप्त, (अनुपस्थित) श्री प्रेमचन्द्र शर्मा तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम —

क्या सरकार कानपुर के अग्निकांड की न्यायिक जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामकिंकर—

जी नहीं ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आग लगने के कितनी देर बाद वहां पर फायर-ब्रिगेड पहुंचा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रात में यह आग लगी थी और जैसे ही सूचना मिली, उसके थोड़ी ही देर में वहां पर फायर-ब्रिगेड वगैरह पहुंच गया और आग बुझाने का प्रबन्ध हो गया ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इस अग्निकांड में काफी लोगों की क्षति हुई है और काफी लोग बेघरबार हो गये हैं, तो उनको सरकार क्या कोई पुनर्वास-अनुदान देने का विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसी आपदाओं में जो लोग तबाह हो जाते हैं उनको चन्द दिनों के लिये सहायता दी जाती है और वह सहायता दी गई, बाकी लोगों को ऋण आदि दिया जायगा और उसको जिले में प्रबन्ध होगा, जो सामान वगैरह की बात है उसके लिये सप्लाई विभाग को लिख दिया गया है कि इन्हें टीन शीट्स आदि दे दिये जायं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

जो इतनी भयानक आग लगी, उसके मुख्य कारण क्या थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बिजली के तार में शार्ट सर्किट हो जाने से यह आग लगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उनको कितनी सहायता दी गई ? कितने किस्मों को सहायता दी गई ?

श्री रामकिंकर—

मुख्यमंत्री फण्ड से १० हजार रुपये की अहेतुक सहायता दी गई है ५९ परिवारों को और प्रधान मंत्री नें भी यही १० हजार रुपया भेजा है, जो बट रहा है।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि नगरमहापालिका, कानपुर और कलेक्टरगंज मंडी वालों के बीच कोई विवाद चल रहा था ? तो हो सकता है कि नगरमहापालिका की लापरवाही से आग लगी हो, अतः क्या कोई न्यायिक जांच या सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह तो केवल शंका की बात है, ऐसी बात कोई है नहीं।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस अग्निकांड से कुल कितने दुकानदार प्रभावित हुये और कितनी जानें गई ? और जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को क्या मुआवजा दिया गया ?

श्री रामकिंकर—

१५२ परिवार प्रभावित हुए, एक आदमी व एक जानवर (गाय) मरा।

श्री रामकुमार शास्त्री—

इतनी हानि हो जाने के बाद जो सहायता दी गई है वह अपर्याप्त है और खासकर जिसकी जान चली गई है उसके परिवार वालों को किस प्रकार की, कितनी सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

शास्त्री जी स्वयं इस विभाग में रहे हैं, वह इसके नियम जानते हैं, उन्हीं के अनुसार सहायता दी जा सकती है और वह अधिक से अधिक सहायता उन लोगों को देने की कोशिश की जा रही है।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि नियमानुसार सहायता दी जायगी। नियम तो पुराने बने हुए हैं और उनकेमुताबिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, आज कल सब चीजों की कीमत बढ़ गयी है, तो क्या नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सही बात है कि पुराने नियम बने हैं लेकिन उनमें पिछली बाढ़ के समय हमने परिवर्तन कर दिया था, कच्चे मकानों के लिये ज्यादा रुपया दिया था। लेकिन माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सरकार की सामर्थ्य नहीं है कि जो इस तरह की आपदायें आती हैं उनकी पूरी-पूरी-क्षति पूरी कर सके।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कलेक्टरगंज में अक्सर आग लग जाती है, तो क्या महापालिका द्वारा दूकान बनाने की व्यवस्था है, और नहीं है तो करेंगे ?

चतुर्भुज शर्मा—

महापालिका को कहा गया है कि वहां पानी की व्यवस्था रखें, हर जगह और हाइड्रन्टस का इन्तजाम करें जिससे आग न लग सके और पक्की दूकानें बनाने का प्रबन्ध नगरपालिका करे ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक आदमी मर गया है उसके लिए क्या कम्पेंसेशन दिया गया है या विचार किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सूचना मेरे पास नहीं है कि उनको क्या दिया गया ।

श्री राजेंद्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दूकानदारों का एक डेपुटेशन अधिकारी या सरकार को मिला था, यदि मिला था तो क्या मांग थी, उस डेपुटेशन को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

डेपुटेशन जरूर आया था । माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, जो माननीय नेता जनसंघ के हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी । उनकी जो मांग थी कई तरह की थी । मैंने अभी आपसे अर्ज किया सदन के सामने, उन्हें समझा दिया गया, इसमें जो-जो बात हो सकती है, वह उनकी पूरी-पूरी सहायता की जायगी ।

श्री रामचरण—

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अग्निकांड बहुत हुए हैं, लाखों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, हर तहसील हेड क्वार्टर पर एक फायर ब्रिगेड के रखने की कोई व्यवस्था सोच रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य का सुझाव बड़ा सुन्दर है लेकिन सवाल फाइनेंस का है, कम से कम जिले के हेड क्वार्टर्स पर हो जाय यही बड़ी बात है । तहसील पर बाद में देखा जायगा ।

*३-४—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिये गये]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

संडीला तहसील के पिंगरावा गांव में भूमि के पट्टे

*१—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पिंगरावा व जासू, तहसील संडीला, जिला हरदोई में पंचायत की कार्यवाही और सीलिंग ऐक्ट के लागू करने के परिणाम स्वरूप कितनी आराजी निकाली है ?

श्री रामकिंकर—

केवल गांव पिंगरावा में गांव सभा में निहित पट्टे पर दिये जाने योग्य १६ बीघा १८ बिस्वा भूमि थी । ग्राम जासू में ऊसर व रेह होने के कारण पट्टे पर उठाये जाने योग्य भूमि उपलब्ध नहीं थी । उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम क अन्तर्गत इन दोनों ग्रामों में कोई भूमि नहीं निकली ।

*२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

उपर्युक्त जमीन में कितनी आराजी के बाबत पट्टे किये गये और ऐसे पट्टे पाने वालों में कितने पिछड़े व हरिजन जाति के हैं और कितने ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही भूमि है ?

श्री रामकिंकर—

गांव पिंगरावा में उपर्युक्त भूमि के कुल २३ पट्टे हुये थे । इनमें से ४ पट्टेदार हरिजन हैं तथा ३ पिछड़ी जाति के । इनमें से २ हरिजन तथा १ पिछड़ी जाति के व्यक्ति के पास पहले ही से भूमि थी । शेष १६ पट्टे जांच के दौरान अनियमित पाये गये और न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये गये ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

नत्थी (घ) के प्रश्न ७—८ ज्यादा महत्व के हैं । मैं चाहता हूं कि १—२ के स्थान पर इसे ले लिया जाय । मैं आपका ध्यान नियम ३६ की ओर आकर्षित करूंगा "प्रश्नों के घंटे में अध्यक्ष उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रश्न सूचीबद्ध किय गये हों, क्रमानुसार तथा प्रश्नों की प्राथमिकता का यथोचित ध्यान रखते हुये अथवा ऐसी अन्य रीति से पुकारेंगे " ऐसी अन्य रीति में आपको अधिकार है कि कोई सवाल ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

जो अव्यवस्था पैदा करे, और लड़ाई पैदा करें, कि हमारा पहले ले लो, यह चीज उससे उत्पन्न होती है तो मैं कभी नहीं करूंगा । जो क्रम है उसी के हिसाब से लूंगा ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो पट्टे रद्द किये गये उनकी जमीन आज तक हरिजनों को बांटी गयी या नहीं ?

श्री रामकिंकर—

अभी तक नहीं बांटी गयी ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

वह जो सीलिंग से जमीन निकली है वह जमीन कब तक उनको दे दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उद्देश्य यह है कि जून तक वितरित कर दी जाय ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जून तक ग्राम समाज इस भूमि को बांट दें इसके लिये क्या सरकार ने जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि आदेश गये हैं परिषद् की तरफ से और उसने डिटेल्ड प्रोग्राम भेजा है कि ३० जून तक यह सारा काम हो जाना चाहिये ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इस गांव पिंगरावा में ऊसर तथा रेह की जमीन है तो इसको खेती योग्य बनाने के लिए ग्राम समाज ने कोई प्रयास किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बहुत सी जमीन में रेह और ऊसर है और अभी गांव सभा ने कोई योजना उसके लिये नहीं बनाई है ।

मिन्टो पार्क, इलाहाबाद का नाम मदन मोहन मालवीय उद्यान रखने की मांग

*३—श्री रामगोपाल संड (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इलाहाबाद के मिन्टो पार्क का नाम बदल कर मदन मोहन मालवीय उद्यान करने तथा उस स्थान में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भव्य प्रतिमा लगाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

जी नहीं ।

सीतापुर, जिला बांदा में कब्रिस्तान खोदने का कथित आदेश

*४—श्री बुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा सीतापुर, थाना कोतवाली, परगना कर्वी, जिला बांदा के अन्तर्गत आराजी नं० १४३३ मवाजी पर मुसलमानों के पुरातन से कब्रिस्तान को अध्यक्ष, नगरपालिका, चित्रकूट धाम ने खोदने का आदेश दिया है, जिससे वहां बड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

इस भूमि को अध्यक्ष, नगरपालिका, चित्रकूट के आदेश से बराबर किया गया है परन्तु यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग नहीं होती है और न उक्त कार्यवाही से कोई तनावपूर्ण स्थिति ही पैदा हुई है ।

श्री बुर्जन—

क्या यह रेवेन्यू रिकार्ड में कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, १३१४ सेटिलमेंट रिकार्ड में और १३५६ फसली में यह कब्रिस्तान दर्ज है ।

श्री बुर्जन—

इस भूमि को किस उद्देश्य से बराबर किया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जो मेला होता है उसमें सहूलियत हो और बस स्टैंड बनाने के लिए इसे बराबर किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

इस भूमि के संबंध म सिविल कोर्ट से टैम्पोरेरी इंजेक्शन तामील होने के बावजूद भी पुलिस की मदद से उसे हमवार कराया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सिविल कोर्ट ने कोई इंजक्शन नहीं दिया है। दफा ४० का नोटिस दिया है। उसकी मियाद अभी खत्म नहीं हुई है।

श्री गोविन्द सिंह—

जब रेवेन्यू रिकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज है तो वह कैसे कहते हैं कि इसमें कब्रिस्तान नहीं था ?

श्री अतीकुर्रहमान—

३५ साल से कोई दफन नहीं हुआ और न ही यह भूमि ३५ साल से कब्रिस्तान के रूप में काम में लाई जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर ३५ साल से वह स्थान कब्रिस्तान की तरह दर्ज नहीं है तो लेटेस्ट रेवेन्यू रिकार्ड में उसकी स्थिति क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

रिकार्ड में मुटेशन हो चुका है उन्होंने सारी भूमि नगरपालिका को दे दी है।

श्री दुर्जन—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि उस भूमि को खोदे जाने के विरोध में वहां की जनता ने एक आवेदन-पत्र नगरपालिका को दिया है उस पर सुनवाई नहीं हुई है और वहां की जनता ने प्रदर्शन भी किया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह स्थान सर्वे रिकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज है तो उसको खत्म करने के लिये कैसे उनका आदेश हुआ था और पटवारियों ने बेनमानी करके उसे खत्म कर दिया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इसमें एक बार मुकदमेबाजी हो चुकी है। सिविल कोर्ट में भी मामला गया था। अब वह नगरपालिका में पहुंचा है। उसमें कार्यवाही हो रही है।

अजीजगंज, शाहजहांपुर को गर्रा नदी की बाढ़ से क्षति

*५.—श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के अजीजगंज मुहल्ले को गर्रा नदी की बाढ़ से गत वर्ष बड़ी क्षति हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर बरसात से पहले कोई बांध बनवाने की व्यवस्था करेगी जिससे नगर में बाढ़ का पानी न घुस सके ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री जगरनाथ)—

प्रथम भाग—जी, जहां कई दिन तक अधिक वर्षा होने और उसके पश्चात् नानक सागर डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गर्रा नदी में अधिक बाढ़ आ जाने से यह क्षति हुई।

दूसरा भाग—ऐसी असाधारण व केवल कभी-कभार घटित होने वाली स्थिति के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री उमाशंकर शुक्ला—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नानकसागर डैम से पानी छोड़ने की सूचना जिला अधिकारियों को दी गई थी ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेंद्र वर्मा)—

मान्यवर, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उमाशंकर शुक्ला—

क्या इस संबंध में सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि उन्हें समय पर सूचना नहीं मिली ? वहां के जिलाधीश महोदय ने भी मुझे यही सूचना दी। क्या माननीय मंत्री महोदय ने इस संबंध को जांच करवाई है और यदि करवाई गई है और जिन अधिकारियों की गलती पाई गई है उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मान्यवर सन् ६७ में नानक सागर बांध टूटा था। उसके संबंध में जांच हुई थी। उसमें बहुत से अधिकारियों को दोषी पाया गया था। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सन् ६९ की जो बात माननीय सदस्य करते हैं उसकी न तो कोई शिकायत माननीय सदस्य ने दी और न फाइल में कोई ऐसी बात मौजूद है।

श्री उमाशंकर शुक्ला—

मान्यवर, लिखित शिकायतें भी आई है। मंत्री जी कृपया इसे अपने दफ्तर में दिखा लें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह बांध टूटा था तो इसकी जांच हेतु सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह रिपोर्ट तो बहुत पुरानी है। आप सिर्फ सवाल पूछें।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी को शाहजहांपुर के जिला अधिकारियों से कुछ सुझाव प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो सरकार ने उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

माननीय सदस्य कृपया बता दें कि वे सुझाव किस संबंध में थे।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

मैं यह जानना चाहता हूं कि नानक सागर गांध के टूटने के संबंध में एक कमेटी बिठाई गई थी और उस कमेटी ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये थे कि यह बांध कैसे टूटा। तो इन सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

गर्रा नदी में बाढ़ आने के संबंध में यह प्रश्न था, अब उस संबंध में १९६७ में जो नानक सागर बांध टूटा था, उस सिलसिले में क्या हुआ, यह तो अलहदा प्रश्न है। उसका मैं इस समय कैसे जवाब दे सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

गर्रा नदी में जो बाढ़ आयी थी वह नानकसागर बांध के टूटने पर ही तो आयी थी। पिछले कागजात माननीय मंत्री जी मंगा कर देख लें।

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

श्री कृष्ण स्वरूप—

१९६७ में नानक सागर बांध टूटा और फिर ६९ में जो गर्रा नदी में बाढ़ आयी, इसकी पूर्व सूचना श्री उमाशंकर शुक्ला, सदस्य, विधान सभा ने दी थी, उसके बाद क्या प्रबंध किया गया ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने यह बताया कि यह बात सही है कि नानक सागर में ५० हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। इस सिलसिले में माननीय सदस्य ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया और न इसकी सूचना हमें मिली।

कासगंज तहसील में सोरों तथा सहावर ब्लाक में नलकूप

*६—श्री सियाराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा तहसील कासगंज के सोरों तथा सहावर ब्लाक में कितने सरकारी तथा कितने प्राइवेट नलकूप हैं और वर्ष १९७०–७१ में कितने सरकारी नलकूप लगाने का सरकार कहां विचार कर रही है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जिला एटा की तहसील कासगंज के सोरों तथा सहावर ब्लाकों में क्रमशः ३६ तथा १ सरकारी नलकूप एवं १८५ तथा ८९ निजी नलकूप स्थित हैं।

एटा जिले में वर्ष १९७०–७१ के लिए १५ सरकारी नलकूप आवंटित हुये हैं जिनका स्थान निर्धारण अभी निश्चित नहीं हो सका है क्योंकि इनके स्थान का चयन जिला चयन समिति करती है जो अभी इस कार्य को नहीं कर पाई है।

*७—श्री सियाराम (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा के सोरों सहावर ब्लाक में बरसाती नालों के अभाव में हजारों एकड़ खरीफ की फसल को भारी हानि होती है ? यदि हां, तो सरकार खरीफ की फसल को इस बाढ़ से बचाने हेतु अगले वर्ष १९७०–७१ में क्या प्रबन्ध करेगी ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

सोरों सहावर ब्लाक में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि नालों के अभाव के कारण हजारों एकड़ खरीफ की फसल को भारी हानि होती हो। अतः खरीफ की फसल को बाढ़ से बचाने हेतु वर्ष ७०–७१ के लिए कोई प्रबन्ध प्रस्तावित नहीं है।

बाराबंकी–गोंडा मार्ग के कुछ भाग को ऊंचा करना

*८—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी–गोंडा रोड, चौका घाट पर ऊंची की जा रही है ? यदि हां, तो इस कार्य से खेती योग्य भूमि कितनी प्रभावित होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

जी नहीं । बाराबंकी–गोंडा मार्ग मील २१ में गनेशपुर के पास ऊंचा किया जा रहा है। इस कार्य से कोई खेती योग्य भूमि प्रभावित नहीं होगी ।]

*९—श्री शिव कैलाश (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन किसानों की खड़ी फसल इसमें नष्ट हो रही है उन्हें सरकार मुआवजा देने का विचार कर रही है ?

श्री धर्म सिंह—

उपरोक्त कार्य से फसल को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है ।

आजमगढ़ ज़िले में सरसेना-खुरहट पिच रोड बनाने की मांग

*१०—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत सुल्तानीपुर में मऊनाथ भंजन और सरसेना से खुरहट तक जाने वाली सड़क को पिच रोड बनाने की कोई योजना सरकार के विचरारधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायगा ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं ।

श्री श्यामलाल—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इन सड़कों के बीच में डिग्री कालेज, विकास कार्यालय तथा अन्य अनेक कार्यालय स्थित हैं । इसके बारे में हम लोगों ने बहुत लिखा-पढ़ी की है । क्या सरकार भविष्य में अविलम्ब इसके निर्माण को अपने हाथ में लेगी ?

श्री धर्मसिंह—

इस समय तो सम्भव नहीं हो सकता । भविष्य में योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

श्री भाभी—

भविष्य में इस पर जो विचार किया जायगा उसको ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है तो क्या इसको पिच रोड बनाने के लिये विचार किया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया इस समय सम्भव नहीं है लेकिन भविष्य में जब योजनाओं पर विचार करेंगे तो किस प्रकार की सड़क बन सकेगी उस समय देखा जायेगा ।

*११–१२—श्री कल्यान सिंह—

[६ठें बुधवार के लिये स्थगित]

[दिनांक १३ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कुंडा तहसील में सूखा-पीड़ितों को सहायता देने में अनियमितता

*१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माल मन्त्री जानकारी प्राप्त करने तथा सदन को बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ में इस वर्ष सूखा-पीड़ितों की सहायता के क्रम में वितरित धनराशि उन लोगों को नहीं दी गई जिनके हस्ताक्षर तथा निशान अंगूठे लगवाये गये हैं ?

श्री रामकिंकर—

इस मामले में जांच करने से ज्ञात हुआ है कि तहसील कुंडा के ग्राम उभरी बुजुर्ग तथा सराय महासिंह के १६ व्यक्तियों में से जिनके नाम प्राप्तकर्ता की फेहरिस्त में ८० रु० का वितरण दिखाया गया है, एक व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी तथा शेष ने धनराशि पाने से इन्कार किया है ।

श्री जयराम यादव—

मरे हुये आदमियों के नाम फर्जी रकम दिखायी गयी है तथा १६ आदमियों ने रुपया पाने से इन्कार किया है । तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामकिंकर—

लेखपाल तो सर्विस से हटा दिया गया और जो सुपरवाइजर कानूनगो हैं उनसे जवाब तलब किया गया है । वह निलम्बित हैं और ३० अप्रैल को उनकी सुनवाई जिला स्तर पर हुई है । इसके अतिरिक्त जो तहसीलदार साहब हैं उनका भी इसी बीच में देहान्त हो गया ।

श्री जयराम यादव—

यह जो कुल रुपया वितरित किया गया जांच से उसमें कितना सही पाया गया और कितनों को गलत दिया गया ?

श्री राम किंकर—

उन १६ आदमियों के वितरण की लिस्ट है जिनमें से एक आदमी तो डेढ़, दो वर्ष हुये मर चुका है । १५ आदमियों को बताया जाता है कि रुपया दिया गया है लेकिन उन १५ आदमियों ने इन्कार किया है कि उन्हें रुपया मिला ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

इस मामले में लेखपाल से कहीं अधिक उत्तरदायित्व कानूनगो का था, तो उसको अभी तक क्यों नहीं निकाला गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिनको दोषी पाया जायगा उनको सख्त से सख्त सजा दी जायगी लेकिन जवाब तलब करना और चार्ज शीट देना लाजिमी थी । तो चार्ज शीट दी गयी, जवाब उनसे मांगा गया है । उसके बाद, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, पूरी कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जो गलत आदमियों को रुपया दिया गया वह कुल रकम कितनी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुल ८० रुपया था। ५-५ रुपये १६ आदमियों को दिखलाये गये लेकिन यह सही नहीं मालूम होता है, रुपया दिया ही नहीं गया।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

यह जो गलत रुपया दिखाया गया है इसमें जो सब से छोटा कर्मचारी है लेखपाल उसको तो सबसे बड़ी सजा दी लेकिन जो सब से बड़ा अफसर तहसील का होता है—तहसीलदार—उसका अभी तक नाम नहीं लिया गया है। तो उस तहसीलदार के खिलाफ उन्होंने कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गलत आदमियों की तसदीक उस लेखपाल ने की थी। हो सकता है कि सुपरवाइजर कानूनगो को जानता हो, लेकिन लेखपाल ने गलत आदमियों की तसदीक की थी। अब चूंकि लेखपाल ने तसदीक की थी और उसका जुर्म साबित हो गया इसलिये उसको सजा मिल गयी। इसको भी जितनी सजा हो सकेगी दी जायगी।

शिवालिक की तराई में बादशाही बाग के आसपास पेयजल अभाव

*२—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सहारनपुर चकरौता रोड पर सहारनपुर से २८ मील की दूरी पर शिवालिक की तराई के बादशाही बाग और उसके समीप के ग्रामों में लोग पीने के पानी की किल्लत से पीड़ित हैं और पांच छः मील से पानी ढोकर लाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा वर्णित ग्रामों के लिये एक योजना बनाई जा रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के लिये धन का आबंटन कम होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि योजना का कार्यान्वियन कब सम्भव हो सकेगा।

श्री मन्जूर अहमद—

क्या मन्त्री जी की जानकारी में है कि कौन-कौन से और उन गांवों के नाम क्या हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है और लोग वहां कितनी दूर से पानी लाते हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इस इलाके में बादशाही बाग और उसके आसपास के जो गांव हैं शिवालिक हिल्स के, बहुत नीचे पानी मिलता है और मायापुर ग्रुप आफ विलेजिज स्कीम है उसके तहत ये आते हैं और इसमें कितने गांव पूरे तरीके से शामिल हैं, यह सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद—

इसी बादशाही गांव से ३ मील की दूरी पर, मैं जानना चाहूंगा क्या जमुना नदी बह रही है ? यदि हां, तो क्या उस नदी से पानी पीने की योजना कोई तत्काल बना रहे हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

योजना तो बन गयी है ३.५ लाख की, वह कच्ची योजना है, उसके एक महीने बाद पक्की बनायी जा रही है, लेकिन अलाटमेंट के धन में कमी है।

श्री मन्जूर अहमद—

२३ वर्ष के बाद मैंने स्वयं अपने उस इलाके में देखा है कि हमारी मातायें—बहिन, बुजुर्ग ५—६ मील दूर से पानी लाते हैं, सिर्फ एक कुआं है जबकि बादशाही बाग से ३ मील दूर जमुना नदी है और ७ मील दूरी पर नहर है, लेकिन वहां कोई पानी नहीं है, तो क्या सरकार इनके लिये कोई ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करेगी, क्योंकि ६—६ फीट उंचे चढ़ कर पानी लाना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त ।

गंगाखादर हस्तिनापुर में भूमिहीनों को बसाना

*३—श्री मन्जूर अहमद—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले की तहसील मवाना में गंगा खादर हस्तिनापुर में सरकारी जमीनों पर भूमिहीनों परिवारों को बसाया जा रहा है ? यदि हां, तो उपर्युक्त क्षेत्र में १५ जून, १९६९ तक कितने भूमिहीन परिवारों को बसाया गया है और ऐसे प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि व अन्य सरकारी सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मेरठ जिले की मवाना तहसील के गंगा खादर हस्तिनापुर में स्थानीय भूमिहीन कृषि मजदूर ८०८ परिवारों को नवम्बर, १९६१ से १५ जून, १९६९ तक कृषि कार्य हेतु भूमि प्रदिष्ट की जा चुकी है । उक्त प्रत्येक परिवार को औसतन ५ एकड़ भूमि दी गयी है । इन्हें आपातकालीन सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई सहायता नहीं दी गई है ।

फतेहपुर जिले में माल विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला फतेहपुर में माल विभाग के कितने अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध ६ माह से अधिक से अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

दो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ।

*५—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध २५ अक्तूबर, १९६९ तक क्या कार्यवाही की गई और विलम्ब का क्या कारण है और कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इन कर्मचारियों में से श्री भगवती प्रसाद सिंह के विरुद्ध २५—१०—६९ तक जांच की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी । कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हो चुका है अब अन्तिम निर्णय लिया जाना है ।

श्री फखरुज्जमा खां के मामले में जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् अन्तिम निर्णय दिया जायगा ।

लखनऊ में पेय जल की स्थिति

*६—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका क्षेत्र की सीमा के अन्दर पेयजल की स्थिति ठीक नहीं है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

नोट :—तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। नगर महापालिका पानी की व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

फूलपुर तहसील के कछारी क्षेत्र में भूमि के पट्टे

*७—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के कछारी क्षेत्र की कितनी एकड़ जमीन मौजावार गांव सभा के सम्पत्ति रजिस्टर में सन् १९६८–६९ में दर्ज रही और उनमें से कितनी एकड़ जमीन भूमिहीन व हरिजनों को पट्टे के रूप में दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

(क) ३० ग्रामों में ९,७२३ एकड़ भूमि १९६८–६९ में गांव सभा सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज थी जिसमें से ४५३४ एकड़ भूमि पट्टे पर उठाने के लिये उपलब्ध हैं। कोई भूमि अभी तक पट्टे पर नहीं उठाई गई है।

(ख) ग्रामवार विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है।

*८—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि सन् १९६७ से नवम्बर, १९६९ तक कितने नाजायज पट्टों को रद्द करने के मुकदमे इलाहाबाद जिले में तहसीलवार दाखिल हुये और उनमें कितने गैर तजवीज हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इलाहाबाद जिले में पट्टों के निरसन के ७,३५१ मुकदमें दाखिल हुये थे जिनमें से इस समय केवल १०७ विचाराधीन है। विचाराधीन मुकदमें में ८५ हंडिया तहसील के, १७ मेजा तहसील के तथा ५ सिराथू तहसील के हैं।

मेजा, करछना एवं बारा क्षेत्र में नलकूप

*९—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेजा, करछना एवं बारा क्षेत्र, इलाहाबाद में कितने सरकारी नलकूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगवाने की योजना है और उनके कब तक लगने की सम्भावना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नलकूपों के निर्माण का कार्य-क्रम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनाया जाता है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि कथित क्षेत्रों में चतुर्थ योजना काल में नलकूप लगाये जायेंगे। वित्तीय वर्ष १९६९–७० में केवल करछना तहसील में ६ राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया गया।

गोविन्दनगर तहसील किच्छा के नलकूप में खराबी

*१०—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतावेंगे कि गोविन्दनगर (देवरिया) तहसील किच्छा में ९० हजार रुपये से निर्मित ट्यूबवेल कितनी बार खराब हो चुका और इसके सुधार पर पुनः कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कथित नलकूप सितम्बर, १९५३ में कम जल निकास होने के कारण फेल घोषित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सुधारने पर कोई धन व्यय नहीं किया गया।

*११—श्री इन्द्रलाल—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस ट्यूबवेल द्वारा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस नलकूप से खरीफ १९५३ में केवल ४० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई।

सिंचाई विभाग में ओवरसियरों के रिक्त पद

*१२—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कितने ओवरसियरों के स्थाई पद ४ अक्तूबर, १९६९ को कंफरमेशन के लिये रिक्त पड़े हैं ? यह पद कब से रिक्त हैं तथा कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दिनांक ४-१०-६९ को २५५ ओवरसियरों के स्थायी पद स्थायीकरण के लिये रिक्त पड़े थे। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :

पदों की सं०					कब से रिक्त हैं
१६०	..	..	..	..	१-४-६५
५१	..	..	..	..	१-४-६६
९	..	..	..	..	१-४-६७
२२	..	..	..	..	१-४-६८
१३	..	..	..	..	१-४-६९

उक्त पदों में से अब तक ४६ पदों पर स्थायी नियुक्ति हो चुकी है और शेष पर स्थायी नियुक्ति बहुत शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

*१३—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या सरकार यह बतायेगी कि सिंचाई विभाग में ओवरसियरों से सहायक अभियन्ता पद के लिये विभागीय पदोन्नति हेतु कितने पद कब से रिक्त हैं ? इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सिंचाई विभाग में ओवरसियरों में से सहायक अभियन्ता के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिये इस समय ६० पद उपलब्ध हैं। यह पद जनवरी, ६७ से अब तक समय-समय पर नये पदों के सृजन, सहायक अभियन्ताओं के सेवा-निवृत्ति आदि कारणों से उपलब्ध हुये। इस पद पर प्रोन्नति हेतु पात्र (इलीजीबुल) होने के लिये अर्हकारी परीक्षा, जो इस मास के प्रथम सप्ताह में हुई है, का परिणाम घोषित होने के बाद इन समस्त पदों को नियमित रूप से भरने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

देवरिया जिले में गंडक के कटाव में बुलहवा गांव

*१४—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया) तथा श्री शिव कैलाश—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा बतायेंगे कि जिला देवरिया तहसील हाटा के अन्तर्गत ग्राम बुलहवा अगस्त, १९६९ में बड़ी गंडक के कटाव से सम्पूर्ण गांव कटकर धारा में विलीन हो गया है ? यदि हां, तो इसे बचाने के लिए कौन-कौन सी उपाय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

ग्राम बुलहवा का बड़ा भाग वर्ष १९६८ की बाढ़ में कट चुका था और शेष भाग १९६९ की बाढ़ में कट गया, जिसे बचाना किसी प्रकार संभव नहीं था क्योंकि नदी की तीव्र धारा रेलवे लाइन पर लगभग ५,००० फुट की लम्बाई में भयंकर प्रहार कर रही थी और बुलहवा ग्राम रेलवे लाइन तथा नदी की प्रचंड बाढ़ के मध्य में था ।

नलकूप खंड, बस्ती के सहायक अभियंता के खिलाफ गबन की शिकायत

*१५—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शिव कैलाश—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा बतायेंगे कि नलकूप खंड बस्ती के सहायक अभियंता, प्रथम द्वारा लगभग ९० हजार रुपये का सरकारी धन का गबन एवं अपव्यय के विषय में उनके विरुद्ध माह दिसम्बर, सन् १९६६ में कोई शिकायती दरख्वास्त विभाग को आई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जी हां, एक शिकायती पत्र माह दिसम्बर, सन् १९६६ में प्राप्त हुआ था उस पर जांच की गई । परन्तु सहायक अभियंता के विरुद्ध लगाया गया कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका ।

श्री प्रेमचन्द्र जैसवाल सुपरवाइजर सिंचाई विभाग का निलम्बन

*१६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नलकूप निदेशालय सिंचाई विभाग, लखनऊ के एक सुपरवाइजर ५ जुलाई, १९६७ से ५ फरवरी, १९६९ तक निलम्बित रहे और दोबारा २६ जुलाई, १९६९ को पुनः निलम्बित किये गये ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

सिंचाई विभाग के एक सुपरवाइजर श्री प्रेमचन्द जैसवाल कुछ आरोपों के कारण ८ जुलाई, १९६७ से ५ फरवरी, १९६९ तक निलम्बित रहे। उन्हें दिनांक २६ जुलाई, १९६९ से दूसरे आरोपों के कारण सतर्कता विभाग की सिफारिशों पर फिर निलम्बित कर दिया गया ।

*१७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि पहला निलम्बन आरोप न सिद्ध होने पर और संबंधित सुपरवाइजर द्वारा मामले को हाई कोर्ट ले जाये जाने पर समाप्त हुआ था और क्या माननीय हाई कोर्ट ने इस संबंध में मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से कोई स्पष्टीकरण भी तलब किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार हाई कोर्ट के स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश की प्रति पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्री जैसवाल की पहली रिट याचिका की सुनवाई २३ जनवरी, १९६९ को उच्च न्यायालय में हुई । श्री जैसवाल के वकील ने न्यायालय से यह कहा गोकि श्री जैसवाल के विरुद्ध जांच समाप्त हो गई थी फिर भी जांच अधिकारी ने कोई आदेश उस समय तक जारी नहीं किये थे । इस पर न्यायालय ने सरकारी वकील को यह आदेश दिये थे कि जांच अधिकारी एवं मुख्य अभियंता श्री जैसवाल के मामले के निपटारे में हो रहे विलम्ब का औचित्य शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करें । जांच के अनुसार श्री जैसवाल दोषी पाये गये थे। अतः मुख्य अभियंता ने अपने आदेश दिनांक ३०-१-६९ द्वारा श्री जैसवाल की दो वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोके जाने के आधार पर आदेश जारी कर दिये और साथ ही साथ श्री जैसवाल को निलम्बन से भी मुक्त कर दिया । इसके बाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार संबंधित अधिकारियों ने अपने शपथ-पत्र भी प्रस्तुत कर दिये थे ।

गोरखपुर जिले के विशुनपुरा मटियारा ग्राम में हरिजन बस्ती की भूमि

*१८—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम विशुनपुरा मटियरा, परगना हवेली, सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल राजधानी, तहसील व जिला गोरखपुर की हरिजन बस्ती की भूमि सं० ४१९ मलगा नाला के पास लगभग ३ साल से ईट तथा मकान बनाने के उद्देश्य से बराबर काटी जा रही है जिससे हरिजन बस्ती के लिये भूमि की कमी उत्पन्न हो गयी है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । भूमि सं० २४१९ का कुल क्षेत्रफल ०.४३ एकड़ था जिसमें से ०.२० डी० भूमि, मकानों को बनाने, पाटने तथा ईटा बनाने के लिए गांव वासियों द्वारा मिट्टी निकालने के फलस्वरूप गड्ढे के रूप में हो गया है। अब आम जनता को मिट्टी निकालने से रोक दिया गया है।

*१९—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री ग्राम सभा विशुनपुरा मटियरा के क्षेत्र में स्थित अन्य आबादी की भूमि देकर उक्त कमी को पूरा करायेंगे। यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गांव सभा विशुनपुरा मटियारा के क्षेत्र में अन्य कोई भूमि आबादी के योग्य उपलब्ध नहीं है।

ललितपुर तथा गाजियाबाद को जिला बनाने के सम्बंध में जानकारी

*२०—श्री राम चन्द्र विकल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर (जिला झांसी) व गाजियाबाद (जिला मेरठ) को नये जिले बनाने की योजना उनके विचाराधीन है। यदि हां, तो कब तक उपरोक्त योजना कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं।

*२१—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या राजस्व मंत्री कृपा कर यह भी बतायेंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में कुछ नई तहसीलों का गठन करने का भी उनका विचार है, और उनमें चान्दपुर, जिला बिजनौर में नई तहसील बनाये जाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं ।

महापालिका इलाहाबाद में चुनाव

*२२—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगरमहापालिका का चुनाव वह कब कराने जा रहे हैं ? क्या यह सच है कि दिनांक २९ जनवरी, १९७० की रात्रि को मंत्री महोदय ने जन प्रतिनिधियों को प्रयाग के जिलाधीश के कार्यालय में शीघ्र चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दिया है?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह सच है कि भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री जी ने दिनांक २९-१-१९७० को यह आश्वासन दिया था कि नगर महापालिका इलाहाबाद में शीघ्र चुनाव कराये जायेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम मंजूर हो चुका है जिसके अनुसार विज्ञप्ति १९ जून, १९७० को जारी होगी और सभासदों का चुनाव, यदि आवश्यक हुआ तो, १२ जुलाई, १९७० को होगा।

*२३—श्री देवकी नन्दन विभव—

[प्रश्न कर्ता द्वारा वापस लिया गया।]

गंगा नदी पर डलमऊ पंप नहर योजना

*२४—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील डलमऊ में गंगा लिफ्ट योजना पर सरकार का कितना रुपया ३१ जनवरी, १९७० तक व्यय हो चुका है और उससे कब तक किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल पायेगा तथा उसकी सिंचाई दर क्या होगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील डलमऊ में गंगा नदी पर डलमऊ पंप नहर योजना के निर्माण कार्य पर ३१ जनवरी, १९७० तक लगभग १.०४८ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। इस नहर से रबी १३७७ फसली से सिंचाई प्रारम्भ हो गई है तथा सिंचाई के लिए निम्नलिखित दरें लागू हैं :—

२० रुपया प्रति एकड़ वार्षिक निश्चित शुल्क के अतिरिक्त (जो १५ रुपया रबी में और ५ रुपया खरीफ में देय है) प्रत्येक सिंचाई के लिए रबी व खरीफ की फसलों के हेतु (धान व गन्ना को छोड़ कर) ८ रुपया प्रति एकड़ तथा गन्ना व धान के लिए १० रुपया प्रति एकड़।

चकबन्दी कर्मचारियों के प्रत्यावेदन

*२५—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कितने-कितने चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी कार्यकर्ताओं को १ महीने की नोटिस देकर सेवा में पृथक करने की आज्ञा के विरुद्ध राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश में संबंधित व्यक्तियों के प्रत्यावेदन १ वर्ष या उससे अधिक समय से विचाराधीन हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कोई नहीं।

*२६—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपर्युक्त अधिकारियों एवं व्यक्तियों के अलग-अलग कितने प्रत्यावेदन आयुक्त, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ६ मास से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं और उनकी रिपोर्ट राजस्व परिषद् को भेजने में किस कारण बिलम्ब हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सेवा समाप्ति के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन परिषद् को रिपोर्ट भेजने हेतु शेष नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई योजनायें

*२७—श्री भाभी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में ब्लाक मुहम्मदाबाद गोहना तथा ब्लाक जहांनगंज में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने स्टेट ट्यूबवेल किन-किन स्थानों में लगाने का प्रस्ताव है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नये राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनाया जाता है । अतः आजमगढ़ जिले के चतुर्थ योजना काल में लगने वाले नलकूपों की संख्या दे सकना संभव नहीं है । चालू वर्ष १९७०—७१ में आजमगढ़ जिले को ३० नलकूप दिये गये हैं । इन का स्थान निर्धारण अभी निश्चित नहीं है क्योंकि नलकूप लगाने के स्थान का चयन जिला चयन समिति करती है जो अभी इस कार्य को नहीं कर पाई है ।

*२८—श्री भाभी—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के जिन इलाकों में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है वहां के लिये भी कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आजमगढ़ जनपद में चालू वर्ष १९७०—७१ में ३० नये राजकीय नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव है । शारदा सहायक योजना से भी, जो प्रदेश की एक वृहत सिंचाई परियोजना है और जिस पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है, इस क्षेत्र को लाभ होगा । दोहरी घाट पंप नहर की क्षमता बढ़ाने की परियोजना से भी इस जिले को लाभ होगा ।

प्रतापगढ़ जिले में नलकूप

*२९—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र बिहार, जिला प्रतापगढ़ में कितने ग्राम में १६ फरवरी, १९७० तक राजकीय नलकूप लगाये गये हैं और किन-किन ग्रामों में और राजकीय नलकूप लगाये जाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कथित क्षेत्र में १६/२/७० तक कोई राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया । चालू वित्तीय वर्ष में भी वहां कोई नलकूप लगाने का प्रस्ताव नहीं है ।

उन्नाव जिले में सड़कों का निर्माण

*३०—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७०-७१ में उन्नाव जिले के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन सी पक्की सड़कें ली जा रही हैं और उन पर कितना व्यय होने की संभावना है।

श्री धर्मसिंह—

प्रस्तावित कार्यों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६५ पर)

*३१—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो सड़कें ली जायेंगी उन पर कार्य कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—

कार्य उसी समय आरम्भ करना सम्भव होगा जब शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति दे दी जायेगी और भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही हो जायेगी।

जौनपुर जिले में उपलवृष्टि से क्षति

*३२—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में दिनांक १९ फरवरी, १९७० के उपल वृष्टि से कौन-कौन से ग्राम प्रभावित हुये और फसल की कितनी क्षति हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जौनपुर जनपद में उपलवृष्टि से ३९४ गांव प्रभावित हुए जिसके नामों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है। फसलों को क्षति १२ प्रतिशत से लेकर कहीं-कहीं ४० प्रतिशत तक अनुमानित की गई।

*३३—श्री जंगबहादुर यादव—

क्या मंत्री जी उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रभावित कृषकों को सरकार क्या राहत देने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चूंकि क्षति ५० प्रतिशत से कम रही इस कारण किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा आलोचना

*३४—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या यह सत्य है कि दिनांक ३० अप्रैल, १९६८ को उच्च न्यायालय में याचिकाओं का फैसला देते हुये राज्य सरकार की, सहायक अभियंताओं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को बिना वरिष्ठता निश्चित किये पदोन्नत व बाद में मनमाने रूप से पदोन्नत करने पर, घोर भर्त्सना की थी ? क्या यह सत्य है कि इसके बावजूद आज तक वरिष्ठता निर्धारण नहीं किया गया है ?

श्री धर्म सिंह—

दिनांक ३०-४-६८ को उच्च न्यायालय ने चार याचिकाओं का फैसला देते हुये राज्य सरकार की सहायक अभियंताओं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को बिना वरिष्ठता निश्चित किये पदोन्नत व बाद में पदोन्नत करने पर आलोचना की है। उक्त निर्णय के विरुद्ध शासन ने स्पेशल अपील दायर कर दी है जो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

ज्येष्ठता निर्धारण करने के लिए कार्यवाही हो रही है।

*३५—श्री शफीक अहमद खां—

इस प्रकार की याचिकाओं पर सरकार का अब तक कितना व्यय हुआ ?

श्री धर्म सिंह—

रु० २,३२४.०७।

हरदोई नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

*३६—श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नगरपालिका हरदोई के चेयरमैन को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसका चुनाव करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४७ (ए) (३) के अन्तर्गत अध्यक्ष का प्रत्यावेदन विचाराधीन है। इसलिये चुनाव नहीं कराया जा सकता।

*३७—श्री परमाईलाल—

क्या हरदोई नगरपालिका चेयरमैन के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जांच सरकार ने कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। कार्यवाही की जा रही है।

गोंडा जिले में घाघरा तटीय भूमि का बन्दोबस्त

*३८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री सन्तराम (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में घाघरा नदी के तटवर्ती गांवों में, जहां कि चकबन्दी नहीं हुई है भूमि रिकार्ड बन्दोबस्त योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह विषय राजस्व परिषद् के समक्ष विचाराधीन है।

*३९-४०—श्री कल्यान सिंह—

[छठे बुधवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ जिले में बाढ़पीड़ित छात्रों को शुल्क सहायता

*४१—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में बाढ़ पीड़ित निर्धन छात्रों के शुल्क सहायतार्थ कुल कितनी धनराशि किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी १९६९–७० में दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बाढ़ पीड़ित निर्धन छात्रों को ३४,८७० रुपये ४४ पैसे वितरित किये गये। विद्यालय वार वितरित धनराशि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६६ पर)

आजमगढ़ कलेक्टरी में हरिजन कर्मचारी

*४२—श्री लालसा, श्री इन्द्रलाल, श्री बनारसी (जिला आजमगढ़) तथा श्री छांगुर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न संख्या १४ दिनांक ४ मार्च, १९७० के लिखित उत्तर के सन्दर्भ में आजमगढ़ कलक्टरी कचहरी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या सरकारी आदेशों के अनुसार १८ प्रतिशत रिजर्वेशन से कम होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आजमगढ़ कलक्टरी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या के उनके लिये निर्धारित प्रतिशत से कम होने का मुख्य कारण यह है कि कलक्टरी में इन पदों के लिये सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तथा बहुधा जो नियुक्त कर लिये जाते हैं वह कुछ समय कार्य करने के पश्चात् अपनी इच्छा से अच्छी नौकरियां मिलने पर दूसरे विभागों को चले जाते हैं। एक अतिरिक्त कारण यह भी है कि शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार कलक्टरी के उक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है तथा रिक्त होने वाले सभी पद उत्तर प्रदेश छटनी किये गये कर्मचारियों की भर्ती करने की नियमावली, १९६७ के अनुसार छटनी शुदा कर्मचारियों द्वारा ही भरे जायेंगे।

नौतनवा ढूंढीबारी तथा कोल्हई लोटन सड़कों में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*४३—श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील फरेंदा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़क, नौतनवां-ढूंढ़ीबारी और कोल्हुई-लोटन के लिये ली गई किसानों की भूमि का मुआवजा किसानों को अब तक क्यों नहीं दिया जा सका तथा सम्बद्ध भूमि विषयक कागजात ठीक न किये जा सकने के कारण उल्टे हर वर्ष किसान से लगान भी वसूली की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—

नौतनवा ढूंढीबारी

प्रतिकर विवरण तैयार कर लिये गये हैं। मुआवजा बांटने की कार्यवाही में शीघ्रता लाई जा रही है।

मुआवजा बंटने में विलम्ब का कारण मुआवजा विवरण का तैयार न होना था।

लगान अभी वसूल किया जा रहा है।

कोल्हुई-लोटन

३०,७६५ रु० मुआवजा वितरित हो चुका है । केवल तीन गांवों का मुआवजा बाकी है । जिनमें भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है । जिन ग्रामों में मुआवजा विवरण तैयार हो गया है उनमें लगान कम कर दिया गया है ।

*४४—श्री राम लगन दूबे—

यदि हां, तो क्या सरकार विभाग की लापरवाही के फलस्वरूप किसानों को हुई क्षति व परेशानी को देखते हुये बकाया रकम मुआविजा मय ब्याज तथा कब्जा लिये जाने के बाद से ली गई लगान के वापसी का प्रबन्ध अविलम्ब करेगी ?

श्री धर्मसिंह—

मुआवजा पर ब्याज देने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अध्याप्त की गई भूमि के लगान की मिन्हाई लगान की आगे वाली किश्तों में कर दी जायेगी ।

इलाहाबाद जिले के सैदापुर तथा प्रतापपुर ब्लाक में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*४५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला इलाहाबाद के ब्लाक सैदाबाद के अन्तर्गत ग्राम नागनाथपुर, महटीकर, सराय इस्माइल उर्फ सदरेपुर, पकरी, सिठौली, भवानीपुर में सिंचाई का कोई साधन नहीं है । यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में सरकार उक्त गांवों में सरकारी नलकूप लगवायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इलाहाबाद जिले के सैदाबाद ब्लाक के ग्राम नागनाथपुर में कोई राजकीय सिंचाई साधन नहीं है । शेष ग्राम यद्यपि नलकूपों के कमान्ड में हैं परन्तु मांग अधिक होने के कारण इन ग्रामों को पूर्ण रूपेण पानी नहीं मिल पाता । इनका सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसकी समाप्ति पर यह ज्ञात होगा कि किन क्षेत्रों के लिये राजकीय नलकूप सुविधा उपलब्ध की जा सकती है ।

*४६—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले के ब्लाक प्रतापपुर में स्थित ग्राम मेलुन, पिलखिनी, जलालपुर, हरिपुर, पट्टी, गोहरपुर, सिरसा, रिठुआ, किसुनीपुर, दलपतपुर, बरियारी, खानपुर, डंडी, उदगी, मीरपुर तथा ब्लाक फूलपुर में स्थित ग्रामबीरकाजी, मिश्रापुर, आगरा पट्टी, खोजापुर, ढोकरी, सराय मनोहर उर्फ बरजीबरा, शेखपुर, अहियापुर, दिवानगंज में चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी नलकूप लगाने की योजना सरकार बनायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इलाहाबाद जिले के प्रतापपुर ब्लाक में मैलुन नाम का कोई ग्राम नहीं है । इसी ब्लाक के ग्राम पिलखनी, जलालपुर हरिपुर पट्टी, सिरसा, किशुनीपुर तथा मीरपुर में एवं फूलपुर ब्लाक के ग्राम बीरकाजी, आगरा पट्टी, सराय मनोहर उर्फ बरजीयरा तथा दीवानगंज में कोई राजकीय सिंचाई साधन नहीं है । शेष ग्राम यद्यपि नलकूपों एवं नहरों के कमान्ड में हैं परन्तु मांग अधिक होने के कारण इन ग्रामों को पूर्ण रूपेण पानी नहीं मिल पाता । इनका सर्वेक्षण

किया जा रहा है जिसकी समाप्ति पर यह ज्ञात होगा कि किन क्षेत्रों के लिये राजकीय नलकूप सुविधा उपलब्ध की जा सकती है ।

भटनी बलुआ सड़क तथा कसया तमकुही सड़क में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*४७—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले की भटनी बलुआ रोड तथा कसया-तमकुही लेटरल रोड में जो जमीन एक्वायर की गई उनका मुआवजा किसानों को २८ फरवरी, १९७० तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—

भटनी बलुआ रोड के लिये ली गई भूमि का मुआवजा बांटने के लिये धन उपलब्ध किया जा चुका है । सम्बन्धित तहसीलदार मुआवजा बांटने की आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । कसया तमकुही रोड के लिये ११ ग्रामों में ली गई भूमि का मुआवजा बांट दिया गया है तथा शेष २० ग्रामों में मुआवजे के नक्शे बनाये जा रहे हैं ।

भूमि का मुआवजा निश्चित करने के लिये भूमि का लगान, सम्बन्धित क्षेत्र में विक्रय पत्रों आदि की पूर्ण रूपेण छानबीन कर मुआवजे की धनराशि निश्चित की जाती है । तत्पश्चात् उस पर राजस्व परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर भूमि के मुआवजे का अभिनिर्णय घोषित किया जाता है तथा किसानों को वितरित किया जाता है । इस सब कार्यवाही के फलस्वरूप मुआवजा वितरण करने में बिलम्ब हो जाता है ।

*४८—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुआवजा किस दर से दिया जा रहा है और मुआवजे की कितनी रकम देना बाकी है ?

श्री धर्म सिंह—

बलुआ–भटनी रोड के लिये ली गई भूमि का मुआवजा भूमि की श्रेणियों के अनुसार वार्षिक लगान का ८०, ३० व २० गुना दिया जा रहा है, तथा कसया तमकुही मार्ग के लिये ली गई भूमि का मुआवजा बाजार दर से, विभिन्न श्रेणी की भूमि का ४६२ रु० से लेकर लगभग २,५०० रु० प्रति एकड़ की दर से दिया गया है । कसया तमकुही रोड के लिये २० ग्रामों में ली गई भूमि का लगभग ४.३८ लाख रु० देना बाकी है । भटनी बलुआ रोड का ९५७६.७५ रु० देना है ।

हाटा तहसील में किसानों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही

*४९—श्री बैजनाथ (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील हाटा के अन्तर्गत ग्राम बुढ़वा गेनही जंगल व रामपुर गोनहां व रामपुरवा में ग्राम समाज की बंजर एवं परती भूमि कितनी है ? इस पर कैसे लोगों का अधिकार है तथा क्या ये लोग फर्जी पट्टेदार हैं ? यदि हां, तो इसके पट्टे अविलम्ब रद्द करके सरकार उक्त भूमि को क्या भूमिहीन हरिजनों एवं मजदूरों में बटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम बुढ़वा, जंगल गैनही जंगल, रामपुर गोनहा और रामपुर जंगल में बंजर व परती भूमि क्रमशः २५–२४, ११–८२, ३५१–५१ और २३५–९९ एकड़ है । उक्त भूमि में से क्रमशः

९–५०, ११–३५, ३०१–२० और १२–१० एकड़ भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों का अनधिकार कब्जा है। इनके पास कोई पट्टा नहीं है। इनकी बेदखली के लिये तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं। इन गांवों के केवल रामपुर जंगल में १३०–९४ एकड़ पट्टे पर उठाने योग्य है जो भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को नियमानुसार उठाई जा सकती है। शेष ग्रामों में बंजर भूमि गांव के क्षेत्रफल के आठ प्रतिशत से कम है अतः वहां पट्टे पर देने का प्रश्न नहीं उठता।

नहर गंग, शाख इटावा के सहायक अभियंता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५०—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नहरगंग शाख इटावा के असिस्टेंट इंजीनियर, तृतीय खंड, रूरा के विरुद्ध विधान सभा के सदस्य चौ० राम पाल सिंह यादव ने, उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, जिसमें कि सरकार के लाखों रुपये का नुकसान और गड़बड़ है, की लिखित सूचना ६९ में दी थी उस सम्बन्ध में किस प्रकार की जांच की गई और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, नहर गंग शाख इटावा के सहायक अभियन्ता, तृतीय खंड, रूरा के विरुद्ध हस्ताक्षर रहित एक पत्र विधान सभा के सदस्य, चौ० रामपाल सिंह यादव द्वारा अधिशासी अभियन्ता निचली गंगाखंड, इटावा को प्राप्त हुआ था। माननीय सदस्य, श्री यादव को अधिशासी अभियन्ता ने रूरा में जांच के समय बुलाया था किन्तु वहां उनके यह कहने पर कि सम्बन्धित पत्र उन्होंने अपने एक कार्यकर्त्ता के कहने पर दिया था और बाद में वह अपनी जानकारी व जांच से संतुष्ट हो गये थे कि आरोप असत्य व निराधार है, मामले में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

राबर्ट्सगंज तहसील के अगोरी परगना में बन्दोबस्त की कार्यवाही

*५१—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत परगना अगोरी में जो वर्तमान रेकार्ड आपरेशन द्वारा खेतों के नक्शे, खसरे एवं पर्चे आदि बने है उसमें अनेक अशुद्धियां हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अनेक अशुद्धियां नहीं पाई गईं।

*५२—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगना अगोरी के अन्तर्गत मौजा करइल, कुडवा, पीपर खाड बाबेसोली चाचें खुर्ज, खेतकटवा, मेटिहिनियां शेखा, खेमपुर निगाई बोदार एवं कोन तथा परगना विजयगढ़ के कुछ क्षेत्रों के हरिजन एवं आदिवासी काश्तकारों की काश्तों पर बड़े लोगों ने वर्ग ९ में अपना नाम दर्ज कराया है? यदि हां, तो उसे खारिज की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सही नहीं है। मौके पर जैसा पाया गया वैसा दर्ज किया गया। खतौनी की पर्चियां सबको बांटी गई थीं उनकी तसदीक की गई। जो आपत्तियां हुईं उनका नियमानुसार निस्तारण किया गया।

प्रतापगढ़ जिले में नलकूप लगाने की मांग

*५३—श्री जयराम यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि विकास खंड, कुन्डा कालाकांकर पट्टी तथा देवतरा जिला प्रतापगढ़ में कोई राजकीय नलकूप नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विकास खंडों में चालू वित्तीय वर्षों में राजकीय नलकूप लगाने की योजना बनायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उक्त विकास खंडों में इस समय कोई राजकीय नलकूप नहीं है। इस वर्ष (१९७०–७१) इस जिले को १० नलकूप दिये गये है जिनका स्थान निर्धारण अभी निश्चित नहीं हो सका है क्योंकि इनके स्थान का चयन जिला चयन समिति करती है जो अभी इस कार्य को नहीं कर पाई है।

बांदा जिले में "करतल" तथा "खोही" माइनर नहरें

*५४—श्री हरवंश प्रसाद (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले में नरैनी तहसील में करतल माइनर बनाना स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य आरम्भ होने वाला है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, उक्त माइनर का बनाना पहले प्रस्तावित था परन्तु बाद में यह कार्य स्थगित कर दिया गया।

*५५—श्री हरवंश प्रसाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उसी तहसील में एक खोही माईनर बनी थी उस पर आज तक पानी नहीं गया ? यदि हां, तो क्यों, एवं कब तक यह माईनर सिंचाई का कार्य करने लगेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, परन्तु यह सत्य नहीं है कि उस पर आज तक पानी नहीं पहुंचा बल्कि यह माईनर प्रस्तावित सींच से भी अधिक सींच कर रही है।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी-गढ़वाल जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

*५६—श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में गत ओला से पीड़ित क्षेत्रों को सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये, या उठाये जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ओला पीड़ितों को २६,४५५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप मे और २५,००० रु० तकावी के रूप में बांटा गया। जिन क्षेत्रों में फसलों को क्षति ५० प्रतिशत या उससे अधिक है वहां मालगुजारी व लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा छूट देने की कार्यवाही की जा रही है।

*५७—श्री शफीक अहमद खां—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५८-५९—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६०-६१—श्री शिवकुमार—

[७वें बुधवार के लिये]

लखीमपुर विजुषा मीरा मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

*६२—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खीरी जिले के मुख्यालय लखीमपुर नगर से विजुषा मीरा रोड के निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह—

जिला खीरी में विजुषा मीरा मार्ग (१५ किलोमीटर) का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

गोलागोकरन नाथ-कुकरा मार्ग का निर्माण

*६३—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोला गोकरननाथ से कुकरा रेलवे स्टेशन तक की सड़क के निर्माण हेतु कई बार ठेकेदारों के टेन्डर स्वीकार किये गये किन्तु उस रोड का निर्माण-कार्य स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री धर्मसिंह—

इस मार्ग के निर्माण के लिये टेन्डर मांगे गये थे परन्तु स्वीकृत नहीं किये गये क्योंकि इस कार्य के आगणन को प्रशासकीय अनुमोदन नहीं दिया गया था। इस मार्ग का निर्माण कार्य स्थगित नहीं किया गया है।

*६४-६५—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित]

बिलग्राम-कन्नौज सड़क पी० डब्ल्यू० डी० को देना

*६६—श्री शिव कैलाश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हरदोई के अन्तर्गत म्युनिसिपल बोर्ड के बिलग्राम ने अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़क बिलग्राम—कन्नौज को एक प्रस्ताव पास कर पी० डब्लू० डी० को बिना मुआविजा के लिये देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां। उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

*६७-६८—श्री धर्म दत्त—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

इटावा जिले में राजकीय नलकूप

*६९—श्री कोरी सुखलाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में सन् १९६८–६९ से सन् १९६९-७० तक कितने राजकीय नलकूप लगाने का विचार था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला इटावा में सन् १९६८–६९ में राजकीय नलकूप लगाने का कोई लक्ष्य नहीं था। वर्ष १९६९–७० में कुल १५ राजकीय नलकूप लगाने का लक्ष्य था।

पौड़ी-गढ़वाल जिले की पेय जल योजना

*७०—श्री शेर सिंह बानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नवासू दत्ताखेत विकास क्षेत्र खिर्सू जिला पौड़ी-गढ़वाल की पेयजल योजना जीर्ण-शीर्ण दशा में पड़ी हुई है ? यदि हां, तो सरकार उसको ठीक कराने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा पुनर्गठन योजना बनाई जा रही है।

*७१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावत्ति के कारण निरस्त]

बैजरो-थैलीसैंणी—पौड़ी मोटर मार्ग

*७२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि जिला गढ़वाल में बैजरो-थैलीसैंणी-पौड़ी मोटर मार्ग पर जो कार्य मोटर यातायात योग्य बनने के लिये होना है वह कब आरम्भ हो जायेगा और कब पूरा होगा ?

श्री धर्म सिंह—

यह कार्य वार्षिक योजना १९७०–७१ में सम्मिलित है। इस कार्य का सम्पादन भूमि अध्याप्ति तथा आवश्यक धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

सीतापुर खंड शारदा कैनाल से मेलावां माइनर बनाने की योजना

*७३—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि मितौली, राम नगर जिला लखीमपुर से एक छोटा माईनर मौजा मेलावा, सूर्य कुन्ड, चतुरया बीड़नपुर और चठिया जमुनिया होकर निकालने की योजना बनी थी और गूल भी खोदी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब तक इस गूल को साफ करा कर माईनर का रूप देकर सिंचाई योग्य तैयार कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सीतापुर खण्ड शारदा कैनाल में एक प्रोजेक्ट १३ मील–३ फर्लांग लम्बी नहरों के निर्माण के लिये बना था, जिसमें १ मील ६ फर्लांग लम्बी मेलावां माइनर भी शामिल थी। लेकिन पानी उपलब्ध न होने के कारण अब तक कोई योजना नई नहरें बनाने की स्वीकार नहीं की

गई है । अतः इस प्रोजेक्ट की कोई नहर अब तक नहीं बनी है । इस क्षेत्र में एक कुलाबा नं० १७ की गूल बनी हुई है । अभी कोई ऐसी योजना नहीं है, जिसके अन्तर्गत इस नहर का निर्माण किया जा सके । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि यह नहर कब तक बन सकेगी ।

लहरपुर नवीनगर खीरी सड़क

*७४—श्री रामलाल राही—

लहरपुर–नवीनगर से खीरी जाने वाली सड़क को कंकड़ की पक्की बनवाने व सड़क के मध्य अचम्भे नाथन नाला पर जो सीतापुर व खीरी जिला के बार्डर पर है, पुल बनवाने की योजना क्या सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस पुल व सड़क को बनवा देगी ?

श्री वर्मसिंह—

जी नहीं ।

*७५—श्री बांकेलाल—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

पूर्वी यमुना नहर के मुजफ्फरनगर सब डिवीजन में गबन की शिकायत

*७६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि पूर्वी यमुना नहर से मुजफ्फरनगर के प्रथम सब डिवीजन में मार्च, १९६९ में लगभग १३,००० रु० का गबन हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*७७—श्री भगौती प्रसाद—

[७ वें सोमवार के प्र० सं० २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला रामपुर के लिपिक

*७८—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में ऐसे कितने लिपिक हैं जिनका स्थानान्तरण पिछले ६–७ वर्षों से नहीं हुआ तथा क्यों ?

श्री वर्म सिंह—

केवल तीन लिपिक ६–७ (३०–४–६४ के पहले से) वर्षों से कार्य कर रहे हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रचलित नीति के अनुसार उनका स्थानान्तरण साधारणतया नहीं होना चाहिये ।

बलिया जिला सिंचाई समिति

*७९—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिंचाई समितियां जिनमें विधायकगण पदेन सदस्य होते थे, उन्हें भंग कर दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं ।

*८०—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या यह भी सही है कि बलिया जिले में सरकारी नलकूपों को लगाने के लिये विभागीय आदेश से कोई समिति संगठित की गई है और उसके सुझाव से काम हो रहा है तथा उस समिति में कोई विधायक सदस्य नहीं हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां । यह समिति केवल बलिया जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के उन सभी जिलों में गठित की गई है जहां राजकीय नलकूप लगाये गये और लगाये जा रहे हैं । यह समिति जिलों में राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु स्थान निर्धारण आदि का कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न किये जाने के उद्देश्य से गठित की गई है । समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है और इसमें कोई विधायक सदस्य नहीं होता है ।

बहेरा नाला का इनकैचमेंट एरिया

*८१—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में स्थित बहेरा नाला का इनकैचमेंट एरिया इस समय कितना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बलिया जिले में स्थित बहेरा नाला का इनकैचमेंट एरिया ७५ वर्गमील है ।

बिहरा-रिंग बांध का कटान

*८२—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला में घाघरा नदी पर बना बिहरा रिंग बन्ध कटान से टूट गया है ? यदि हां, तो इससे कितना भू-भाग और आबादी प्रभावित होगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बलिया जिला में घाघरा नदी के दक्षिण तट पर निर्मित डूहाबिहरा रिन्ग बान्ध को वर्ष १९६७ की बाढ़ ने मील ३—०—० के निकट १,४०० फीट लम्बान में तथा ग्राम बिहरा के निकट बहाव के विपरीत दिशा में (अपस्ट्रीम में) १,७०० फीट लम्बान में काट दिया था ।

तुर्तीपार-श्रीनगर बान्ध और कथित डूहाबिहरा रिन्ग बान्ध के बीच १४ ग्रामों की आबादी एवम् २,५०० एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र नदी में उच्चतम जलस्तर के समय बाढ़ के पानी से प्रभावित होंगे ।

ओलापीड़ितों को सहायता

*८३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक १० मार्च, १९७० को प्रदेश के कई जिलों में भयानक ओले पड़े और करोड़ों का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में लगान तथा तकावी की माफी सरकार द्वारा की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१० मार्च, १९७० को कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी जिससे रबी की फसल को नुकसान हुआ । रबी १३७७ फसली के छूट के अंतिम प्रस्ताव जिलाधिकरियों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं । शासन के राजस्व परिषद् के माध्यम में उनके प्राप्त होने की तिथि २५ मई है । छूट के आदेश शासन द्वारा जिलाधिकारियों से अंतिम प्रस्ताव, प्राप्त होने पर दिये जायेंगे ।

तुलसीपुर-हरैया रोड का निर्माण कार्य निरीक्षण

*८४—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में तुलसीपुर-हरैया रोड के सहायक अभियन्ता ने दिनांक १ नवम्बर, सन् १९६९ से ३१ मार्च, सन् १९७० तक कितने बार हरैया रोड के कार्य का निरीक्षण करने के लिये दौरा किया है तथा कितनी धनराशि टी० ए० तथा डी० ए० के रूप में प्राप्त की है ?

श्री धर्मसिंह—

पच्चीस बार ।

१०८ रु० ६० पैसे टी० ए० तथा १०५ रु० डी० ए० के रूप में प्राप्त किये ।

*८५—श्री सूरज लाल गुप्त—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*८६—८७—श्री इम्तियाज हुसैन—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

तिलहर तहसील में लघु सिंचाई के लिये दिये गये ऋण की वसूली

*८८—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत ग्राम उदारा, विकास क्षेत्र निगोही में सन् १९६२-६३ में लघु सिंचाई योजना के लिये जिन किसानों को रुपया ऋण के रूप में दिया गया था क्या उनमें से कुछ किसानों ने उस ऋण की अदायगी कर दी है और तहसीलदार तिलहर के अमीन द्वारा दी गई रसीदें भी उपरोक्त किसानों के पास मौजूद हैं, फिर भी उपरोक्त किसानों से पुनः वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुछ कृषकों को बोरिंग हेतु १,५०० रुपये का ऋण सम्मिलित रूप में दिया गया था, उसमें से मूलधन व ब्याज मिलाकर १,४५० रुपये वसूल किये गये हैं । अवशेष धनराशि की वसूली की जा रही थी किन्तु ऋणियों के प्रार्थना-पत्र पर शासन द्वारा वसूली की कार्यवाही दिनांक १८-१२-६९ को स्थगित कर दी गई है । जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई है उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

गोंडा जिले में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

१—श्री संत राम तथा श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९६८-६९ में गोंडा जनपद में कुल कितने फरजी बनामे होने की सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुई है, उनमें से कितने बेनामों के मुकदमा कायम करके पुलिस द्वारा जांच किया गया है, और कितने बाकी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास इस प्रकार फरजी बेनामे की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है न इस प्रकार की सूचना गोंडा जिले के किसी न्यायालय से वर्ष ६८-६९ की बाबत प्राप्त हो सकी ।

२—श्री संतराम तथा श्री गंगा प्रसाद गोंडा—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में कुल कितने एकड़ जमीन सीलिंग में निकाली गई है और उसका वितरण किया गया कि नहीं ? यदि किया गया है तो कितने भूमिहीन हरिजनों को दी गई तथा किन-किन तहसील के ग्रामों में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गोंडा जनपद में ७,११७ एकड़ जमीन अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से ५,३५० एकड़ पर कब्जा हो चुका है । अब तक ४,१११ एकड़ भूमि का वितरण हुआ है । १५२ भूमिहीन हरिजनों को गोंडा, तरबगंज, उतरौला तथा बलरामपुर तहसील के क्रमशः १०, ५, ४ तथा १७ ग्रामों में भूमि दी गयी है ।

३—श्री कल्यान सिंह—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित]

एटा जिले में नदियों पर पुल निर्माण

४—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७०–७१ में जिला एटा की कौन-कौन-सी नदियों पर कहां-कहां पुल बनाने की योजना है ?

श्री धर्म सिंह—

वर्ष १९७०–७१ में जिला एटा में किसी नये पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कुंडा-प्रतापगढ़ सड़क

५—श्री जयराम यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुंडा-प्रतापगढ़ रोड को चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण करने की योजना है ?

श्री धर्म सिंह—

प्रतापगढ़-जैठवारा (१५ किलोमीटर) मार्ग का आधुनीकरण विचाराधीन है ।

मिर्जापुर जिले में अपर खजुरी बांध से भरपुरा रजबहा का निर्माण

६—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत अपरखजुरी बांध से भरपुरा रजबहा का निर्माण कब हुआ और उसकी लम्बाई क्या है ? इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

अपर खजुरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विरोहिया पिक अप वीयर से निकले हुए भरपुरा राजबहा का निर्माण सन् १९५८-५९ से प्रारम्भ होकर सन् १९६३–६४ में पूर्ण हुआ था । भरपुरा सिस्टम की लम्बाई १४ मील १ फर्लांग है । इसके बनाने में रुपया ३४९१,६४.४९ व्यय हुआ था ।

७—श्री राम निहोर राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उसे रजबहा से प्रतिवर्ष इसकी आमदनी क्या है और प्रतिवर्ष खर्च क्या होता है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

इस सिस्टम पर सन् १९६४–६५ से सिंचाई प्रारम्भ हुई है । अब तक गत वर्षों में प्रतिवर्ष औसत आमदनी १,४६५.०० रुपया हुई है तथा इसके रख रखाव तथा विशेष मरम्मत का औसत वार्षिक खर्च ९,२७५.०० आता है ।

शाहजहांपुर नगरपालिका की आमदनी

८—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शाहजहांपुर नगरपालिका का कब तक चुनाव कराने का विचार कर रही है तथा जब्त होने के समय से अब तक उसकी आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

चुनाव के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

जब्त होने से पहले वत्तीय वर्ष १९६५–६६ में आमदनी रु०१४,४१,०९८ थी । बाद की आमदनी नीचे दर्ज है:—

वर्ष	आमदनी रु०
१९६६–६७	१९,१४,०५६
१९६७–६८	२४,३२,३१६
१९६८–६९	२९,७७,२७२
१९६९–७०	३४,३२,७२३

पिपराइच ताल ड्रेन

९—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के ब्लाक सुकरौली के अन्तर्गत जो ड्रेन पिपराइच लोहनी ताल से निकाली गई उसे इस चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या पक्का कराने के लिए कोई योजना बनाई है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जी नहीं ।

१०—श्री बांकेलाल—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ताल कितने एकड़ में फैला हुआ है और उसमें कितने एकड़ में जड़हन धान की फसल होती है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

पिपराइच ताल लगभग ८० एकड़ भूमि में स्थित है । जिसमें ७५ एकड़ भूमि में जड़हन की फसल होती है ।

हाटा तहसील में सड़कें पक्की करना

११—श्री बांकेलाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया की तहसील हाटा की कौन-कौन सी कच्ची सड़कों को चौथी पंचवर्षीय योजना में पक्की करने की योजना है और वे कब तक पक्की की जायेंगी ?

श्री धर्म सिंह—

हाता-पिपराइच मार्ग (१३ किलोमीटर) का आधुनीकरण करने की योजना है ।

कुंडा तहसील में सिंचाई व्यवस्था

१२—श्री जयराम यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मसवन, जलालपुर डिहवा, परगना बिहार, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़, इलाहाबाद बांच नहर से ग्राम लरू माइनर निकालकर उपरोक्त ग्रामों की भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला प्रतापगढ़, तहसील कुंडा, परगना बिहार गांव मसवन पूर्णतया व ग्राम जलालपुर डिहवा का अधिकांश भाग वकुलाही नदी के बाई तरफ स्थित है और इलाहाबाद प्रशाखा से इन गांवों के लिए नहर निकाल कर पानी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वकलाही नदी बीच में पड़ती है । जलालपुर डिहवा का जो भाग वकलाही नदी के बायें निकारे पर पड़ता है उसके लिए इलाहाबाद प्रशाखा से सिंचन व्यवस्था पहले से है ।

१३—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[६ठें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सिंचाई विभाग में लिपिकों की परीक्षा

१४—श्री मुन्शीलाल चमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के लिपिकों की नवम्बर, १९६८ में हुयी परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित न करने के क्या कारण है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

प्रश्नगत परीक्षा माह दिसम्बर, १९६८ में ली गई थी । इस परीक्षा में १९५९ अभ्यर्थियों ने भाग लिया था । इसके लिए ३ लिखित तथा २ टाइप के पर्चे होते हैं । इस प्रकार इस परीक्षा में लगभग १०,००० कापियां थीं । इन कापियों तथा विशेषकर टाइप स्क्रिप्ट को देखने में बहुत समय लगता है । इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं दिया जाता है और अधिकारियों को कार्य से समय निकाल कर यह सब कार्य करना पड़ता है । परीक्षाफल बन गया है और अब केवल साक्षात्कार शेष है ।

१५—श्री मुन्शीलाल चमार—

क्या सिंचाई मंत्री परिणाम घोषित करने के पूर्व उसमें १८ प्रतिशत अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करेंगे ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

परीक्षाफल घोषित करते समय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कोटा नियमानुसार पूरा किया जायेगा ।

इलाहाबाद जिले में नलकूप

१६—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर, फूलपुर ब्लाकों में वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में प्रत्येक ब्लाक में कितने सरकारी नलकूप किन-किन स्थानों पर लगाने की योजना है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में जनपद इलाहाबाद में कुल ४० राजकीय नलकूप स्वीकृत हुए हैं जिन का स्थान निर्धारण अभी निश्चित नहीं हो सकता है क्योंकि इन के स्थान का चयन जिला चयन समिति करती है जो अभी इस कार्य को नहीं कर पाई है ।

१७—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के ब्लाक प्रतापपुर में वित्तीय वर्ष १९६९-७० में किन-किन स्थानों पर सरकारी नलकूप लगाने की योजना थी और उसमें से दिनांक २१ मार्च, १९७० तक किन-किन स्थानों के नलकूप बोर नहीं कराये गये और क्यों ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में इलाहाबाद जनपद के प्रतापपुर ब्लाक में ५ राजकीय नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव था जिन का कार्य मार्च, १९७० तक पूरा हो गया था । इन के स्थान निम्नलिखित है :

(१) अनुवा (२) जन्घई (३) कोट दक्षिण (४) समभामा (५) बघेरी ।

नलकूप प्रखंड इलाहाबाद में नलकूप चालकों का प्रशिक्षण

१८—श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियंता नलकूप प्रखंड, इलाहाबाद ने १ जनवरी, १९६८ से अब तक कितने नलकूप रक्षक, प्रभारी नलकूप आपरेटर (वर्कचार्ज आपरेटर) और नलकूप चालक नियुक्त किया या प्रशिक्षण पर रक्खा है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

प्रश्नगत अवधि में न कोई नलकूप रक्षक और न कोई प्रभारी नलकूप आपरेटर (वर्क चार्ज आपरेटर) रक्खा गया । नलकूप चालक के पद पर ११३ अभ्यर्थी के प्रशिक्षण हेतु आदेश दिये गये । प्रशिक्षण में सफल होने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया ?

१९—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या यह सब प्रशिक्षण पर रखे हुए या नियुक्त व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित विधि अर्थात् रोजगार दफ्तर के माध्यम से लिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

उपरोक्त प्रशिक्षण उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया जिनका चुनाव नलकूप चालक सेवा नियमावली के अनुसार अधीक्षण अभियंता द्वारा गठित अधिशासी अभियंताओं की कमेटी

द्वारा किया गया । इसमें रोजगार दफ्तर से बुलाये गये अभ्यार्थियों की संख्या ६५ है । इसके अतिरिक्त विभागीय छंटनीशुदा कर्मचारी अथवा अन्य छोटी जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी जो कि पहले से इस प्रखंड में निम्न जगहों पर तैनात थे उन्हें भी शामिल किया गया जिनकी संख्या ४८ है ।

मऊरानीपुर नगरपालिका की आय

२०—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर, जिला झांसी नगरपालिका जब सुपरसीड नहीं हुई थी उस समय बोर्ड की आय कितनी थी और जब बोर्ड सुपरसीड हो गई तो आय और व्यय कितना है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगरपालिका मऊरानीपुर ७-१२-१९६८ को अवक्रांत हुई थी । अप्रैल ६७ से ७-१२-६८ तक आय ७८,२२,८३ रु० और व्यय ८६,४१,४४ रु० था । ८-१२-६८ से ३१-३-७० तक आय रु० ७८,४८,५४ और व्यय रु० ६५,३०,४६ रहा ।

अवक्रमण के पहले आय व्यय के आंकड़ों में ८० हजार रुपये का जलकल ऋण सम्मिलित है । उसी प्रकार अवक्रमण के बाद वाले आंकड़ों में २० हजार रुपये का जलकल ऋण सम्मिलित है ।

२१—श्री रामलाल राही—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

बहराइच जिले के फखरपुर क्षेत्र में नावों की व्यवस्था

२२—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की तहसील कैसरगंज के खण्ड विकास क्षेत्र फखरपुर में आने वाले बरसात में बाढ़ से जनजीवन की सुरक्षा के लिये कितने नावों की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तहसील कैसरगंज के खण्ड विकास क्षेत्र फखरपुर में ४ नावें गांव सभा द्वारा खरीदी गई हैं । इसके अलावा इस क्षेत्र में १३ निजी नावें हैं जो आवश्यकता के समय उपलब्ध हो सकेंगी । अन्य निकट क्षेत्रों की नावों को भी मंगाकर आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जायेगा ।

शाहजहांपुर-बीसलपुर मार्ग निर्माण

२३—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर-बीसलपुर मार्ग कब से बन रहा है और उस पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा उसके कबतक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

श्री धर्मसिंह—

इस मार्ग का निर्माण फरवरी, १९५९ में आरम्भ हुआ था और १९६५-६६ में वाटर बाउन्ड मार्ग बनकर पूर्ण हो गया था और उस पर ७,६३,१५९ रुपये व्यय हुये थे ।

वाराणसी जिले के औरई क्षेत्र में बन्द नलकूप

२४—श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह सही है कि कोठरा नलकूप, कुरौली व सरसेपुर नलकूप औरई, जिला वाराणसी गत एक माह से बन्द है ? यदि हां, तो उसके बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वाराणसी जिले के औरई क्षेत्र के कथित तीन नलकूप जिन कारणों से माह फरवरी/मार्च, १९७० में बन्द रहे उसका विवरण नीचे दिया है :

नलकूप का नाम	पानी की मांग न रहने के कारण	नलकूप की निकास क्षमता बढ़ाने के कारण
१	२	३
कोटरा ..	१४–२–७० से १०–३–७०	११–३–७० से २९–३–७०
कुरौली ..	१९–२–७० से १७–३–७०	१८–३–७० से २९–३–७०
सरसेपुर ..	१९–२–७० से २२–३–७०	२२–३–७० से २९–३–७०

२५—श्री राजितराम पाण्डेय—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त नलकूपों के क्षेत्र में हाईएस्ट वैराइटी के गेहूं कितने एकड़ बोये गये हैं ? तथा गन्ना की बोआई अभी हुई है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कोटरा, कुरौली व सहसेपुर नलकूपों के कमान्ड क्षेत्र में उन्नतिशील किस्म का गेहूं लगभग क्रमशः ९८, ८२ व ५८ एकड़ बोया गया। गन्ने की बुआई इस क्षेत्र में माह अप्रैल, १९७० में आरम्भ हुई है।

मेरठ जिले की नगरपालिकाओं को अनुदान

२६—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मेरठ की समस्त नगरपालिकाओं को वर्ष १९६९–७० में कितना अनुदान दिया गया है और किस-किस कार्य के लिये ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना संलग्न अनुलग्नक में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६७–८६८ पर)

लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षायें अनिश्चित काल तक स्थगित होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने यूनिवर्सिटी के संबंध में आश्वस्त किया था कि परीक्षायें १३ तारीख से होंगी, लेकिन आज परीक्षायें अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गयीं और वहां पी० ए० सी० आ गयी है। ५,००० विद्यार्थियों के जीवन का

सवाल है। उसके सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव ४ बजे आयेगा, लेकिन यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर अभी वाद-विवाद करायें और समाधान ढूंढ़े। राज्य सरकार इसका समाधान निकालने में फेल हो गयी है कल इनका कर्तव्य था कि इसमें इंटरफियर करते और नहीं किया। यह सरकार कर्तव्य-भंगी है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था इसमें यह है कि जो प्रश्न महत्व का होता है वह ४ बजे लिया जाता है। तो इस पर ४ बजे बात चीत होगी, लेकिन मैं आपकी सूचना के लिये कह दूं कि मेरे पास स्थगन प्रस्ताव भी आया। स्थगन का प्रस्ताव नहीं आ सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी का सवाल है। कल घोषणा हुई थी कि इम्तहान १३ तारीख से होंगे, लेकिन चूंकि परिस्थिति बदल गई है इसलिये हमने कह दिया है कि आज ही शाम तक वक्तव्य दे दें और अगर आज सम्भव न हो सके तो कल सबेरे दे दें। जो परिस्थिति होगी वह आप लोगों को बताऊंगा। सरकार की केवल जिम्मेदारी है शान्ति कायम रखना, बाकी व्यवस्था करना यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में आता है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के इम्तहान रोक दिये गये हैं। सरकार ने जिम्मेदारी ले ली है कि कोई घटना नहीं होगी, तो फिर एक-एक दिन करके उनकी परीक्षा क्यों रोकी जाती है? विद्यार्थियों का समय बर्बाद हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि उनके इम्तहान कल से शुरू हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आये हैं, हमने भी एक दिया है। कृपया उनको पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

शाम को पढ़ कर सुना देंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैंने लिख कर दिया है कि सैकड़ों विद्यार्थी बेकार हो रहे हैं।

(व्यवधान)

पुलिस लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर और बाहर तैनात है। पी० ए० सी० भी तैनात है। विद्यार्थियों का कोई कुसूर नहीं है। हजारों विद्यार्थी गर्मी में परीक्षा के लिये तैयार हैं। जो झगड़ा है वह वाइस चान्सलर और अध्यापकों के बीच का है और इस झगड़े में विद्यार्थी परेशान किये जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा माननीय मंत्री से कि वह तुरन्त वहां से पुलिस और पी०-ए० सी० हटाने का आदेश दे दें।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, कल विधान परिषद् में मालूम हुआ था कि आज ४ से ६ बजे तक इस पर चर्चा होगी। तो अगर वहां चर्चा होती है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि यहां कल के लिये रख दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिये। यदि सदन को एक घंटा बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दें, लेकिन चर्चा आज ही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो खुद ही कह रहा हूं, आप क्यों बोलते हैं।

(राजस्व मंत्री जी से) अगर आज ही सम्भव हो सके तो ४ बजे तक वक्तव्य दे दें। यह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत कल के।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं तो इसके लिये तैयार हूं कि जो सूचना मुझे मिल सकेगी पांच बजे दे दूंगा यदि उस समय विधान परिषद् से फारिग हो सकूंगा।

अमरीकी प्रेसीडेंट, श्री निक्सन की कम्बोडिया पर आक्रामक नीति का विरोध करने के संबंध म संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक संकल्प बोरा साहब ने दिया है और जितेन्द्रपाल सिंह जी ने दिया है। मैं उस संकल्प को पहले सुना दूं।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा अमरीकी प्रेसीडेन्ट श्री निक्सन की कम्बोडिया पर आक्रामक नीति पर चिन्ता प्रकट करती है तथा अमेरीकी फौजों द्वारा गत सप्ताह में किये गये व्यापक नर संहार की भर्त्सना करती है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय एवं अन्य स्वतंत्रता प्रेमी नागरिकों द्वारा इस आक्रमण का विरोध एवं सक्रिय प्रतिकार के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा उन छात्रों को विशेष रूप से एवं जन साधारण को साधारण रूप से जिन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग द्वारा मानव समाज एवं स्वतन्त्र राष्ट्रों की प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा के लिये बधाई देती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि प्रेसीडेन्ट निक्सन की आक्रामक नीति के प्रति भारत राष्ट्र की प्रतिक्रिया तत्काल उक्त प्रेसीडेन्ट निक्सन को अवगत करा दें तथा उनसे यह मांग करें कि पूर्व एशियाई देशों के प्रति उसकी यह साम्राज्यवादी आक्रामक नीति भारत राष्ट्र को असह्य होगा। और भारत इस दिशा में अमरीकी नीति के विरोध के लिये बाध्य होगा।"

मैंने यह बात कह दी थी कि यह वैदेशिक (फारेन राष्ट्र की) नीति से सम्बन्धित है इसलिये यह सदन में उपस्थित नहीं किया जा सकता मैं पढ़ जरूर दूंगा, लेकिन यह उपस्थित नहीं किया जा सकता। दूसरे असरकारी होने की वजह से इसको बैलट में भी जाना चाहिये था। अगर ऐसी कोई चीज है जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखती है और परराष्ट्र से सम्बन्धित है तो कम से कम यह अवश्य होना चाहिये कि यहां की सरकार केन्द्रीय सरकार से बात कर ले और थोड़ी सी अपनी राय देने के लिये इजाजत ले लेती। माननीय नेता सदन और विरोधी दल के नेता नहीं हैं। परराष्ट्र के सम्बन्ध में यहां चर्चा करना जिसमें कुछ लोग विरोध करें और कुछ पक्ष में बोलें और जो प्रश्न केन्द्रीय सरकार की नीति से सम्बन्धित है उस पर बोलें ठीक नहीं है इसलिये मैंने इसको स्वीकार नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, यह तो बहुत जरूरी सवाल है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

ऐसे सवालों पर····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके अपने नेता सदन से सलाह ले लें वह मौजूद नहीं हैं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब नियम २२५ के अन्तर्गत कार्य मंत्रणा समिति के जो निर्णय हुये हैं उनको पढ़कर सुना देता हूं :

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक मई १२, १९७० की बैठक में सदन द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम पर पुनर्विचार करके निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) जिन अनुदानों के लिये आधा दिन नियत किया गया है उन पर मतदान ढाई बजे अपरान्ह को और जिन अनुदानों के लिये पूरा दिन नियत किया गया है उन पर मतदान सायंकाल ५ बजे हो।

(२) मई १९, १९७० को बारावफात के उपलक्ष्य में सदन की बैठक न हो और अनुदानों की मांगों पर मतदान जून २२, १९७० के बजाय जून २३, १९७० तक चले।

जून २३, १९७० को सायंकाल ४ बजे से उत्तर प्रदेश के विनियोग विधेयक, १९७० का पुरःस्थापन, उस पर विचार और उसका पारण हो।

(३) जून २३, १९७० को वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद एवं मतदान नियत किया गया था।

(व्यवधान)

मैं सूचना दे रहा हूं आप कृपा कर बैठें। यह कार्य जून २४, १९७० को विधायी कार्य के उपरान्त सायंकाल ५ बजे से रखा जाय।

(४) शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष इसी कार्य मंत्रणा समिति के बारे में चर्चा हुई थी।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों का समर्थन करता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति ने दिनांक १२ मई, १९७० को सदन के लिये जो कार्यक्रमों की सिफारिश की है उन प्रस्तावित प्रस्तावों को स्वीकार करता है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मंत्रणा समिति ने निश्चित किया था कि जिन विषयों पर ढाई बजे वोटिंग होगी और सदन ने भी इस पर अपना मत प्रकट किया था उस समय बी० के० डी० के सदस्यों ने इस पर आवाज उठाई थी। उस समय अन्य सदस्यों पर कुर्सी की गद्दियां और पर्चे आदि फेंके गये थे। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि सदन यह मांग करे कि पहले ही वोटिंग करवा ली जाय तो क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको करवाने की आज्ञा प्रदान करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगर यह पारित हो जायगा तो उस पर राय ली जायगी। उस समय किसी ने इस पर एतराज नहीं किया था।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा यह संशोधन है कि १६ तथा १७ मई को असेम्बली बन्द है और १८ तारीख को खुली है तथा फिर १९ तारीख को बन्द है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी तथा माननीय सदस्यों की यह राय है कि १६, १७, १८ तथा १९ मई के लिये असेम्बली बन्द कर दी जाय। इस प्रकार से सदन को १८ तारीख को स्थगित करने से सदस्यों को ४ दिन का मौका मिल जायगा। २० तारीख को प्रातःकाल हम लोग पुनः आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रस्ताव को यहां पर पारित नहीं कर सकते हैं। केवल यही कर सकते हैं कि आपने अपनी राय दे दी और यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति के पास उसको पुनर्विचार के लिये भेज सकता है कि १८ मई को भी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। इसमें संशोधन करने के लिये आप कार्य मंत्रणा समिति के पास पुनर्विचार के लिये भेज दें ताकि १८ तारीख को छुट्टी हो जाय तो ४ दिन के लिये छुट्टी हो जाय। वह समिति इसके ऊपर विचार कर लेगी। बाकी जो प्रोग्राम है वह स्वीकार किया जाता है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, माननीय त्रिवेणी राय जी ने जो संशोधन दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि १५ से लेकर १८ तक छुट्टी कर दी जाय क्योंकि प्रदेश में कई बाई एलेक्शन चल रहे हैं जिनमें सभी दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, यह स्वीकार नहीं है।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, सभी दल के माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि १६, १७ और १९ को छुट्टी है तो बीच में एक दिन (१८ ता० को) और छुट्टी कर दी जाय। इस प्रकार की सभी की मांग है। आपस में जो बातचीत हुई है उस बातचीत के आधार पर बजट के लिये जितना दिन अनुदानों पर बहस के लिये रखा गया है उनमें भी सभी एक दिन कम करने के लिये तैयार हैं। तो अगर समूचा हाउस इस बात को स्वीकार करे तो हमें इस संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से १६, १७ और १८ को छुट्टी हो जाय और बजट के अनुदानों की बहस में एक दिन कम कर दिया जाय।

श्री प्यारे लाल—

एक दिन बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

बजट के अनुदानों पर बहस के लिये जो दिन रखे गये हैं उनमें एक दिन कम होगा, यह शर्त है इसके साथ।

श्री प्यारे लाल—

जी नहीं, मैं कहता हूं कि एक रोज और बढ़ा दिया जाय ताकि हम लोगों को बजट पर बहस करने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष—

जब सर्व सम्मति से स्वीकार नहीं है तो मैं ओरिजिनल प्रस्ताव लेता हूं। इसको पुनर्विचार के लिये कार्यमंत्रणा समिति में भेजा जाय। १८ तारीख की छुट्टी को भी उसमें जोड़ा जाय, इस प्रश्न पर वहां विचार होगा। बाकी सब मंजूर है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, माननीय त्रिवेणीराय जी ने जैसा कहा, कार्य मंत्रणा समिति ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें एक दिन कम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सब लोग इसको स्वीकार करते हैं? वे राजी हो गये इसलिये यह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब इसको कार्यमंत्रणा समिति में पुनर्विचार के लिये भेजे जाने की जरूरत नहीं है। अब सर्वसम्मति होने की वजह से १८ तारीख को छुट्टी होगी और अनुदानों पर विचार करने के दिनों में एक दिन कम कर दिया जायेगा।

६ अगस्त, १९६९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर का शोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ६ अगस्त, १९६९ को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सम्बन्ध में मैंने यह कहा था कि "मैं आपकी इजाजत से इस उत्तर में जरा संशोधन करना चाहता हूं। शायद ९ एकड़ गलत लिखा गया है। मैंने जो हिसाब लगाया है उसमें १४ एकड़ आता है" परन्तु बाद में मैंने यह पाया कि ग्राम बमनी के विषय में जो १४ एकड़ की सूचना विधान सभा में दी गई है वह ठीक नहीं है और शोधन वक्तव्य देना आवश्यक है।

सही उत्तर इस प्रकार है—"गांव बमनी में गांव सभा के पास ९ एकड़ ही बंजर भूमि है।" मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६९ पर)

मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में खोया, क्रीम व खोये की मिठाई पर पाबन्दी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में खोया, क्रीम तथा खोये की मिठाई बनाने पर पाबन्दी लगा देने के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री का वक्तव्य होगा।

सहकारिता राज्य मंत्री (डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ की धारा ३ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार ने अपने आर्डर दिनांक ५-५-१९७० द्वारा "देहली, मेरठ ऐंड बुलन्दशहर मिल्क एन्ड मिल्क प्राण्डक्ट्स कन्ट्रोल आर्डर, १९७०" ६-५-१९७० से १४-७-१९७० तक के लिये लागू किया है। यह आर्डर सम्बन्धित क्षेत्रों में तरल दुग्ध की उपलब्धि कायम रखने के लिये राज्य सरकार की सहमति से जारी किया गया। १९६८ में ग्रीष्म ऋतु में दो महीनों के लिये तथा १९६९ में भी ग्रीष्म ऋतु में तीन महीनों के लिये इसी प्रकार का आर्डर लागू किया गया था।

उक्त आर्डर के अनुसार उत्तर प्रदेश में मेरठ तथा बुलन्दशहर के बाहर किसी प्रकार के दूध के भेजे जाने तथा वहां दूध से बनने वाली चीजों के बनने तथा बिकने पर रोक लगाई गई है। किन्तु इस प्रतिबन्ध से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की अपेक्षा लाभ अधिक होने की आशा है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब कि दुग्ध की कमी रहती है तरल दुग्ध की उपलब्धि न केवल देहली में बल्कि मेरठ और बुलन्दशहर में भी बढ़ जायेगी। यदि यह आर्डर लागू न किया जाता तो ग्रीष्म ऋतु में भारत की राजधानी में तरल दुग्ध की बड़ी ही जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती जोकि देश के लिये प्रत्येक दृष्टिकोण से चिन्ताजनक स्थिति होती। ये प्रतिबन्ध आइस-क्रीम पर, जिसमें खोया, रबड़ी या क्रीम प्रयोग न की जाये, नहीं है। साथ ही शिशु दुग्ध आहार के लिये भी दूध बाहर भेजे जाने पर कोई रोक नहीं है। मिठाइयां बनाने वाले बिना खोये की मिठाइयां बना सकते हैं तथा छोटी दुग्धशालायें दुग्ध का व्यापार कर सकती हैं। इस वर्ष के आर्डर में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये एक विशेष प्राविधान रखा है। देहली मिल्क स्कीम उत्पादकों को दूध का जो मूल्य देगी वह एक समिति द्वारा निर्धारित होगा। यह समिति निम्नवत् गठित की गई है:—

१—आयुक्त मेरठ मंडल	.. ..	अध्यक्ष
२—चेयरमैन, देहली मिल्क कीम	.. ..	सदस्य
३—भारत सरकार के कृषि विभाग के उप सचिव	..	सदस्य
४—पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	.. ..	सदस्य
५—मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	.. ..	सदस्य सचिव।

इस प्रकार यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि दुग्ध उत्पादकों को कोई हानि न हो।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रतिबन्ध को केवल मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में ही लागू करने में क्या जनहित है और जब से यह प्रतिबंध लागू हुआ दूध के भाव में क्या अन्तर हुआ है?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में सुविधा करने की बात कही गयी है। तो किसान जो पैदा करते हैं या जो खोये के काम में लगे हुए हैं उनका रोजगार तो बन्द हो गया, पीने वालों को सुविधा हुई। दिल्ली मिल्क स्कीम में आखिर कितना दूध चाहते हैं? मेरी सूचना यह है कि जो दूध है वह मिल्क स्कीम में ले भी नहीं रहे हैं। यह तो खामख्वाह जो खोये का काम करते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाकर हजारों लोगों को बेकार कर दिया गया है। मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगे?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात अपनी जगह पर सही है कि कुछ न कुछ दूध उत्पादकों को तो नहीं लेकिन जो मिडिल मैन हैं उनको तकलीफ इससे जरूर पहुंची है। जहां तक दूध उत्पादकों का सवाल है, उनको कीमत मिलने की गारन्टी इस बात से कर ली गयी है—जैसी कि पिछले दो सालों में नहीं थी, लेकिन अब की बार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिये राजी कर लिया गया है कि दूध की सही कीमत उत्पादकों को मिल सके। इसके लिये एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है। इसलिये उत्पादकों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होने पायेगी। रहा यह सवाल कि दिल्ली में दूध की कमी नहीं है ऐसा बताया गया है कि गर्मी के दिनों में दिल्ली में दूध की बहुत कमी महसूस की जाती है इसलिये उन्होंने इस प्रकार का आर्डर निकाला कि वहां पर दूध मिल सके।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि खोये का उन दूर क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है कि जहां से दूध दिल्ली में नहीं आ पाता है तो दिल्ली से दूर क्षेत्रों में जो दूध पैदा करते हैं और खोया बनाते हैं उनका कितना नुक्सान होगा ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो दूर अंचल में रहते हैं और जिनका दूध ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता ऐसे लोग अगर इस बात के लिये एप्लाई करेंगे तो उनको इस बात की इजाजत मिल जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—

मन्त्री महोदय ने बताया कि दूध पैदा करने वालों को कम मूल्य न मिल पाये इसलिये पाबन्दी लगाई तो जो पहले दूध पैदा करने वाले थे उनका कम भाव था ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा निर्धारित भाव पर जिसको यह कमेटी निर्धारित करेगी सारा का सारा दूध लेना चाहिये। वह सारा दूध उठाने के लिये तैयार हैं जो उनके सेन्टर पर पहुंच जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री महोदय इस बात को महसूस करते हैं कि कीमत तय कराने में उत्पादकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये ? यह समिति जो बनी है इसमें दूध उत्पादकों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या उनका प्रतिनिधि इसमें रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

यह कन्ट्रोल आर्डर लागू हो चुका है और इसकी केवल दो महीने ७ दिन मियाद है। अब दूध उत्पादकों के प्रतिनिधि का इसमें समावेश नहीं हो सकता। दिक्कत पड़ेगी और देर भी होगी। किसानों का भी अहित होगा। इसलिये इसके लिये जो कमेटी बनाई गई है वही कार्य करेगी।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं जानता हूं कि दोनों जिले मेरठ और बुलन्दशहर का एक चौथाई दूध भी मिल्क स्कीम नहीं ले रही है। तीन चौथाई दूसरे लोग लेकर भेजते हैं। अगर सब दूध मिल्क स्कीम लेने के लिये तैयार हो तो क्या मन्त्री जी सारा दूध देने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

यदि माननीय सदस्य इस बात की सूचना देंगे कि वहां सारा दूध दिल्ली मिल्क स्कीम का ठेकेदार नहीं उठा रहा है तो जरूर विचार किया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि दिल्ली से दूध की आइस क्रीम बना कर शिमला और पंजाब दूसरी जगह सैकड़ों मन रोज बाहर जाती है ? अगर दूध की वहां पर कमी है तो यह बाहर क्यों जाती है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

आइस क्रीम बनाने पर यहां भी कोई पाबन्दी नहीं है ।

१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह एक समाजवादी दृष्टिकोण रखता है, यह मैं मानता हूं । मैं ऐसा इसलिये कहता हूं चूंकि हमारे वित्त मंत्री जी स्वयं समाजवादी हैं और उनकी समाजवादी विचाराधारा है । वह बात दूसरी है कि धनाभाव के कारण चाहे वह हर चीज की पूर्ति न कर सके हों लेकिन फिर भी यह बजट पिछले साल के बजट से बहुत अच्छा है और इसका मैं समर्थन करता हूं । हर वर्ष इस सदन में बजट आता है और बजट के अवसर पर हमारे माननीय सदस्य हर तरह की बातें यहां रखते हैं । हमेशा पिछड़े हुये इलाके की, गरीब इलाके की और साधनविहीन इलाके की दिक्कत का जिक्र यहां होता है । मैं आशा करता था कि हमारे वित्त मंत्री जी, जो समाजवादी दृष्टिकोण रखते हैं और जो समाजवाद के बड़े अनुयायी हैं वह पूर्वी पिछड़े हुये क्षेत्र का कोई स्पेशल प्राविधान बजट में जरूर करेंगे और एक स्पेशल अनुदान पिछल इलाके के लिये वह बजट में रखेंगे ताकि वह का पिछड़ापन शीघ्र दूर किया जा सके । मान्यवर, मैं आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान उन क्षेत्रों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसको कि केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ा और गरीब इलाका माना है । अभी हाल में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि हमारे प्रदेश के कुछ क्षेत्र विकास के कार्य में बहुत पिछड़े हुये हैं । भारतवर्ष भर में जो पिछले जिले प्लानिंग कमीशन ने बताये हैं उन में केवल हमारे प्रदेश के ही २२ जिले शामिल हैं, यह २२ उत्तर प्रदेश के जिले भारत भर में सब से गरीब हैं और इनमें भी अधिकतर जिले पूर्वी जन पद के ही हैं ।

श्रीमन्, आप के द्वारा एक और बात की तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा । पहले जो अनुदान हमें केन्द्रीय सरकार से मिलते थे, वे रेवेन्यू के आधार पर, आय के आधार पर मिलते थे और चूंकि यू० पी० की आय कम होती थी इसलिये उसको अनुदान कम मिलता था लेकिन अब केन्द्रीय सरकार ने हमारी आवाज को सुना और माना कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में यह अनुदान आबादी के अनुपात से मिलेगा । तो जब केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन इस आधार को मानते है तो हमारे पूर्वी अंचल की आबादी सब से ज्यादा है तो वहां के विकास के लिये अनुदान भी अधिक मिलना चाहिये । पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद ही सब से ज्यादा पिछड़ा इलाका है । कुछ क्षेत्र बुन्देलखंड के और पहाड़ी क्षेत्र के भी पिछड़े हैं लेकिन अभी तक रेवेन्यू के आधार पर और आय के आधार पर अनुदान मिलता था और उसमें हम मारें जाते थे क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब था और वहां से ज्यादा रेवेन्यू

†१२ मई, १९७० की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं मिलती थी लेकिन अब जब कि आबादी का बेसिस माना गया है तो बजट में उन क्षेत्रों के लिये स्पेशल प्राविधान क्यों नहीं किया गया ? यदि आबादी के लिहाज से इस बजट को देखा जाय तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा अनुदान मिलना चाहिये था और वह क्षेत्र स्पेशल अनुदान का मुस्तहक था। अगर पूर्वी क्षेत्र को आबादी के लिहाज से अनुदान नहीं दिया गया तो उस क्षेत्र के साथ ज्यादती होगी। हमारा प्रदेश सात-आठ करोड़ आबादी का प्रदेश है इसमें दो रायें नहीं हैं कि इसका कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आज हमारे देश में जो और सूबे हैं, उनकी आबादी हमारे प्रदेश से बहुत ही कम है। हरियाणा की आबादी १ करोड़ से कम है, पंजाब की १ १/२ करोड़, मद्रास की २ या २ १/२ करोड़, और आंध्र की भी सवा या डेढ़ करोड़ के लगभग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग ८ करोड़ है। सारे देश में यह सब से बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के लिहाज से भी। पापुलेशन बेसिस पर जो केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिया उसका सबसे ज्यादा अनुदान हुआ। इन्डस्ट्री के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से, सड़कों के निर्माण के दृष्टिकोण से यह हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ माना गया है और इस प्रदेश में भी सबसे पिछड़ा हुआ इलाका पूर्वी क्षेत्र है।

केन्द्रीय सरकार ने भी इसे प्रदेश का ही नहीं देश का भी सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा माना है। आज से ३–४ वर्ष पूर्व पटेल आयोग ने भी एक रिपोर्ट दी थी, जो न केवल प्रदेश व केन्द्रीय सरकार के पास है अपितु उसकी हमको भी एक-एक कापी दी गयी थी। उस आयोग ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के इलाके का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक यहां की आमदनी आगे नहीं बढ़ सकती है, और समुचित दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का विकास नहीं किया जाता है। पूर्वी जनपद जैसे आजमगढ़ है, यह एक बड़ा लम्बा-चौड़ा जिला है। यह ७२ मील लम्बा और ७६ मील चौड़ा है। इसकी पापुलेशन २८ लाख है लेकिन आज भी उस जिले में न तो कोई उद्योग है, न कोई ट्रांसपोर्ट है, न कृषि के समुचित साधन हैं और न ही वहां पर समुचित विकास के साधन हैं। यह जिला हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ जिला है। माननीय माल मंत्री जी, जो इस समय सदन में नहीं हैं, पिछले वर्ष मेरे क्षेत्र में गये थे जो विधान सभा का २२२ लालगंज क्षेत्र है, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि ६–७ मील तक पीने के पानी के वहां पर कुए नहीं हैं। वहां पर जो गन्ना पैदा हुआ था वह भी सूखे में सूख गया है। जो बजट सदन में रखा गया है, इसमें इन इलाकों का जिक्र तक नहीं किया गया है जब कि यह आश्वासन दिया गया था कि जितने पिछड़े हुये इलाके हैं उनका पूरा प्रबन्ध इस बजट मे किया जायगा और जो केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिला है, आबादी के आधार पर वह खर्च किया जायगा।

सब से बड़ा सवाल यह है कि बजट बनाने वाले जो हमारे सचिवालय के लोग बैठे हुये हैं, वे देहातों और उन क्षेत्रों की दिक्कतों को नहीं जानते हैं। कम से कम वहां के रहने वालों की क्या आवश्यकतायें हैं, कहां-कहां सड़क की आवश्यकता है, कहां-कहां सिंचाई की आवश्यकता है, और कहां-कहां उद्योग की आवश्यकता है, वे यह नहीं जानते हैं। मगर यह बजट उनके माध्यम से जनता जो रूरल या पिछड़े हुए इलाके के प्रतिनिधि हैं, या वहां के अधिकारी हैं, तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वे इससे वंचित न रहते। तीन पंचवर्षीय योजनायें बीत गयी है और सरकार २०-२२ वर्ष से चल रही है यह सबकी जिम्मेदारी रही है कि चाहे वे माननीय गुप्ता जी हों या चौधरी चरण सिंह जी हों यह सबकी जिम्मेदारी है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी वहां के लोगों को पानी पीने को नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसकी गरीबी दूर हो, लोगों का चरित्र ऊंचा हो, हर इंसान विकसित हो लेकिन २० साल के उपरान्त भी ऐसे इलाके इस प्रदेश में विद्यमान हैं, जहां पर इन्सानों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, विकास के साधन नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट अर्थात् यातायात के साधन नहीं हैं।

मान्यवर, स्वराज्य को कैसे मानेंगे कि हमें स्वराज्य मिला है। उस इलाके की हालत जो २२ साल पहले थी उसकी आज भी वही हालत है। यह जिम्मेदारी सरकार की है। यह सरकार

[श्री त्रिवेणी]

के ऊपर कलंक का टीका है । इसमें भारत सरकार का दोष नहीं है । भारत सरकार ने हमेशा यह कहा कि जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिये स्पेशल अनुदान मांगा जाय और हम अनुदान देने के लिए तैयार हैं । मान्यवर, सेक्रेटेरियट में बैठकर जो बजट बनाया जाता है वह बिना एक्सपीरियंस और अनुभव के बनाया जाता है। जहां सड़कें हैं वहां और सड़कें दे दी हैं । जहां ट्यूबवेल्स हैं वहां और ट्यूबवैल्स दे दिये हैं । जहां नहरें हैं वहां के लिये नहरों का प्राविधान किया जाता है यानी जो साधन जिसके पास है उनको और साधन दे दिये गये ह । जो मोटा है वह और मोटा होता जा रहा है और जो गरीब है वह और गरीब होता जा रहा है । आज पूर्वी जनपद के लोग चीख रहे हैं । उनको भरपेट रोटी नहीं मिलती। मान्यवर, सरकार का परम कत्तव्य है कि जब सरकार ने सारी जिम्मेदारी ली है कि हम पिछड़े हुए इलाकों का विकास करेंगे तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री से कहूंगा कि उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाय जिसको हम पिछड़ापन कहते हैं, जो गरीबी से लदे हुये हैं, जिनक बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, जिनके बच्चे अंधकार में हैं और भूख का जहां नंगा तांडव हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल) (जिला हरदोई)--

जनाब अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो ७०-७१ का बजट पेश है उस पर मैं अपने ख्यालात पेश करना चाहती हूं और उसका विरोध करना चाहती हूं । मैं वित्त मंत्री जी को १९७०-७१ का बजट पेश करने का मुबारकबाद देती हूं लेकिन यह मुबारकबाद मेरी रस्मी रह जाती है कि वित्त मंत्री सूबे का बजट पेश करें और हम लोगों का सब का कर्त्तव्य हो जाता है कि हम मुबारकबाद दें। लेकिन उसके आगे उसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जिसके ऊपर सच्चे दिल से मुबारकबाद दी जाय । खासतौर से जब कि इस पिछले चन्द महीनों से इतने जोर-शोर के साथ समाजवाद क बड़े-बड़े नारे सुन रहे हैं और तमाम वक्त यह कहा जा रहा है कि अब जो सरकार चलेगी वह समाजवादी उसूलों पर चलेगी और जनता को जितना जल्दी से जल्दी होगा फायदा पहुंचाया जायेगा । उसमें इस वक्त जो हमारे वित मंत्री हैं वे उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने यह नारा बुलन्द किया है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि नारों के ऊपर न हुकूमत चल सकती है और न ही उससे संबंधित पार्टी की चल सकती है, अगर सिर्फ नारों पर ही काम चलाया जाय । नारे लगते हैं लेकिन उसके साथ जो काम किया जाता है वह भी उसके साथ वैसा ही होना चाहिये । जनाबेवाला, मैं अर्ज करना चाहती हूं कि गुप्ता सरकार ने तीन बातें की थीं जो बिल्कुल सही तरीके से समाजवादी वसूलों पर थी और जिनके जरिये से हम अपने सूबे को आगे बढ़ा सकते थे । उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वह सवा छः एकड़ की जमीनों पर लगान की छूट थी जिससे गरीब किसानों को मदद पहुंच सके और इससे जो रुपया बचे वह अपनी हालत बेहतर बनाने में खर्च करें। जनाबवाला, वह इस सरकार ने खत्म करके सवा तीन एकड़ कर दिया है और इस बात का शक जाहिर किया है कि सवा छः एकड़ पर मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि वे अन एकानामिक होल्डिंग्स हैं या नहीं । मेरे पास समय नहीं कि मैं इनकी गहराई में जाऊं । पर मैं कहना चाहती हूं कि यह जो कदम उठाया है वह हमारे गांवों के भाईयों के लिए फायदेमन्द नहीं हो सकता । फिर गुप्ता सरकार ने एक पे कमीशन मुकर्रर करने के लिए कहा था क्योंकि कीमतों में इतनी ज्यादा तरक्की होती जा रही है कि बहुत ज्यादा हो गयी हैं जब कि हमारे सरकारी मुलाजिमों का वेतन वही है जो १५-२० साल पहले था । हां कुछ डीयरनेस अलाउन्स आप दे रहे हैं लेकिन अब समय आ गया है कि उसको आप उनके वेतन में मिला दें और फिर से आज की बढ़ी हुई कीमतों के मुताबिक उनका वेतन फिक्स किया जाय । इसके लिए ही गुप्ता जी ने एक वेतन आयोग, पे कमीशन नियुक्त किया था । उसको भी इस सरकार ने खत्म कर दिया ।

माननीय गुप्ता जी न प्रोफेशन टैक्स की माफी का भी एलान किया था । उन्होंने यह सही समझा कि जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर टैक्स का दोहरा बोझ न पड़े उनमें काम करने का ज्यादा से ज्यादा उत्साह हो । इसलिये उन्होंने उसकी माफी की घोषणा की थी । मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाबेवाला कि इस सरकार ने उन आर्डर्स को भी कैंसिल कर दिया । इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो कर्मचारी हैं व यह सोचते हैं कि कम से कम काम करो, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह लो । आज वे कम काम करने लगे हैं । इसलिये जरूरत इस बात की है कि उनके ऊपर दोहरा टैक्स न लगाया जाय और इस प्रोफेशन टैक्स को जिसको कि गुप्ता जी की सरकार ने खत्म किया था खत्म किया जाय । जनाबेवाला, उस तरफ से समाजवाद का बड़ा नारा बुलन्द किया जाता है, लेकिन सच्चे तरीके से अगर पूछा जाय तो जो लोग इस तरफ (विरोध पक्ष) बैठे हैं वे समाजवादी हैं । एक शेर है—"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जब चीरा तो एक कतरये खूं न निकला" तो श्रीमन्, हम बहुत-सी बातें सुना करते थे, मगर आज हम कुछ और ही देख रहे हैं ।

जनाबेवाला, जनाब वित्त मंत्री ने अपनी तकरीर में कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगायेंगे । इससे मुतमइयन नहीं होना चाहिये । कुछ न कुछ टैक्स जरूर वे लगायेंगे। अभी जो केंद्रीय सरकार ने बजट पेश किया उसमें जो खाने पीने की चीजों पर टैक्स बढ़ाये हैं, उसका असर आम जनता पर पड़ा है। इसके खिलाफ बहुत से डेपुटेशन सभी प्रधान मंत्री जी के पास गये हैं और औरतें वहां जाकर मिली हैं । एक घरेलू औरत जानती है कि किस किस चीज पर टैक्स का असर पड़ता है। आज माननीय वित्त मंत्री कितना ही दावा करें कि रहन-सहन का दर्जा बढ़ गया है, मगर वह सही नहीं है, जो कीमतें एक बार बढ़ जाती हैं वे कभी कम नहीं होतीं । चूंकि यह घाटे का बजट है, १७५ करोड़ रुपया चौथी प्लान के लिये चाहिये इसलिये जाहिर है कि किसी न किसी तरीके से रुपया लाया जायेगा । टैक्स जरूर बढ़ेगा जिसके लिये जनता तैयार नहीं है। कहा गया कि सोचा यह जा रहा है कि ३ तरीके से रुपया लाया जायेगा । एक तो इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाने की बात कहते हैं । दूसरे उद्योगों के लिये जो बिजली खरीदता है उस पर लैवी लगाने की सोच रहे हैं। तीसरे शहरों में जो जमीन खाली पड़ी है उस पर लैवी लगाने की बात सरकार सोच रही है। म कहना चाहती हूं कि इससे सूबे का सरासर नुक्सान होगा। मैं इन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाने की क्यों मुखालिफत करती हूं ? दुनिया के मुल्कों ने आज इस चीज को तस्लीम किया है कि हिन्दुस्तान के लोग बहुत ज्यादा गमजदा रहते हैं। वे बहुत कम खुश नजर आते हैं। मैं इन्डोनेशिया गयी थी, मैंने वहां पर देखा कि वहां लोग हर समय खुश नजर आते हैं । हमारे यहां की कुछ फिजां ही गरीबी होने के कारण ऐसी है कि लोग खुश नजर नहीं आते । उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वे कुछ इन्टर-टेनमेंट आदि के बारे में सोच सकें । इन्टरटेनमेंट गरीबों के लिए एक थोड़ी-सी फिजां पैदा करता है उनके इन्ज्वायमेंट की । अगर उसके अंदर भी टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो उनके लिए और कोई चारा नहीं रह जाएगा । इन लोगों के लिए अपना समय अच्छा गुजारने के लिए, जीवन में सुख और चैन पाने के लिए यह साधन बहुत जरूरी हैं । इसलिए मैं अर्ज करना चाहती हूं हूं कि यह टैक्स न बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा । नहीं तो जो लोग यहा के यों ही गमजदा रहते हैं और भी ज्यादा हो जाएंगे ।

दूसरी बात जो उद्योग के सिलसिले में बिजली पर टैक्स बढ़ाने की आप सोच रहे हैं, उससे हमारे उद्योग-धंधे खत्म होने पर आ जाएंगे, जिनके बारे में पहले से ही शिकायत है कि यहां पर उद्योग बहुत कम हैं । इसलिए आप मेहरबानी करके और टैक्स न बढ़ा कर उद्योगों को सूबे में पनपने का मौका दें ।

तीसरी बात यह है कि खाली पड़ी शहरी जमीन पर भी टैक्स नहीं लगाना चाहिये । कहा जाता है कि इस टैक्स के लगने से लोग अपनी खाली जमीन पर जल्दी

[श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)]

जल्दी मकान बनवा लेंगे । लेकिन मैं अर्ज करना चाहती हूं कि यह सरकार पहले से ही रेंट कंट्रोल का समय बढ़ाने की सोच रही है यानी कि जो नये मकान बन रहे हैं उन पर भी यह ऐक्ट लागू होगा । पहले सन् १९५१ तक के बने मकानों पर यह लागू था, अब उसको नये मकानों पर भी लगाया जा रहा है। इस से लोगों के दिल में इत्मीनान नहीं पैदा होगा कि वे जल्दी से मकान बनवायें क्योंकि उनके मकान भी रेंट कंट्रोल में आ जायेंगे । यह जाहिर है कि जब तक किसी आदमी का कोई फायदा न हो कोई अपना रुपया इन में लगाने को तैयार नहीं होगा । खास कर ऐसी हालत में जबकि मकान बनाने वाले सामान ईंट, सीमेंट व लोहे वगैरह के दाम इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी हालत में बिलकुल साफ बात है मकान लोग कम बनवा सकेंगे और कम बनवायेंगे, इसलिये उनकी खाली पड़ी जमीन पर किसी प्रकार का टैक्स लगाना उनके साथ ज्यादती होगी। मुझे इसका अभी अभी का तजुर्बा है। मैंने अपनी कोठी में एक कमरा और गुसलखाना बनवाया है, जिसमें करीबन १० हजार रुपये केवल एक कमरे पर मेरे खर्च हो गये ।

जनाबेवाला, मैं अर्ज करना चाहती हूं बहुत ज्यादा कहा जाता है कि समाजवादी उसूलों पर यह बजट बनाया गया है किन्तु मैं कहती हूं कि यह बात बिलकुल गलत है। यदि यह बजट समाजवादी होता तो उसमें सबसे पहले थोड़ी बहुत बचतकी जाती उस खर्चमें जो मिनिस्टरों पर खर्च किया जाता है । आज मिनिस्टरों की कतार बढ़ती चली जा रही है और उससे उनके खर्च में बढ़ोत्तरी होती जा रही है । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर के बारे म कहा जाता है कि वहां पर एक एक वजीर पर २०–२० हजार रुपया खर्च हो रहा है । उसका आधा भी यदि यहां रख लिया जाए तो इतने मिनिस्टरों पर लाखों रुपया खर्च होता है । अगर उस खर्च में कमी की जाय, तो भारी बचत हो सकती है और वह धन गरीबों के काम में आ सकता है । महात्मा गांधी का सोशलिज्म था––सिम्पिल लीविंग एण्ड हाई थिंकिंग, लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट ने उसे बिलकुल उलट दिया है और आज वह नारा उल्टा हो गया है। हाई लीविंग और सिम्पिल थिंकिंग। सन् ७२ में जो एलेक्शन होंगे, उसमें वह पीढ़ी हिस्सा लेगी, जो महात्मा गांधी के बाद पैदा हुई है, तो यदि हम गांधी जी के बताए सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, उनके आदर्शों के अनुसार नहीं सोचेंगे, उनके उसूलों को अपने सामने नहीं रखेंगे, और अपने काले कामों का जायजा देंगे तो उस नई जनरेशन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा । उनके दिलों से महात्मा गांधी के बारे में इज्जत खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ आप के प्रति रही सही उनकी इज्जत भी खत्म हो जायगी । इसलिये हम अपना ऐसा बजट बनायें और अपने सूबे के लिए ऐसा इंतजाम करें, कि जो नये आदमी वोट देंगे उनको इस बात का यकीन आए कि जो उन्होंने काम चलाया है वह ठीक प्रकार से चल रहा है ।

गुप्ता जी के बारे में कहा गया कि वह पूंजीपति हैं, बैकवर्ड हैं, और उनकी सरकार में प्रदेश में बैकवर्डनेस बनी रही । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि चौधरी चरणसिंह गुप्ता जी की मिनिस्ट्री में २० साल तक मिनिस्टर बने रहे और हमारे वित्त मंत्री भी उनकी मिनिस्टरी में काफी समय तक रहे तो उन्होंने बैकवर्डनेस मिटाने की क्या कोशिश की ? यह मैं उनसे पूछना चाहती हूं । (लाल बत्ती होने पर) मुझे बोलना तो अभी काफी था, लेकिन. . . .

श्री अध्यक्ष––

अभी आप कितना समय और चाहती हैं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)––

१० मिनट और मुझे दें ।

श्री अध्यक्ष––

अच्छा बोलें ।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)—

जनाबेवाला, जहां तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारी महिलाओं को कोई खास फायदा पहुंचे। ५२ लाख के बजट को ७ लाख कर दिया। मैंने गुप्ता जी की सरकार के जमाने में इस बात पर बहुत जोर दिया था कि इन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च किया जाय। कोई स्कीम नहीं बढ़ाई गयी है। महिला मंगल योजना में एक न्यूट्रिशन का प्रोग्राम था, वह भी हटा दिया गया। इम्मारल ट्रैफिक आफ वीमेन का कानून तो बन गया है लेकिन इससे कितना लाभ हमारे सूबे को पहुंचा है। खर्च तो हुआ है रुपया लेकिन उसकी वर्किंग ठीक नहीं है। इस लिए फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। वित्त मंत्री इस वक्त मौजद हैं लेकिन उनको मौजूदा हालत को देख कर यह सोचना चाहिय। महिलाएं जब कि वर्किंग मेम्बर आफ दि फैमिली हो गयी हैं उसी तरह से काम कर रही ह जैसे मर्द काम कर रहे हैं, ५० फीसदी औरतें काम कर रहीं हैं, उस ट्रेड को देख कर उनको कुछ इंतजाम करना चाहिये। हमारे यहां, शहरों, गांवों और कस्बों में कोई वोमेन्स हास्टल या रहने का खास इन्तजाम नहीं है। जो बाहर से लड़कियां काम करने आती हैं, कोई उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, वह कहां रहें। इसका प्रबन्ध करना चाहिये कि औरतें बच्चों को क्रेशेज में छोड़ कर जायं, जहां उनके बच्चों की देखभाल हो। यह चीजें हैं जिनकी तरफ खयाल करना चाहिये।

फेमिली प्लानिंग के सिलसिले में आपने तकरीर में कहा कि ८ करोड़ हमने रखा है। रखा है लेकिन किस तरह से खर्च किया जा रहा है हमें नहीं मालूम, फैमिली प्लानिंग का क्या असर हो रहा है उसकी बाबत कोई रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन जाती तौर पर सोशल वर्कर होने के नाते मुझे पूरे तरीके से अन्दाजा है कि जितना रुपया रखा जाता है वह जिस तरह भी खर्च किया जाय उसके नतायज वह नहीं हैं जो हमें मिलने चाहिये।

जनाबेवाला, मैं ला ऐंड आर्डर के सिलसिले में भी कुछ अर्ज करना चाहती हूं। नान प्लान आइटम्स में करीब-करीब दो करोड़ रुपया रखा गया है। लेकिन उसमें करीब १ करोड़ ३० लाख रुपया सिर्फ पुलिस डिपार्टमेन्ट के लिए रखा गया है। इसका मतलब यह है कि दूसरे डिपार्टमेन्ट्स को स्टार्व करके पुलिस को इतना रुपया दिया जा रहा है। नान प्लान में यह किस वजह से दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है जब कि इतना रुपया यों ही खर्च होता है। जो हालत है आप खुद जानते हैं। रात दिन शोर मचता है कि अभी पुलिस की जहनियत नहीं बदली है। यह जरूर है कि अगर हमारे तालिबइल्म खतावार हैं, तो उनको यह मान कर चलना चाहिये, कि हमने ऐसे हालत क्रिएट किये हैं जिससे पुलिस का बुलाया जाना जरूरी है। अगर हम बलावा करते हैं तो हम मानना चाहिये कि पुलिस का आना जरूरी है। लेकिन उसक बावजूद जो हमारे यहां रिपोर्ट दी जा रही है, पुलिस का जितना भी काम है उसमें जितनी कार्यवाहियां हो रही हैं, चन्द फीगर्स मैं रखना चाहती हूं, ला ऐंड आर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। हमारे यहां डकैतियां १९६७ में २ हजार १८० हुईं, १९६८ में २ हजार २९० हुईं, और सन् १९६९ में २,३७६ हैं। इसी तरह से लूट के मामले ६७,६८ व ६९ में हुए ३,२९७, ३,२९९, ३,३२२। कत्ल हुए २,७५२, २,९२८, ३,२८४ रायटस हुए ७,१६२, ७,११४ और ७,१५८। चोरियां तथा बरगलरीज ६७,६८ तथा ६९ में हुई ३८,७६६,३५, ८५ तथा ३१,६१०। ये वे आंकड़े हैं जो सरकार की तरफ से दिये गये हैं इसके अलावा बहुत से वाकयात का इन्दराज ही नहीं किया जाता। मुझे जाती तजुर्बा है देहात में अपनी कान्स्टीट्युएंसी में फिरने का। रात दिन का रोना यह है कि पुलिस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। इसके बावजूद इतना रुपया और खर्च किया जा रहा है। लिहाजा इन बातों पर सही तरीके से गौर करना चाहिये। गांव वालों की इक्तसादी हालत बेहतर होती चली जा रही है लेकिन उनका रुपया मुकदमेबाजी में रिश्वतबाजी में, और सरकारी कारकुनान की जेबें भरने में खर्च हो रहा है।

[श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)]

शुगर मिलों की बाबत बहुत शोर सुना जा रहा था उनको नेशनलाइज करने के बारे में। जल्दबाजी में मिलों को ले लिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया और अभी हमारे सामने साफ तस्वीर नहीं आई है कि शुगर मिलों का क्या होगा। फिर भी रुपया फंस गया है साढ़े ३ करोड़ जो १२ रिसीवर्स के सुपुर्द किया गया था और उनको चलाने के लिये बैंकों को सेक्योरिटि की है १०, १२ करोड़ रुपये की मिलों को कर्ज देने के लिये। गुप्ता ज ने कहा था कि अगर शुगर मिलों को नेशनलाइज करना है तो पहले एटार्नी जनरल की राय ले ली जाय लेकिन सेंटर ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। और यह कहा कि अगर स्टेट चाहे तो नेशनलाइज कर सकती है। जब यह सरकार आई तो कहा मत लो, यह ठीक नहीं है कि सूबे की सरकार का लेना। इसका यह मतलब है कि सेंटर पार्शियालिटी बरत रही है। गुप्ता जी के जमाने में ही सही राय दे देनी चाहिये थी।

बैंक नेशनलाइजेशन का भी बड़ा शोर मचा। मैं उम्मीद करती हूं कि उस से हमारे सूबे को जरूर फायदा होगा। ६७ में पूरे मुल्क में जितने डिपाजिट हुये थे उनका ७ फीसदी हमारे सूबे का डिपाजिट हुआ था लेकिन जब वह तकसीम किया गया तो सिर्फ ४ फीसदी हमारे सूबे को मिला ३ फीसदी जो हमारे सूबे में जमा हुआ था वह दूसरे सूबों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस पार्शियालिटी को दूर करना चाहिये। अब जो यहां स्टेट बैकवर्ड है तो सही मानी में उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस ओर खयाल किया जाय।

इरीगेशन के मुताल्लिक मैं यह बतलाना चाहती हूं कि दो बड़े प्रोजेक्ट्स चलाये गये रामगंगा तथा गंडक ६४ व ६५ में। रामगंगा प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेंट २६ करोड़ का था वह १२० करोड़ तक पहुंच गया है और न मालूम कितना अभी और खर्च होगा। टारगेट सन् ७२ का रखा गया है लेकिन मैंने देखा कि प्लान में रुपये का कोई प्राविजन नहीं किया गया है तो कैसे टारगेट डेट्स पर काम पूरा हो सकेगा ?

जनाबेवाला, मैं अर्ज कर रही थी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझ बोलने का थोड़ा वक्त और दिया। जनाबेवाला, सरकार ने जो इलाहाबाद, बनारस और मथुरा में जो दरिया के किनारे वाले क्षेत्रों में शराब-बन्दी की है उससे कोई फायदा प्रदेश को होने वाला नहीं है क्यों कि वहां से स्मगलिंग होने की संभावना है। इससे १ करोड़ ७० लाख रुपये का नुकसान हो जायेगा लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। प्राविधान किया है वह जायज नहीं मालूम होता।

उर्दू के मुताल्लिक मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे जो वित्त के वजीर हैं उन्होंने उर्दू के प्रति बड़ी हमदरदी का इजहार किया है। जब गुप्त जी की सरकार के जमाने में अहकाम जारी हुये थे और उस में जितने भी जजमेंट होंगे जो दरख्वास्तें दी जायेंगी वे उर्दू में भी की जायेंगी। मैं उम्मीद करती हूं उन अहकामों को सरकार ने उसे वापस नहीं लिया है और इस में १२ लाख रुपये की रकम सरकार ने रखी है। यही १२ लाख रुपया गुप्ता सरकार ने भी रखा था। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि पिछले साल चौधरी चरण सिंह ने यहां बैठकर यह फरमाया था कि यह बजट इतनी सख्त हिन्दी में लिखा गया है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता है और मैं इसे नहीं पढ़ पा सकता हूं। लेकिन आज चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर हैं और मैं यह उम्मीद करती थी कि जरूरी ही यह बजट सीधे-साधे अल्फाजों में होगा, मामूली हिन्दी में होगा और उसकी कुछ कापियां भी मिल सकेंगी ताकि इस बजट को पढ़कर और समझ कर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें मगर मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीया बगम एजाज रसूल ने कहा कि इतनी लम्बी मिनिस्ट्री बढ़ा दी है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हम तो ३६ की स्ट्रेन्थ है किन्तु वे भी मिनिस्टर रही हैं जब कि उनकी स्ट्रेंग्थ ३८ आमदियों की थी ।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)—

अभी आपकी मिनिस्टरी और बढ़ रही है, जनाबेवाला ।

*श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये ।)

कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । हमारी वित्त मंत्री जी बड़े उत्साही हैं कर्मठ हैं, समाजवादी भी हैं लेकिन मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने कोई यह बजट अपने मन से बनाया है ? मुझे इसमें संदेह है । बजट में कहीं-कहीं पर समाजवादी दृष्टिकोण का समावेश है । इसक जिम्मेदार वही हैं लेकिन वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों और लक्ष्यों को देखने से मुझे आश्चर्य होता है और पीड़ा होती है ।

उत्तर प्रदेश में २२ जिले पिछड़े हुये हैं और उसमें रायबरेली एक ऐसा जिला है जो सबसे पिछड़ा है किन्तु कर की दृष्टि से, अनुदान की दृष्टि से देखा जाय तो इसकी तरफ सबसे कम ध्यान दिया जाता है। मैं १९६७ से बराबर लगातार यह चेतावनी देता चला आ आ रहा हूं किन्तु अभी तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिन्डीकेटी सरकार भी रही, ज्वाइन्ट सरकार भी रही और अब यह हमारी सरकार है बी०के०डी० प्लस इन्डीकेटी । मुझे दुख है कि इसके बावजूद भी, मेरी प्रार्थनाओं, चेतावनियों और आग्रहों के कोई भी ध्यान रायबरेली जिले की ओर नहीं दिया गया है और न दिया जाता है । मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों उसके साथ इनकी दुश्मनी है । क्या वफादारी का इनाम बेवकूफ बनाना है ? क्या वफादारी का इनाम यही आज रायबरेली को मिला है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है ? इसका मुझे दुख है । मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप थोड़ा-सा इस ओर ध्यान दें वरना हम अगर अंग्रेजों के वक्त लड़ाई लड़ सकते थे तो अभी भी लड़ सकते हैं । वह १४ लाख की आबादी का जिला है वे सब लड़ाई लड़ने के लिये कमर कसेंगे । यद्यपि हमारा आन्दोलन अहिंसात्मक होगा लेकिन वह आपको नाकों चने चबवा देगा ।

आपने इस सदन में राज्य कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा है । यह सभी जानते हैं कि राज्य कर्मचारियों के असंतुष्ट होने के कारण प्रदेश तबाह हो रहा है । कोई भी काम समय से नहीं हो पाता । उस उत्साह और लगन के साथ नहीं हो पाता जो होना चाहिये । इसका एक मुख्य कारण है वह यह है कि राज्य कर्मचारी असन्तुष्ट हैं । वह फर्ज अदायगी के लिये भले कोई काम करे लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता । सरकार को उसका कारण खोज कर उसको संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

समाजवादी बजट में सब को उन्नति का समान अवसर मिलना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने श्रमजीवियों को क्या रिलीफ दिया है । आपने पत्रकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । पत्रकारों ने राजनीतिज्ञों से कम देश की सेवा नहीं की है । इस देश को आजाद कराने में उन्होंने बड़ा योगदान किया है । सरकार, समाज और जनता के स्वार्थों का उसने समन्वय किया है । वे समाज के एक महान् सेवक हैं । आजाद भारत में उनकी निरन्तर उपेक्षा की जाती रही है । अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह पत्रकारों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मदनमोहन मिश्रा]

की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। जब पत्रकारों का मनोबल ऊंचा होगा तो इस प्रदेश की ९ करोड़ जनता में एक उत्साह का वातावरण उत्पन्न हो जायगा। जो चीज आप नहीं कर पाते हैं, वह पत्रकार कर देगा। वह जनता में जीवन फूंक देगा और उस चीज को पूरी कर देगा जो आप नहीं कर पाये हैं।

इसी प्रकार से साहित्यकार, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिये। उस से इस प्रदेश के मनोबल को ऊंचा उठने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

विद्यार्थियों और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में कई दिनों से चर्चा चल रही है। विद्यार्थी, अध्यापक और गार्जियन ये तीनों इन्टर रिलेटेड हैं। लेकिन विद्यार्थी जो आज पढ़ कर निकले ह उनको कोई काम नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि उनको निराशा होती है और जब वह निराश होता है तो अराजक तत्व उनको गलत प्रेरणा देकर गलत काम उनसे कराते हैं। परिणामस्वरूप समाज में विश्रृंखलता पैदा होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि छठी क्लास के बजाय वे १०वीं क्लास तक के बच्चों की फीस माफ करें।

विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति आस्थावान बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिये ५ या १० नम्बर दिये जायं। इससे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ सभी स्कूलों में और गांवों में अखाड़े खुदवाये जायं और लोगों को प्रेरित किया जाय कि अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिये कसरत करना और कुश्ती लड़ना आवश्यक है। इससे यहां के निवासियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और अगर इस प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा होगा।

इसी तरह से अध्यापकों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अध्यापक ने इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया लेकिन आजादी के बाद उसकी उपेक्षा की गयी। नतीजा यह हुआ कि आज वह फ्रस्ट्रेटेड है कि आजाद भारत में जो हमारा ड्यू है वह नहीं मिल रहा है। इसलिये अध्यापक आज असंतुष्ट है। उसके मन में एक बहुत बड़ी ग्लानि है कि उसको कोई भी प्रोत्साहन जो राज्य की तरफ से मिलना चाहिये वह आज तक नहीं मिला।

अब रहा गार्जियन। वह तो बहुत ही परेशान है। आज की आर्थिक समस्यायें इतनी जटिल हैं कि वह खाने-कमाने के अलावा न तो बच्चों की देखभाल कर पाता है, न कोई जानकारी उनकी पढ़ाई के बारे में प्राप्त कर सकता है और न स्वयं ही बैठ कर उनको पढ़ा सकता है। वह रोटी के प्रश्न में ही उलझा रहता है। इसलिये यह राज्य का कर्त्तव्य होना चाहिये कि विद्यार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर वह ध्यान दे।

एक चीज और कहना चाहता हूं। आज बहुत रुपया बिल्डिगों में बरबाद हो रहा है। मैं समाजवादियों से जानना चाहता हूं कि क्या पक्के कमरों और स्कूल की पक्की बिल्डिगों में ही समाजवाद है? क्या आप पेड़ों के नीचे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? क्या कभी हमारे पूर्वजों ने पेड़ों के नीचे नहीं पढ़ा? क्या हमारे ऋषि और मुनि जो आप दो-दो और चार-चार लाख की बिल्डिगें बनाते हैं उनमें बैठ कर पढ़ा करते थे? मैं कहूंगा कि केवल विज्ञान की प्रयोगशाला के लिये तो पक्की इमारतों का इन्तजाम रखें लेकिन बाकी के लिये आप इंट्रोड्यूस कीजिये कि पेड़ों के नीचे या छप्परों के नीचे बैठ कर शिक्षा दी जाय। इससे उनको स्वच्छ वातावरण मिलेगा और मैं समझता हूं कोई शान शौकत में भी बट्टा नहीं लगेगा। अमरीका और इंग्लैंड की हर चीज में नकल करना वांछनीय नहीं है मेरी नजरों में।

एक बात और कह दूं नहीं भूल जाऊंगा। पुलिस वालों की अक्सर आलोचनायें की जाती हैं। लेकिन इसका मूल कारण क्या है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पुलिस का कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल है जो बन्दूक ले कर डकैतों का मुकाबला करता है, जो गुंडों और

अराजक तत्वों का मुकबला करता है उसकी तनख्वाह आपने खाने लायक आज तक नहीं दी तो आप कैसे उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा ? इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि खाने भर के लिये पर्याप्त वेतन और एलाउन्सेज उसको मिलने चाहिये। इससे उसको प्रेरणा मिलेगी और वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकेगा।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान कौंसिल हाउस गार्ड्स की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनको आप ६०–१–८० का वेतन न मालूम कब से दे रहे हैं। पहले इनका वेतन पुलिस कांस्टेबुल के मुकाबले ४ रुपये अधिक था लेकिन उसके बाद फिर बाबू सम्पूर्णानन्द ने एक कमीशन बिठाया। सबकी तनख्वाहें तो बढ़ गयीं लेकिन इन बेचारे कौंसिल हाउस गार्ड्स का वेतन बढ़ाने में पता नहीं उसमें क्या नुकसान होता था। ये सबसे ज्यादा ड्यूटी दें, सबसे ज्यादा ऐक्टिव रहें लेकिन ये न इधर के रहे न उधर के और ये समाजवादी लोग इन बेचारों को भूल गये। यदि आपकी ड्यूटी देते हैं तो कौंसिल हाउस गार्डों की तनख्वाह आप बढ़ायें अगर आप वास्तव में समाजवादी हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं। क्लास ४ के जो चपरासी हैं उनके बारे में भी प्रार्थना करना चाहता हूं और मिनिस्टर साहबान से विशेष प्रकार से कि चपरासियों से घर का काम न लिया जाय। २४ घंटे क्लास ४ के चपरासियों को अपनी ड्यूटी में न जोते रहें, मगर आप लोग उनको २४ घंटे काम में लगाये रखते हैं। आप क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं ? वे भी इंसान हैं और इसी भारतवर्ष में पैदा हुये हैं, लेकिन गरीब जरूर हैं। उनके गरीबी के कारण ही आप यह बात कर रहे हैं। तो क्या आप उन गरीबों की ओर कभी देखेंगे ? क्या चपरासी मनुष्य नहीं हैं ? वह भी अपने देश में आजादी का लाभ उठाना चाहते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि क्लास ४ के जो चपरासी और चौकीदार हैं उनकी ओर निगाह उठा कर देखें और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें।

अब मैं अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपकी स्कीमें चाहे जितनी लम्बी-चौड़ी हों, लेकिन उनका इम्पलीमेन्टेशन आपके हाथ में नहीं है, वह अफसरों के हाथ में है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो आपके पुराने अधिकारी हैं और जो नये अधिकारी आ रहे हैं, उनकी भी उमंगें हैं, उनके भी हृदय हैं और वह देश की कुशलता चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो बुड्ढे आफिसर पहले से जमे बैठे हैं वे उनको बेईमानी करने के लिये मजबूर करते हैं और उनके कैरेक्टर रोल में गलत इन्ट्री कर देते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि आप यह शर्त लगा दें कि जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको आउट आफ दी टर्न जा कर प्रोमोशन दिया जायेगा। इससे पुराने अफसरों में और नये अफसरों में एक कम्पटीशन की भावना पैदा होगी अच्छा काम करने की और इससे देश का और प्रदेश का हित होगा। जो नये लड़के पढ़-पढ़ कर आ रहे हैं वह हमारे दुश्मन नहीं हैं। मुझे खुशी है कि अब आप आ गये हैं, मुझे बोलने के लिये कुछ ज्यादा समय मिल जायेगा।

अब मैं उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं कि बंगाल में अराजकता पैदा हो रही है और वहां से उद्योगपति भाग रहे हैं। उनको आप आकर्षण दें जिससे वे यहां आ कर अपने उद्योगों की स्थापना कर सकें। मुझे दुख है कि रायबरेली में आज तक कोई उद्योग नहीं खोला गया। इस बजट में एक सूती मिल का जिक्र आया है लेकिन हमको मेरठ और गाजियाबाद पनपने नहीं देते हैं। जो उद्योग आते हैं सब मेरठ और गाजियाबाद चले जाते हैं। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि आखिर और भी तो जिले उत्तर प्रदेश में हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि रायबरेली की गरीबी को दूर करने के लिये, वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुलवाने की कृपा करें। श्रीमन्, सूती उद्योग में जो मिलें आई हैं वह कहीं अधर में न लटक जायं। इसके साथ ही साथ हमारे सिंचाई मन्त्री बैठे हैं मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि लिफ्ट इर्रीगेशन की जो स्कीम है इसका रेट किसानों से वही चार्ज किया जाय जो नहर का होता है। सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन है कि कुचरिया-उतरपारा रोड ढाई मील है और उसके लिये मैंने धर्म सिंह जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने उसके लिये वादा भी किया था किन्तु मैंने जब बजट देखा तो उसे वह नहीं ले सके इसका मुझे

[श्री मदनमोहन मिश्रा]

दुख है। कुचरिया उतरपारा रोड ढाई मील, रायबरेली-फैजाबाद ९ मील, रायबरेली-परशदेपुर रोड और जगतपुर-डलमऊ-सलोन रोड जो २४ मील है इनको आप कृपा कर बनवा दें ताकि जनता को यातायात का साधन हो सके। नवीन नार्मलस कूल के पास से उमरा रोड २ मील है और रायबरेली, मलिकमऊआइमा—रुस्तमपुर रोड को भी कृपया आप जल्द से जल्द बनवायें जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। नगरपालिका के बारे में मैं कहता चाहूंगा कि एक शिविर की स्कीम आपने पास कर दी लेकिन वह बनी नहीं और उसकी वजह से सड़कें नहीं बन पा रही हैं। तो शिविर को बनवा कर उन सड़कों को भी बनवा दें। श्रीमन्, एक वाटर टैंक है जिससे वहां लोगों को पानी नहीं मिल पाता कृपया एक टैंक और दे दें जिससे वहां की पानी की समस्या दूर हो सके। तमाम सड़कों और गलियों में रोशनी नहीं है। विद्यार्थी, किसान और मजदूर गलियों में अंधेरे में ठो कर खाकर गिर पड़ते हैं। वहां आप बिजली का इन्तजाम कराने की कृपा करें। इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां आई०टी०आई० में स्टेनोग्राफी और मोटर मेकेनिक के कोर्स की भी व्यवस्था कराई जाय ताकि लोग इन कामों को भी सीख सकें और रोजगार पा सकें मान्यवर, कल तो आपने ४०, ४० मिनट दिया था आज आधा घन्टा तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट पर बहस होगी तो अवसर दिया जायगा।

श्री मदन मोहन मिश्रा—

मान्यवर, मुझे बहुत कहना है। मैं तो यही कहूंगा कि आपने मुझे कहने न दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

कल कम लोग बोलने वाले थे आज बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और कल और अधिक होगी। इसी कारण समय निर्धारित कर दिया गया है। आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

विरोधी पक्ष में बैठ कर मैं सरकारी पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव आये उनका विरोध करता रहूं ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं। आपके बजट में जो अच्छी बातें हैं, जनहित में हैं उनकी मैं सराहना करता हूं और करूंगा लेकिन जो जनहित में नहीं हैं और जनता के कल्याण की जिनमें अब हेलना की गई है उनकी नुक्ताचीनी मैं जरूर करूंगा। मैंने बजट पर शुरू से आखिर तक जो निगाह डाली तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि न तो यह बजट समाजवादी है और न जनता के हित में बनाया गया है बल्कि इसमें एक ध्वनि यह आती है कि यह पालिटिकली मोटिवेटेड है और इसमें राजनीति भरी हुई है। आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सी पोस्ट क्रिएट की गई हैं। वह पोस्ट सिर्फ इसलिये क्रिएट की गयी हैं कि अपने आदमियों को उसमें रखा जाय और अपनी पार्टी का प्रोपेगैंडा हो सके। बजट बनाते वक्त यह भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि कौन सी मद आवश्यक है और कौन सी अनावश्यक, किसमें खर्चा कम होना चाहिये, किसमें ज्यादा बढ़ाना चाहिये। आप जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिये सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य और शिक्षा है मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि चिकित्सा के आइटम में और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के आइटम में बड़ी कमी हुई। चिकित्सा में १ करोड़ ३८ लाख, स्वास्थ्य में ३ करोड़ और शिक्षा में ४.४६ लाख की कमी हुई है, यह बहुत ही अनुचित है। मैं बराबर देख रहा हूं कि चिकित्सा की बराबर अवहेलना हो रही है। अस्पताल बने हुये हैं लेकिन उनमें नर्सेज की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहां के मरीजों को बड़ी असुविधा होती है। दूसरे, अपनी जगह कुछ एक्सरे प्लांट और बड़ी-बड़ी मशीनरी लगा रखी हैं लेकिन कोई टेक्निशियन न होने की वजह से वह मशीनें खराब होती रहती हैं और धन का बराबर दुरुपयोग हो रहा है और आपकी जरा भी तवज्जह नहीं है।

दूसरे, एक बड़ी खास बात यह है कि हमारे इस विभाग में बहुत ज्यादा पैसे की बरबादी और चोरी होती है जैसा कि कुछ दिन पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिये कोई मेडिकल आडिट की व्यवस्था होनी चाहिये और उन्होंने उसमें यह लिखा था कि मेडिकल डिपार्टमेंट में वेस्टेज और पिल्फरेज उतना ही ज्यादा होता है जितना इसमें ज्यादा प्राविजन किया जाता है। इसमें रोकथाम की जाय तो मौजूदा बजट से ही बहुत कुछ कमी पूरी हो सकती है, किन्तु हमारी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कोई कारण नहीं है कि स्वास्थ्य की इतनी अवहेलना की जाय। आप देखेंगे कि मरीजों के खाने–पीने का और नर्सेज की ट्रेनिंग का जहां तक सवाल है इन सब में किफायत की गयी है जो बहुत ही ज्यादा अनुचित है इसके विपरीत उसकी कुछ मदें ऐसी हैं जो बिलकुल अनावश्यक हैं और जिनमें पैसे की बरबादी हो रही है। मिसाल के तौर पर अपने अनुभव से कहता हूं और मुझे विभागीय अधिकारियों से भी मालूम हुआ कि समाज कल्याण की कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है सिवाय इसके कि एक राजनैतिक महत्व है। ६० लाख रुपया जो प्रतिवर्ष इस पर खर्च होता है वह बिल्कुल बेकार है अतः इस विभाग को समाप्त ही कर देना चाहिये। बजाय इसके कि इस विभाग के खर्चे में कुछ कमी करते, इस साल आपने ६ लाख की वृद्धि कर दी है, यह बिलकुल अनुचित और धन का दुरुपयोग है। दूसरा एक महकमा है नागरिक सुरक्षा का। इसकी जरूरत वास्तव में आपत्ति काल में होती है, आजकल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर हमारी काफी बड़ी रकम खर्च हो जाती है, लगभग २ करोड़ ४० लाख। अधिकारी कहते हैं कि जब हमारी सरकार यह पैसा बरबाद करना चाहती है तो हम क्या करें? होता यह है कि जिलाधिकारियों के पेशकार, क्लर्क और चपरासी जिनकी वह मदद करना चाहते हैं उनको होम-गार्ड्स में भर्ती कर लेते हैं। उससे दो नुकसान होते हैं—एक तो व्यर्थ में पैसा खर्च होता है, दूसरे उनके विभागों के कार्य में बाधा पड़ती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इन आइटम्स को सोच कर निकाल दिया जाय।

एक इन्स्सटीट्यूशन हमारे यहां और है और उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि वह बड़ा भारी करेप्शन का गढ़ है और वह है बी०डी०ओ०। कहा जाता है कि वह जनता की सेवा के लिये है। किन्तु उनका काम सिर्फ यही है कि कैसे काश्तकारों को परेशान करें और इसमें कोई मतभेद नहीं है। वास्तव में उनको सी०डी०ओ० (करप्शन डेवलपमेन्ट आफीसर) कहना चाहिये। यह पोस्ट बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है और इसको तुरन्त ही समाप्त कर देना चाहिये और इससे जो पैसा बचे उसका सदुपयोग कहीं और किया जा सकता है जहां पर आवश्यक हो। हमारे वित्त मन्त्री ने यद्यपि यह कहा है कि इस समय हम कोई कर नहीं लगाने जा रहे हैं परन्तु उनके वक्तव्य से यह आभास होता है कि शीघ्र ही कोई न कोई कर हमारे ऊपर लगा देंगे क्योंकि योजनाओं के लिये हमको साधन जुटाने पड़ते हैं और उसके लिये पैसे की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा.....

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई मंत्री सदन में बैठ कर फाइलों को निपटा सकता है और सदन की कार्यवाही को यों ही.....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई बजट से सम्बन्धित फाइलें हैं तो वह उनको यहां पर देख सकता है। यह क्वेश्चन हाइपोथीटिकल है।

श्री उमा शंकर शुक्ला—

जहां पर इकोनोमी की जा सकती है वहां उनको यह करना चाहिये बजाय यह सोचा जाय कि नये कर लगावें। एक आवश्यक बात यह है कि हमारे बहुत अधिक एरियर्स इकट्ठे हो गये हैं और हर साल ये इकट्ठे ही होते जा रहे हैं उनकी वसूलयाबी के प्रयत्न किये जाने चाहिये।

[श्री उमाशंकर शुक्ला]

यह ठीक है कि सरकार के सामने कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं जिनसे उनको वसूल करने में दिक्कत होती है अथवा उनके दिल में किसी के प्रति मुरव्वत आ जाती है। मेरा यह खयाल है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके बारे में इसके पूर्व के बजट में भी मैंने सजेस्ट किया था कि उन आइटम्स में कर को बढ़ाया जा सकता है और आज भी मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूं। अंग्रेजी शराब की दुकानों का वार्षिक नीलाम किया जाय। आज तो ये दुकानें कुछ ही लोगों की मोनोपली हो गई हैं। अगर इनको हर वर्ष नीलाम किया जायगा तो सरकार की काफी इनकम बढ़ जायेगी और इससे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है हालांकि मैं इस राय का हूं कि शराबबन्दी पूरी तरह से हर स्थान पर लागू की जाय।

एक और आइटम है और वह यह है कि आर्म्स के लाइसेन्सों पर फीस की दर को बढ़ा दिया जाय। मान लीजिये कि अगर यह ५ रु० है तो इसको आप ५० रु० आसानी के साथ कर सकते हैं क्योंकि लाइसेन्स रखने वाले पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनको यह रकम मालूम भी नहीं होगी। ऐसे लोगों से बीसियों मदों में रुपया लिया जाता है, कहीं दंगल है और कहीं टूर्नामेंट हैं और वे रुपया देते रहते हैं। अगर इनकी फीस को बढ़ा दिया जाय तो लाइसेन्स के रखने वालों को जरा भी नहीं खलेगा और वे तब भी देते रहेंगे। मेरा यही अनुग्रह है कि नये करों को बढ़ाने के पूर्व इन सभी चीजों पर सरकार को विचार कर लेना चाहिये। अब मैं आपको बतलाऊं कि बजट की एक बात मुझे बहुत खटकती है जिससे मुझे बहुत तकलीफ भी हुई। मैंने यह देखा कि आवश्यकताओं का कुछ ख्याल न करके हर चीज को राजनीतिक दृष्टि-कोण से लिया गया है। खास तौर से मेरे जिले के मुतालिक जो इम्प्रूवमेंट वर्क्स हुये हैं उनको मैंने देखा तो पाया कि जो हल्के उन सदस्यों के हैं जो सरकार के तरफदार हैं वहां तो काफी इम्प्रूवमेंट वर्क्स हुये हैं और दूसरी जगहों पर इम्प्रूवमेंट वर्क नहीं रखे गये हैं किसी किस्म के। यह तंगनजरी मुनासिब नहीं है। जब आप हमारे राज्य का संचालन करते हैं तो आपको सबके साथ समभाव से बर्ताव करना चाहिये। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आपके लिये यह मुनासिब नहीं है। जिन क्षेत्रों की आज आप अवहेलना कर रहे हैं, आगामी आम चुनाव में आप उनसे क्या आशा कर सकते हैं? कौन जानता है कि आगे क्या होगा। मेरे यहां शाहजहांपुर जिले से बी०के०डी० के जितने कैंडिडेट खड़े हुये उन सबकी जमानतें जब्त हुईं और अगर आपका यही रवैया रहा तो मेरे खयाल से स्थिति में कोई सुधार न हो पायेगा। मैं यह आशा करता था कि सब भेदभावों को भुला कर आगे कोई काम किया जायेगा।

अन्त में मैं एक विषय की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने अभी बतलाया था कि गर्रा नदी की बाढ़ से हमारे यहां अजीजगंज मुहल्ले का बड़ा नुकसान हुआ और हरिजनों की एक बस्ती पूरी की पूरी साफ हो गयी। मैंने सरकार को तार दिया, लिखा पढ़ी भी की और आज मंत्री महोदय से पूछा तो वे कहते हैं कि मुझे कोई सूचना नहीं है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी और न मैं कुछ करने के लिये तैयार हूं। मैं आपके द्वारा उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर वे गम्भीरता के साथ सोचें। कई जानें चली गयीं, लाखों रुपये का नुक्सान हुआ और फिर बरसात आ रही है और इसलिये मेरा निवेदन है कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे फिर उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उधर से यह कहा गया कि बजट समाजवादी नहीं है। खास तौर से अभी बेगम साहब बोल रही थीं तो वे यह कह रही थीं यह बजट समाजवादी नहीं है और जिस सरकार में वे शामिल थीं उसकी तारीफ कर रही थीं। वे यह भी कह रही थीं कि मिनिस्टरी

बहुत बड़ी हो गई । उनको याद होगा कि पहले जब वे विधान सभा में थीं और खास तौर से जब गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी मिनिस्टरी में ५२ सदस्य थे । उनके खयाल से यह बजट समाजवादी नहीं है और वे अपने लिये समाजवादी होने का दम भरती हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में गुप्ता सरकार बराबर आनाकानी करती रही और उसके लिये कोई भी कदम नहीं उठाया गया । इसके लिये यही कहा जाता रहा कि इसको सेंटर की सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती, यही बहाना वे बराबर लेते रहे । समाजवाद की बात कहना और दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान है, मैं एक निवेदन उनसे आपके जरिये करना चाहता हूं । वह कहती थीं कि यह बजट समाजवादी नहीं है । गरीबों और आम जनता के लिये सिंचाई तथा दूसरे प्रबन्ध करने के लिये जिस बजट का लगभग ७० प्रतिशत खर्च होता हो अगर वह बजट समाजवादी नहीं है तो कौन-सा बजट समाजवादी होगा ? तो यह बजट समाजवादी है और सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है ।

यह कहा जाता है कि जमीन गरीब भूमिहीनों को मिलनी चाहिये । मैं भी इसके हक में हूं और यह सरकार भी इसके हक में है । चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं जल्दी-जल्दी कहूंगा । एक आदेश गुप्ता जी की सरकार से प्रसारित हुआ कि गांव सभाओं की भूमि जो ६ प्रकार की है उसमें से सिर्फ श्रेणी ५ में से ८ प्रतिशत काट कर भूमिहीनों को देनी चाहिये । वह आदेश गलत था । जो ६ श्रेणी हैं वह यह हैं—श्रेणी १–भूमिधरी, श्रेणी–२ सीरदारी, श्रेणी–३ और–४ असामी, श्रेणी–५ ऊसर-बंजर और श्रेणी–६ में रिजर्वेशन है । चकबन्दी के बाद रिजर्वेशन बढ़ा है । लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकाला गया । वह सरकार समाजवादी नहीं थी । भूमिहीनों को भूमि नहीं देना चाहती थी इसलिये ऐसा आदेश कर दिया कि श्रेणी–५ में से काटकर ८ प्रतिशत भूमिहीनों को देनी चाहिये । मेरा दावा यह है कि सारे उत्तर प्रदेश में श्रेणी ५ में ८ प्रतिशत काटकर एक बीघा भी भूमि नहीं निकलेगी । इस आदेश में संशोधन होना चाहिये और यह होना चाहिये कि श्रेणी ५ और ६ दोनों को मिलाकर ८ प्रतिशत काट कर जो भूमि बचे वह भूमिहीनों को देनी चाहिये । मेरा अनुमान है कि दो लाख एकड़ भूमि निकल आयेगी चूंकि वह आदेश प्रसारित हो चुका है इसलिये अभी तरमीम करने की कोई बात नहीं चल रही है ।

दूसरी बात, ३० एकड़ की सीलिंग की है । उससे भी २ लाख ७२ हजार एकड़ भूमि निकलेगी । तो इस तरह से करीब ५ लाख एकड़ भूमि निकल सकती है और भूमिहीनों को मिल सकती है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पुरानी सरकार का जो आदेश है उसको संशोधन कर दिया जाय ।

जो सिंचाई के साधनों के लिये बिजली दी जाती है, उसमें भी बहुत दिनों से यह कहा गया कि उद्योग और खेती में बराबरी की जायेगी, लेकिन वह नहीं की गयी । मैं पी० ए०सी० कमेटी में था । मैंने देखा कि बिड़ला को साढ़े बारह लाख रुपया रिफन्ड हो गया । जो लीगल रिमेम्ब्रेन्सर कहते थे कि वसूली होनी चाहिये उन्होंने ही कहा कि रिफन्ड होनी चाहिये । अब तक मालूम हुआ कि ५० लाख रुपये के करीब उन पर चाहिये और पौने दो पैसे के हिसाब से उन्हें बिजली दी जाती है । वह गरीब नहीं हैं काश्तकार ज्यादा गरीब है । सरकार यह मान ले–दो पैसा और १७ पैसा को मिलाकर १९ पैसा हुआ १० पैसा उनसे ले और ९ पैसा काश्तकारों से ले । इससे सरकार को भी घाटा नहीं होगा और अमीर भी गरीब नहीं हो जायेंगे । पौने दो पैसा पूंजीपति का नहीं मिलना चाहिये । पौने दो पैसा पूंजीपति को, १७ पैसा किसान को और ४२ पैसा जो जलाते हैं, उनके लिये मिलती है तो इतना बड़ा अन्तर समाजवाद के लिये शोभा की बात नहीं है । तो १ ३/४, १७ और ४२ में बहुत अन्तर है । मेरा निवेदन यह है कि अगर किसानों को बिजली तेज मिली तो पैदावार में बहुत अन्तर आयेगा । इसलिये बिजली में समानता लाने का प्रयास करना चाहिये ।

[श्री तिरमलसिंह]

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो कर्जा दिया जाता है वह ६, ९, २५ प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है। ६ पर तकावी, ९ पर कोआपरेटिव से और २५ पर बीज मिलता है। उद्योगपतियों से ब्याज मिलता है वह ३ रुपये और ५ रुपया लिया जाता है। यह फर्क रखा गया है। यह दोहरी नागरिकता रखी गई है। जैसे कि आपने पिछले बजट में देखा होगा शहरी मकान बनाने के लिये पैसा दिया गया और गांवों में एक पैसा भी मकान बनाने क लिये नहीं दिया गया। इस प्रकार से उनको दूसरा नागरिक माना गया है जैसे वह दूसरे स्थान के रहने वाले हों। न उनके मवेशियों के रहने के मकान बनाने को दिया गया और न उनके खुद के रहने के लिये ही दिया गया। वह सब शहरों पर ही खर्च होता रहा। अब यह जो सरकार आई है उसने कृषि को प्रायोरिटी दी, सिंचाई पर प्रायोरिटी दी और बिजली पर प्रायोरिटी दी। यह सब काम जो खेती से सम्बन्ध रखता है उनको प्राथमिकता दी गई। इसलिये यह बजट समाजवादी बजट है और यह सरकार इसलिये धन्यवाद की पात्र है। बिजली को बराबर करने के विषय पर इस सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा को गांवों के अन्दर ठीक किया जाय। सहकारिता विभाग के सुपरवाइजरों को सरकार अपने हाथ में लेकर प्रबन्ध करे। बिजली के विषय में सरकार जरूर सोच समझकर इन्साफ करने का प्रयास करे। पुलिस प्रशासन को सक्षम करने के लिये सरकार ने १८० जीपों का प्राविधान इस बजट में किया है। जब ये १८० जीप थानों में पहुंच जायेंगी, टेलीफोन और वायरलेस का इन्तजाम हो जायगा तो फिर क्राइम जरूर कुछ रुकेंगे और गुंडा दबेंगे और सही इन्तजाम राज्य का होगा। सड़क बनाने के लिये पिछले बजट की तुलना आप करें और इस साल के बजट की भी तुलना करें। यदि आप देखेंगे तो आप सरकार को बधाई दिये बिना नहीं रह सकते। पिछले बजट में थोड़ा रुपया रखा गया था और इस सरकार ने ४० करोड़ ६० लाख रुपया उसके लिये रखा है। यह बजट समाजवादी है और जनता के हित में है। इस बात की शंका बहुत से लोगों को है कि इस बजट के अन्दर २३ करोड़ ७० लाख का घाटा दिखाया गया है तो उसका क्या प्रबन्ध होगा? इस प्रदेश में जो सेल्स टैक्स बकाया है वह अकेले कानपुर में ही १७ करोड़ रुपया है। दूसरे टैक्स अलग हैं। इस सरकार ने कर लगाने की घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि नये कर नहीं लगाये जायेंगे। यह सरकार इस बात की कोशिश करेंगी कि जो उसके एरियर पड़े हुये हैं उनको वसूल करके बजट को पूरा किया जाय। इसलिये बिना कर के लगाये जो यह बजट बनाया गया है उसके लिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है क्योंकि आइन्दा कोई भी कर लगाने का कोई संकेत नहीं किया गया है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजवाद का सब लोग नाम लेते हैं। जो समाजवादी नहीं हैं वह भी समाजवाद का नाम लेते हैं। समाजवाद लाने की बात करते हैं कि पहले समाजवादी तो बनिये। समाजवाद में क्या बाधक है। समाजवाद में कुछ भी बाधक नहीं है केवल पूंजीपति ही बाधक हैं। जो पूंजीवाद के समर्थक हैं वे समाजवाद की बात करेंगे। तो यह हंसी की बात हो सकती है। समाजवाद लाने के लिये इस सरकार ने बहुत कुछ किया है जो कि इंडीकेट और बी० के० डी० की मिलजुल कर सरकार बनी है, यह सरकार वाकई में समाजवाद लाना चाहती है और उसके लिये बराबर प्रयास कर रही है, वह गरीबों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। जब गरीबों की आय और क्रयशक्ति बढ़ेगी तो उससे सारे देश को लाभ होगा और शहरों की आबादी भी पनपेगी और अगर उनका उत्थान रुका रहा तो शहरों को भी हम सरसब्ज न रख सकेंगे। शहर और देहात का एक दूसरे से गहरा संबंध है और यह सरकार समाजवाद लाना चाहती है और थोड़े वक्त में जो कुछ कर सकती थी वह कर रही है। उधर से कहा गया कि यह बजट समाजवादी नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं है? आप देखें कि इस बजट में केवल ३ मदों पर ही ७० प्रतिशत रुपया रख दिया गया है यानी सिंचाई, कृषि पर, बिजली की व्यवस्था पर और सड़कों के लिये। अगर इन जरूरी चीजों के लिये ७० प्रतिशत धन लगाया जाता

है तो समाजवादी क्यों नहीं है ? वह जरूर समाजवादी बजट है और इसको सबको मानना चाहिये । वह पढ़ कर बजट को देखें क्योंकि कोरी आलोचना करने से तो काम नहीं चलता ।

इसके अलावा बिजली के पैसे की बकाया जो पौने दो सौ के हिसाब से बिरला, साहू और जयपुरिया पर बकाया है वह वसूल किया जाय । ऐसा कोई पैसा सरकारी आय में नहीं दिखाया गया है । एक तो वैसे ही बहुत सस्ती दर पर बिजली उनको दी जाती है और बनाने की जो कीमत है उतना पैसा भी उनसे नहीं लिया जाता है । इस पैसे की वसूली का कोई न कोई उपाय सरकार को अवश्य करना चाहिये । मैं चाहता हूं कि इसके साथ ही कृषि उत्पादन और उद्योग में समता लानी चाहिये, गन्ने और चीनी के मूल्य में एक सामंजस्य लाना चाहिये । इसके अतिरिक्त बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो पूंजी मिले उसका उचित वितरण होना चाहिये । इसमें ५३.३ प्रतिशत जनता का पैसा है १७.१७ प्रतिशत सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों का है, २५.७५ प्रतिशत पूंजीपतियों का है । इस तरह से ७५ प्रतिशत जनता को मिलना चाहिये और केवल २५ प्रतिशत ही उनको मिलना चाहिये ताकि वह जमाखोरी न कर सके और साथ ही उस पैसे से हमारी और किसानों की जरूरतें पूरी हो जायं ।

साथ ही मेरा सुझाव यह भी है कि सरकारी नौकरियों में उनको लिया जाय जो जाति-तोड़क शादी करें । इस तरह से समाजवाद का असली रूप हमारे सामने आ सकता है । इसके साथ ही कच्चे और पक्के माल के मूल्य में संतुलन होना चाहिये । शहर के मकानों के बनाने के लिये आप कर्ज देते हैं लेकिन गांवों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । पाखानों की व्यवस्था भी देहात में सरकार की तरफ से होनी चाहिये क्योंकि सुबह के समय स्त्रियों को कहीं टट्टी बैठने की जगह नहीं मिलती, इसके अलावा अगर सरकार ईंधन का भी गांवों में कोई प्रबन्ध कर सके तो गोबर की बचत हो सकती है और वह खाद के रूप में किसान इस्तेमाल कर सकते हैं । आज कल अमोनियम सल्फेट और सुपर फासफेट का बहुत नारा लगाया जाता है लेकिन अगर ईंधन का कोई समुचित प्रबन्ध हो जाय तो खाद के लिये गोबर ही काफी लाभदायक हो सकता है । मेरा सुझाव है कि अपने वैज्ञानिकों से सरकार कोई ऐसा चूल्हा बनवाये कि जिसमें थोड़े से ईंधन की जरूरत हो और खाना बन जाय तो गोबर खाद के लिये बच सकता है वर्ना अभी तक २२ साल हो गये उसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है । इस चीज को हंसी-मजाक में टाल दिया जाता है लेकिन अगर सरकार ऐसा चूल्हा वैज्ञानिकों से बनवाये तो बहुत लाभ हो सकता है ।

बड़ा भारी शोर इस बात का भी मचाया गया कि पच्छिम में मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच न होनी चाहिये । प्रजातन्त्र का दम भरने वाले और विकेन्द्रीयकरण का नारा लगाने वाले ही हावी होने की कोशिश करते हैं कि वह न खुल सके लेकिन मेरे समझ में यह बात नहीं आती कि हाई-कोर्ट की अदालत केवल एक ही जगह क्यों रहे, वह लखनऊ में हो, आगरा में हो, मेरठ में हो और बनारस में भी हो तो इसमें हर्ज क्या है । इसमें क्या फजीता है । आप लोग बहस करते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों का मसला है । हाई कोर्ट की बेंच मेरठ जा रही है, आगरा जा रही है । तो क्या वजह है आपका दृष्टिकोण है कि सब लोग इलाहाबाद में आयें और पैसा लगायें, हमारा दृष्टिकोण है कि हमारे यहां का पैसा हमारे ही रहे । यदि विकेन्द्रीयकरण हो जाय और वे वहां पर हाई कोर्ट की बेंच में फैसला करा सकें तो मुझे आश्चर्य है कि आपका क्या नुकसान है । यहां सब लोग किसानों और छोटे लोगों को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं लेकिन यह बात क्यों नहीं चाहते हैं, कि हाईकोर्ट की सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

अन्त में, मैं श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं एक पटियाली क्षेत्र है जो बूढ़ी गंगा और गंगा का इलाका है । वह आज भी बहुत ही बैकवर्ड है । शायद प्रदेश में ४-५ जगहें ऐसी होगी जैसी वह है । वहां पर न कोई सड़क का प्रबन्ध है, न बिजली का और न किसानों की उन्नति के लिये कोई प्रबन्ध हो पाया है । आप पिछले २२ वर्ष के वित्तीय बजट उठा कर देख लें तो आप देखेंगे कि वहां पर १० रुपया भी खर्च नहीं हुआ है । मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि उस क्षेत्र का भी खयाल रखा जाय । इतना कह कर मैं इस सरकार को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट पर वाद विवाद में बोलने का अवसर प्रदान किया है। श्रीमन्, प्रजातंत्र की जो आज तक व्याख्या हुयी है, उनमें बताया गया है कि सरकार जनता द्वारा, जनता की और जनता के लिये है, लेकिन २३ साल के इस कांग्रेसी शासन ने यह साबित कर दिया है कि जनता द्वारा तो यह सरकार बनायी जाती है लेकिन न जनता की है और न जनता के लिए ही है। यह सरकार पूंजीपतियों के लिये, सरमायेदारों के लिए बनी हुई है। उन्हीं के हित के लिये सारे कानून बनाये जाते हैं। गरीबों पर दुधारी तलवार चलायी जा रही है, अमीरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सही माने में अगर देखा जाय तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता और शासन के बीच में फर्क कम हो जाय। जिस दिन जनता और शासन के बीच का फर्क मिटेगा उसी दिन सच्चा लोकतंत्र, जनतंत्र कायम होगा और जनता की सही सरकार होगी।

आज सारे प्रदेश में पुलिस राज कायम है। डंडे के बल पर यह सरकार चल रही है। पुलिस वाले अपने रोजनामचे के ३-४ सफे २ या ३ लाइन लिख कर खाली रखते हैं। १३-५-६९ को मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त को लिखकर एक शिकायत दी थी जिसके साथ रोजनामचे की फोटो स्टेट कापी भी नत्थी थी। लेकिन पुलिस वालों का आज तक भी कुछ नहीं हो पाया है। यह एक आम बात है कि पुलिस वाले ३—३ पेज रोजनामचे के २ या ३ लाइन लिख कर छोड़ देते हैं। इसी तरह से पुलिस ने मेरठ में सरधना तहसील के एक स्थान पर छापा मारकर कुछ बन्दूक, रायफल वगैरह पकड़ी लेकिन वहां पर किसी को न पकड़ कर सिकन्दराबाद में लोगों को जा पकड़ा। उक्त स्थान उक्त हथियार को न दिखाकर सिकन्दराबाद जि० बुलन्दशहर में दिखाये गये। पुलिस किसी भी व्यक्ति के पास माल रख कर हथियार रखने के जुर्म में बन्द कर देती है और मोमबत्ती, दियासलाई और कुस्सा दिखा कर दफा १०९ में किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेती है। इस प्रकार चारों ओर त्राहि-त्राहि मच रही है। जिला कानपुर के एक स्थान पर डाका डाला गया उन व्यक्तियों ने डाला जो एस० पी० के पास बैठते थे। एस० पी० से उन्होंने बताया और उसकी नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी लेकिन उन्हें न पकड़ कर दूसरों को पकड़ लिया गया। इसी प्रकार न जाने कितने बेगुनाह फंसते हैं। और इसी पुलिस को हमारे मुख्य मंत्री जी तारीफ करते हैं और उनको ईमानदार समझते हैं, पुलिस अधिकारियों को ईमानदार समझते हैं और जनता के लोगों को तथा जनता द्वारा चुने गये नुमाइन्दों को बेईमान समझते हैं।

आज प्रदेश में सचिव, आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, डाक्टर्स-इन्जीनियर्स आदि का राज है। जितनी भी प्रदेश को आमदनी या खर्चा होता है, बजट में जितनी खर्चे की मद दिखाई जाती है, इन सब में यदि ईमानदारी के साथ देखा जाय तो ज्यादातर वे इन सबकी तनख्वाह और भत्ते हैं और जो सामान या रुपया निर्माण में लगना चाहिये वह आधे से ज्यादा चोरी इन्हीं बड़े अफसरों द्वारा कराकर इन्हीं के द्वारा बिकवा कर इन्हीं की जेब में जाता है। सत्तर प्रतिशत से अधिक रुपया इन बड़े-बड़े अफसरों की जेब में चला जाता है। तीस प्रतिशत से कम रुपया ही जनता की बहबूदी में लगता है। यदि सरकार ईमानदारी के साथ इसकी जांच कराये तो फिर सरकार को सही आंकड़े मालूम हो सकते हैं। कितना जनता पर खर्च हुआ कितना बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाहों और भत्तों में चला गया, इनके वैभव और शानशौकत में चला गया तथा कितना बेईमानी से इनकी जेब में गया। यदि ठीक तरह से सरकार इन्क्वायरी करायें तब मालूम हो सकता है। आज जितना भी विकास पर खर्च होता है यदि उस खर्चे की मद को उठाकर देखा जाय तो सत्तर प्रतिशत रुपया बड़े आदमियों की बस्तियों पर, सिविल लाईन्स पर खर्च होता है उनकी सड़कें चौड़ी करवाने, बाग बगीचों एवं अन्य सामग्री पर और तीस प्रतिशत गरीब आदमी जो देहातों में रहते हैं, या नगरों में छोटी आय वालों पर उन पर खर्च होता है। इस प्रकार जिस असमानता के साथ पक्षपात के साथ जो रुपया खर्च हो रहा है उससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है। यदि इन सरकारी अफसरों के खर्चे, चोर-बाजारी, शान, वैभव पर पाबन्दी नहीं लगाई गई और इनके खर्चे कम नहीं किये तो उत्तर प्रदेश

भी बंगाल बनेगा और यहां भी नक्सलवादी बनेंगे, यहां भी खूनी क्रान्ति होगी और कोई भी उत्तर प्रदेश को बहकती भट्टी में जाने से नहीं रोक पायेगा।

मैंने माना कि सरकार हमेशा अच्छाई सुनना चाहती है। कटु सत्य हमेशा झगड़े की जड़ होती है। जो उनके सामने सच्चाई रखता है उसे मुखालिफ समझते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। सरकार उसी तरह सच्चाई को नहीं सुनना चाहती—इस पर मुझे एक शेर याद आ गया—"अपने जूड़े के हर एक फूल की तारीफ सुनी, जख्मे दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गये।" मैंने बहुत बारीकी से ५५–५६ से लेकर ७०–७१ तक के बजटों को देखा है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि गरीबों पर मुश्किल से ३० प्रतिशत खर्च होता है। यह जो बजट पेश हुआ है यह समाजवादी बजट नहीं है। इसमें गरीबों की उन्नति का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। गरीबों की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की कोई बात इसमें नहीं कही गई। अध्यापकों को सरकारी कोष से वेतन देने की बात नहीं कही गई। दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की फीस माफ करने की बात नहीं कही गई गरीबों की माली स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा नहीं दिखाई देती है। सन् ५७–५८ का बजट तत्कालीन वित्त मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने पेश किया था तो कहा था कि हम दसवीं कक्षा तक फीस माफ करना चाहते हैं। उस समय उन्होंने छठीं क्लास तक की फीस माफ की थी और यह कहा था कि एक दो साल में हम आठवीं कक्षा तक फीस माफ करेंगे और ५–७ वर्ष में कक्षा १० तक के सभी छात्रों की फीस माफ कर दी जावेगी। आज १४ साल हो रहे हैं। दसवीं कक्षा तक को क्या सातवीं क्लास तक की फीस माफ नहीं हुई। दसवीं क्लास तक की फीस माफ होना नितान्त जरूरी है। अध्यापकों को सरकारी कोष से वेतन मिलना जरूरी है। समान कार्य करने वालों का समान वेतन होना जरूरी है और जो गरीब, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, चाहे वे पंचायत मंत्री हों, चाहे वे ट्यूबवेल आपरेटर हों, गन्ना ग्राम सेवक हों, लेखपाल या मिल में मजदूरी का काम करने वाले हों, सब की तनख्वाह ५५–५६ से लेकर ८० रुपये बैठती है। मिल में जो मजदूर काम करता है उनके यदि इतवार निकाल दिये जायं तो तनख्वाह केवल ६५ रुपये बैठती है। बीमा या प्राविडेंट फंड निकाल दें तो ६० रुपये ही बैठती है। ६० रुपये में कहां से मकान का किराया वह दे सकता है, कहां से बच्चों को पढ़ाई दे सकता है, कहां से बच्चों को तन ढकने के लिये कपड़ा दे सकता है ? कहां से बच्चों के लिये दवा का प्रबन्ध कर सकता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि ७०–७१ का बजट जिसे समाजवादी बजट कहा जा रहा है इसमें कौन-सी व्यवस्था ऐसी है जिसमें गरीब को ऊंचा उठाने की राह दिखाई गई है। जहां बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, मिसाल के तौर पर मैं गाजियाबाद लेना चाहता हूं, जहां चालीस-पचास हजार मजदूर काम करते हैं, वहां न मजदूरों के लिये सस्ते मकान हैं, न सस्ते प्लाट मकान बनाने के लिये तथा हाउसिंग सोसाइटी से न हीं ऋण प्राप्त करने की सुविधा। मजदूर कालोनी में न मजदूरों के लिये कोई अस्पताल है, न उनके बच्चों की ट्रेनिंग के लिये आई० टी० आई० कालिज है, न ही उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठशालायें हैं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार को मजदूरों के क्षेत्र में सस्ते मकानों की व्यवस्था करनी चाहिये, वहां प्राइमरी, हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट स्कूल खोलने चाहिये, उनके बच्चों आदि के लिये ट्रेनिंग स्कूल भी खोलना चाहिये। जो आपकी हाउसिंग सोसाइटियां हैं वे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जो रुपया देती हैं वह रुपया सरकारी सोसाइटियों, ट्रस्टों एवं पूंजीपतियों को ही मिल पाता है। गरीब मजदूर को मकान बनाने के लिये नहीं मिलता। गाजियाबाद में गरीब मजदूरों के रहने के लिये मकानों की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां भी प्रदेश में ३०–४० हजार मजदूर काम करते हों, वहां उनके लिये मुफ्त क्वार्टर की व्यवस्था करनी चाहिये या हायर परचेज सिस्टम पर ५ से १० रु० मासिक आसान किस्तों पर मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाये जाने चाहिये।

सरकार की तरफ से कहा गया कि देहातों में हमने बड़ी तरक्की की है, काफी सड़कें बढ़ गयी हैं। श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना में १८.५७ हजार किलोमीटर सड़कें थीं अपने प्रदेश में, दूसरी योजना में वह बढ़ कर २३.४१ हजार किलोमीटर हो गयीं, तीसरी योजना में वह

[श्री प्यारे लाल]

२७.१९ हजार किलोमीटर हो गयीं और १९६६–६७, १९६७–६८ से १९७१ तक २९.७१ हजार किलोमीटर सड़क बनीं। सारे प्रान्त भर में केवल २९.७१ हजार किलोमीटर सड़कें ही बन पायी हैं। इस पर भी कहते है कि काफी सड़कें बनायी गयी हैं प्रत्येक गांव तक तो सड़क जानी दूर रही सड़क के किनारे के ग्राम भी सड़कों से आज तक नहीं जुड़ पाये हैं।

कहते हैं गांव गांव में बिजली पहुंचायी जायेगी। मगर आज २३ वर्ष आजादी के बीत जाने के बाद भी गांव में बिजली नहीं के बराबर पहुंची है। वहां पर नलकूपों का भी प्रबन्ध नहीं हो पाया है। गांवों में जितना खेत बोया जाता है उसके एक तिहाई हिस्से को भी पानी नहीं मिल पाता है। जब तक प्रत्येक गांव को सड़क से नहीं जोड़ा जायेगा, हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, गांव गांव में बिजली नहीं होगी, तब तक हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता।

कहा जाता है कि गांव की हालत अच्छी हो गयी है। आप देखें कि १९५४–५५ में ग्रामीणों की राष्ट्रीय आय १९९ रुपये थी जब कि शहरों की वह आय ७१२.८ रुपये थी। १९५५–५६ में ग्रामीणों की राष्ट्रीय आय १८९.३ रुपये थी जब कि शहरों की ७४५.७ रुपये थी। १९५६–५७ में ग्रामीणों की राष्ट्रीय आय १९४.९ रुपये थी जब कि शहरों की वह आय ७०२.६ थी। इस तरह से आप देखे कि देहातों की राष्ट्रीय आय में कमी ही हुई है। आज तक के अगर आंकड़े देखें जायं, तो भी पता चलेगा कि देहातों की राष्ट्रीय आय में २०० से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है। आज भी ५–साढ़े ५ करोड़ आदमियों की आय २–३ आना प्रति दिन है। देश की आय का एक अंश मात्र भी देहातों को नहीं पहुंचा है। राष्ट्रीय आय बढ़ी जरूर है लेकिन उसमें सिकुड़न पैदा होकर चन्द सरमायेदारों के पास इकट्ठा हो गई है और ग्रामीण तथा नगरों में गरीब उस बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय से अछूते ही रह गये हैं। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि प्रदेश के पिछड़ों एवं शोषित हरिजनों की बस्तीं में देहातों में न पीने के पानी का कोई इन्तजाम है और न कोई कुएं हैं, न इन हरिजनों के वास्ते मकान बनाने के लिये जगह ही २३ वर्ष में उपलब्ध की गई है। गाजियाबाद में मास्टर प्लान के अन्तर्गत हजारों एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई है, किन्तु उनके लिये कहीं भी मकान बनाने की व्यवस्था नहीं की गई है। हाउसिंग सोसाइटी भी बड़े आदमियों को कर्ज देती है या सरकार को देती है, लेकिन गरीबों को नहीं देती है चाहे वे हरिजन हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों या मजदूर हों। गाजियाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो मकान हाउसिंग सोसाइटी आदि से ऋण लेकर बनाये हैं वह सबसे बड़ी आय वालों को दिये हैं आज ऐसे किसी भी व्यक्ति को मकान नहीं दिया गया कि जो गरीब हो। जमीन एक्वायर करने के संबंध में १८९४ का कानून भी बड़ा दोषपूर्ण है जिसके मातहत जमीन तो किसानों की एक्वायर कर ली जाती है, लेकिन उनको ८–८, १०–१० वर्ष तक मुआवजे का पैसा नहीं दिया जाता है। इतने इतने समय तक वे अपनी रोजी से रहित मारे मारे फिरा करते हैं। कानून यह होना चाहिये कि इस हाथ पैसा दो उस हाथ जमीन एक्वायर करो तथा कब्जा लो। इस तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये, इसमें ऐसा संशोधन होना चाहिये। इसके अलावा उन्हें निश्चित रूप से मुआवजा भी बाजार भाव पर मिलना चाहिये। जो संशोधन इसका आ रहा है उसमें बाजार भाव पर मुआवजा देने की बात तो कही गई है, लेकिन मुआवजे का पैसा तुरन्त देने की बात नहीं कही गई है जो किसानों के साथ तथा उनके बच्चों के साथ अन्याय है।

आज लगभग १० वर्षों से गाजियाबाद नगरपालिका जब्त है। नतीजा यह है कि वहां की लगभग दो लाख जनता नागरिक अधिकारों से बंचित हैं जबकि पूरे प्रान्त में सभी नगरों को प्राप्त हैं। मुख्य मंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि उसको बहाल किया जाय। स्वायत शासन मंत्री और मुख्य मंत्री भी वहां गये तथा आश्वासन भी दिये, लेकिन नगरपालिका को आजतक बहाल नहीं किया गया न कोई एडवाइजरी बोर्ड ही बनाया गया। इस कुव्यवस्था का परिणाम यह है कि आज वहां पर नागरिक प्रशासन में तानाशाही और लालफीताशाही का बोल बाला है। अधिशासी अधिकारी महोदय किसी के मकान का कर दूसरे के नाम कर देते हैं। अधिशासी अधिकारी-

श्री० एस० पी० झा कलियुग के अवतार हैं और भ्रष्टाचार में नाक तक सराबोर हैं पैसा कमाने की योजना में ही सारा समय बिता रहे हैं पालिका की बहबूदी में नहीं। मैं वहां के इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के बारे में भी कहना चाहता हूं। उसने राजनगर, कीर्तिनगर में कालोनियां बनवाई गई हैं। वहां की सारी की सारी कालोनियां बिना नक्शे के बनी हैं, सारे के सारे मकान बिना नक्शे के बने हैं। इस पर भी १० रुपये कम्पाउन्ड फीस लेकर पूरी की पूरी कालोनी कम्पाउन्ड कर दी जाती है, किन्तु यदि कोई गरीब बकायद झोपड़ी भी बनवा लेता है, तो या तो उसकी झोपड़ी तोड़ दी जाती है या हजारों रुपया उससे कम्पाउन्ड फीस के रूप में वसूल किया जाता है। यह अन्याय क्यों होता है कि १० रुपये में सारी कालोनी कम्पाउन्ड कर दी जाय और गरीबों की झोपड़ियों पर हजारों रुपये कम्पाउन्ड फीस लगा दी जाय। वहां पर जाने कितनी पाकेट्स इस प्रकार की हैं—जो आधा एकड़, एक एकड़ या दो एकड़ बेमतलब एक्वायर कर रखी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ अब आपको समय नहीं मिल सकता।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया और मैं वित्त मंत्री को समाजवादी बजट प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं। इस बजट में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस वर्ष कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि ५ बीघा तक की जमीन वाले किसानों का लगान माफ कर दिया गया है। वृत्ति-कर की सीमा बढ़ा कर ४,२०० रुपये कर दी गई है तथा उर्वरक पर भी बिक्री कर समाप्त कर दिया गया है। इस दृष्टि से यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश के विकास में यातायात का बड़ा महत्व है और उस ओर भी बड़ा ध्यान दिया गया है। ४५ करोड़ ६१ लाख रुपया सड़कों के निर्माण के लिये रखा गया है। पुलों के निर्माण के लिये एक सेतु आयोग का निर्माण किया गया है। इस बार १३ नये पुल बनने वाले हैं। इनमें से मिर्जापुर, फर्रुखाबाद और हमीरपुर वाले कुछ पुल तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़े ही उपयोगी हैं, उनसे हमारे प्रदेश में यातायात में बड़ी सुविधा होगी। इसमें सिंचाई की ओर भी बड़ा ध्यान दिया गया है, हमारे प्रदेश का पूर्वी भाग बहुत पिछड़ा हुआ है। उस पर शारदा नहर की योजना बना कर सिंचाई का विशेष कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष १ लाख ३३ हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की योजना थी। इस साल ७९ हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी। इसके अलावा २१ करोड़ ४७ लाख रुपया राजकीय नलकूपों, छोटी सिंचाई योजनाओं तथा लघु लिफ्ट सिंचाई योजना पर खर्च किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को मैं एक सूचना दे दूं। जो बार बार मेरे पास आते हैं उनका नाम कट जाता है या पीछे चला जाता है। इसलिये मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। अपना नाम परचे पर दे सकते हैं। यह अच्छी बात नहीं है कि कुछ लोग यहां चले आयें और कुछ लोग न आयें, ऐसा कुछ भेदभाव हो। मैं अपना नियम बता देता हूं, पहले भी मैंने बता दिया था। जिनको मैं चाहता हूं, नाम आ जायेंगे, जिन पर नजर पड़ जायगी वह बोलेंगे। यहां आने पर काम बिगड़ जाता है।

श्री रामकिशोर शुक्ल—

हमारे प्रदेश में बाढ़ की बड़ी भयंकर समस्या है। इस वर्ष बाढ़ नियंत्रण के लिये २ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इन सब दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण बजट है। पता नहीं क्यों विपक्ष पक्ष के सदस्यों को इसमें अच्छाई नहीं दिखायी दे रही है। वह इसमें बुराई ही ढूंढ़ कर निकालते हैं।

[श्री रामकिशोर शुक्ल]

मैं इस बजट के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से कुछ नम्र निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इस बजट में बहुत सी बातें हैं लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। जो सरकार अनुदान देती है और जो फीस प्राप्त होती है दोनों को मिलाकर सरकार चाहे तो उससे राष्ट्रीयकरण कर सकती है। राष्ट्रीयकरण करने से अध्यापकों को ट्रेजरी से पेमेंट करने का प्रश्न भी हल हो जाता है। इसके अतिरिक्त हिन्दी के प्रसार में सरकार को जो सतर्कता बरतनी चाहिये वह सरकार पूर्ण रूपसे नहीं बरत रही है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को एक बड़ी धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में देना चाहिये। उसका प्राविधान नहीं है।

किसानों को बिजली देने के सम्बन्ध में दो तरीके अपनाये गये हैं। कहीं-कहीं पर किसान जितना बिजली का उपभोग करते हैं उस पर चार्ज लगाया जाता है और कहीं कहीं पर लम्पसम चार्ज लगाया जाता है। यह विषमता दूर होनी चाहिये।

हमारा निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद जिले में करछना बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर पिछले दस वर्षों में कोई तरक्की का नया कार्य नहीं हुआ है। वह इतनी बड़ी तहसील है जिसमें एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। लोगों को चिकित्सा के लिये इलाहाबाद शहर को दौड़ना पड़ता है। करछना तहसील केन्द्र पर एक सरकारी अस्पताल अवश्य खोला जाय। मेजा तहसील के सिरसाबाजार का अस्पताल बड़ी खराब दशा में है। उसका भवन बहुत जीर्णशीर्ण है। उसका पुनरुद्धार किया जाय। एक जनाने अस्पताल की व्यवस्था करनी चाहिये।

सिंचाई की दृष्टि से यमुना पार का इलाका सूखाग्रस्त रहा है। वहां पर कोई नलकूप की नयी व्यवस्था नहीं की जा रही है। मेजा ऐसी तहसील है जहां पर एक भी नलकूप नहीं है। केवल बेलन नहर है जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। वह पूरा पानी नहीं देती है। फिर भी सिंचाई का रेट बहुत हाई है। वह भी गंगा नहर की सिंचाई का रेट लगाया जाता है। करछना और मेजा तहसीलों में जहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है वहां नलकूप लगाये जायं। यातायात की दृष्टि से करछना तहसील बहुत पिछड़ी हुई है। बरसात के दिनों में गंगा और टोंस नदियों में बाढ़ आ जाती है। इसलिये घोड़ेडीह से लकटहाघाट तक ऊंची सड़क बनायी जाय। तो किसानों को यातायात की भी सुविधा होगी और बाढ़ से भी राहत मिलेगी। करछना तहसील में मनइया घाट से जारी बाजार, वाया करछना अकोटा सड़क की बड़ी आवश्यकता है तथा मेजा तहसील में मेजारोड से लाक्षागृह मार्ग वाया मिश्रपुर का बनना बड़ा जरूरी है। इस क्षेत्र को इस सड़क के बन जाने से सुविधा होगी। इन सड़कों की बड़ी आवश्यकता है। इसके बारे में लिखा भी था लेकिन बजट में न जाने किन कारणों से इसका प्राविधान नहीं किया जा सका है। इन सड़कों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

मेरे क्षेत्र में बाढ़ भी बहुत आती है। बाढ़ नियंत्रण के लिये कई नाले ऐसे हैं जिनको बांध दिया जाय। करछना तहसील में पनासा तथा देहली भगेसर के नाले हैं तथा मेजा तहसील में ओनौर व पकरी का ओढ़वा नाला है जिनको अगर बांध दिया जाय तो बाढ़ में जहां रुकावट होगी वहां भूस्खलन भी रुकेगा।

इसके अतिरिक्त भूमि वितरण के सम्बन्ध में कहना है हदबन्दी में जो भूमि निकली है वह अभी तक बांटी नहीं गयी। जो नई सीमा निर्धारित की जाय उसमें जमीन गरीब किसानों को अधिक से अधिक वितरित की जाय। शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी की जाय तथा उस पर नियंत्रण किया जाय।

गांव में ऐसे भी तालाब तथा जलाशय हैं जिनको लोग अपनी निजी सम्पत्ति बनाये हुये हैं और कब्जा किये हुये हैं। उनमें किसान का जानवर नहीं जा सकता, न उनसे सिंचाई कोई कर

सकता है। ऐसे तालाबों का सरकारीकरण कर दिया जाय और किसी भी निजी सम्पत्ति में न रखा जाय।

पंचायत मंत्रियों का वेतन बढ़ाया गया है। मैं ब्लाक प्रमुख रहा हूं। कितनी उनकी आवश्यकता है इसे देखते हुये मेरा सुझाव है कि पंचायत मंत्रियों के पद का सरकारीकरण कर दिया जाय और ग्राम सेवक जो सरकार नियुक्ति करती है योग्य पंचायत मंत्रियों की पदोन्नति करके उनको ग्राम सेवक बना दिया जाय।

कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स बैंकों के नियंत्रण में रखे गये हैं। इससे वे बहुत गड़बड़ी करते हैं और पक्षपात करते हैं। इन सुपरवाइजर्स को सरकारी नौकर समझा जाय। जिस जिले में उसे नियुक्त किया जाता है वहां जिला सहकारी बैंक का नियंत्रण उस पर रहता है और यह कहा जाता है कि ऐसा इसलिये है कि रिजर्व बैंक पैसा देता है, वह उन पर नियंत्रण रखना चाहता है लेकिन सुपरवाइजर का काम केवल कर्जा वसूल करना ही नहीं है, वह सोसाइटी के कामों की गतिविधि पर भी नजर रखता है। अगर सुपरवाइजर पर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, सहायक रजिस्ट्रार का सुपरवीजन नहीं होगा तो सोसाइटीज का काम बिखर जायगा, गड़बड़ हो जायगी और काम सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वृत्ति कर ४,२०० रुपये पर कर दिया गया है। यह कर जो नौकर पेशा लोग हैं उन्हीं से वसूल होता है क्योंकि उनकी निश्चित तनख्वाह होती है और वह उनके दफ्तर से कट जाता है। बाकी लोगों से यह कर बहुत कम वसूल होता है। ऐसी स्थिति में यह वृत्ति कर समाप्त कर दिया जाय। इससे यह लाभ होगा कि सरकार के प्रति जो लोगों में रोष है वह कम होगा। शासन इस वृत्ति कर को समाप्त करके इसकी पूर्ति इस प्रकार कर सकती है जैसे वह गांव में शराब की दूकानों का नीलाम करती है उसी प्रकार शहरों में अंग्रेजी शराब की दूकानों का भी नीलाम किया करे और नीलाम के जरिये अंग्रेजी शराब की दूकानों का ठेका देकर वह इस कमी को पूरा करे। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय मुझे दिया है मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। जहां तक इस बजट का प्रश्न है माननीय सदस्य नैनीताल जो आजकल वित्त मंत्री हैं यहां पर हैं नहीं। वह समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों तक रहे हैं उन्होंने एक चिन्तनशील कमेटी बनाई थी माननीय गुप्ता जी के मंत्रि मंडल में वह जब श्रम मंत्री थे। नम्बर ८१ या ८४ में कुछ युवक विधायकों को वह बुलाते थे और चिन्तन कराते थे। अब जब से इंडीकेट में गये हैं तो वह चिन्तन की क्रिया चला रहे हैं या नहीं। पता नहीं। मुझे कभी कभी वहां जाने का मौका मिलता था। जब वह समाजवाद एवं प्रगतिशीलता की बात करते थे तो मैं समझता था कि नौजवान हैं, इनके दिल में देश की गरीबी के प्रति एक जलन है ये सोचेंगे, समझेंगे। ये वित्त मंत्री हुये हैं और चौधरी चरण सिंह कि मंत्रिपरिषद में बजट बनाकर लाये हैं। मान्यवर, जहां तक मुझे इस बजट को देखने का अवसर मिला है, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इसको देखने का प्रयास नहीं किया है, शायद उनको देखने का मौका न मिला हो। इसका मैं सदन के सामने एक प्रमाण दे रहा हूं। जो प्रक्रिया बजट को बनाने की रही है उसका विवरण प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) ने अपने प्रतिवेदन में किया है। वह इस प्रकार है—समिति को सूचित किया गया कि साधारणतया किसी मद के लिये अनुमान तैयार करने की प्रणाली यह है कि प्रारम्भिक अनुमान अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं और जब विभिन्न अधिकारियों के आंकड़े विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्राप्त हो जाते हैं तो उनको मदानुसार छांटकर एकत्र किया जाता है। इस समय आंकड़ों की जिस प्रकार छान बीन होनी चाहिये, वह नहीं हो पाती है और परिणाम स्वरूप विभिन्न मदों के लिये या तो अधिक धन की मांग की जाती है या जिस धनराशि की आय-व्ययक में व्यवस्था की जाती है वह आवश्यकता से कम होती है। सम्भवतः इसका कारण यह है कि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में आय-व्ययक के विशेषज्ञों का अभाव है। कुछ विभागाध्यक्षों

[श्री राम विलास पाण्डेय]

ने समिति को सूचित भी किया कि उनके कार्यालयों में ऐसे अधिकारियों की अत्यधिक कमी है जो बजट बनाने की जानकारी रखते हों। समिति को आश्चर्य है कि शासन का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया और लगभग ४ अरब रुपये के आय-व्ययक के प्रारम्भिक अनुमान उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा तैयार करके भेजे जाते हैं जो बजट बनाने की जानकारी नहीं रखते। जिस भवन की नीव कमजोर हो उसका ढांचा कैसे मजबूत हो सकता है।"

मान्यवर, यह प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन है उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो बजट यहां तैयार किया जाता है उसे न तो वित्त मंत्री ही देखते हैं, और न मुख्यमंत्री ही देखते हैं, और न मंत्रि परिषद् ही देखती है। मुझे जहां तक इसे देखने का मौका मिला है मुझे दुख हुआ कि वह लोग जो न तो गर्मी ही बर्दाश्त कर सकते हैं और न ठंडक ही किन्तु नारा समाजवाद का लगाते हैं केवल ८ वाटर कूलर्स बस स्टेशनों पर लगाने का प्राविजन बजट में है समाजवादी बजट केवल ८ बड़े बड़े शहरों के स्टापेजों पर लगा देने से तो नहीं आयेगा। जहां आप नैनीताल इसलिये नहीं जाते हैं कि गरीबों के उत्थान के लिये पैसे की मितव्ययता कर सकें वहां आपने विधान सभा और विधान परिषद् को वातानुकूलित कर देने का प्रविधान किया है। यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को हुकूमत में रहने का लम्बे अरसे तक मौका मिला है और कूलर के अन्दर रहते आये हैं। यही कारण है कि इस हाउस में बैठने की क्षमता माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं रख पाते। किन्तु मुख्य मंत्री जी जब तक प्रदेश के साधारण नागरिक को पानी पीने की व्यवस्था जहां नहीं कर पातें, वहां इन्हें वातानुकूलित सदन में या बंगले में बैठने के हकदार नहीं है और तकलीफ होती है जब मैं बजट में देखता हूं कि मंत्रियों के रहने के बंगलों के लिये प्राबीजन किया गया है। जब कि वे ही लोग एक लंबी जिन्दगी दारुलशफा में काट चुके हैं लेकिन २-४ महीने को ही मंत्री हुये तो बड़े बड़े बंगले चाहिये। इस प्रकार से ६ मंत्रियों के लिये और ६ डिप्टी मिनिस्टरों के लिये १० लाख रुपये की लागत से बंगले बनाये जा रहे हैं और फिर यह भी गारण्टी नहीं है कि ३५ या ३८ ही मिनिस्टर ही रहेंगे, क्या ९० और ९५ नहीं हो जायेंगे और उस समय सारे उत्तर प्रदेश के बजट को मंत्रियों के बंगलों में लगा दिया जायगा। सरकार दिल्ली में यू० पी० निवास में ४ अच्छे और १४ साधारण कमरें हैं। वे भी मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के लिये काफी नहीं हैं। उसमें भी और कमरे बनवाये जा रहे हैं। उसमें भी लाखों रुपया खर्च किया जायगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली में एक पर्यटन विभाग भी खोला जा रहा है जो बाहर देशों से आने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश दिखाने की चिन्ता करेगा। उस पर भी लाखों रुपया खर्च किया जायगा। ५६ हजार रुपया प्रतिवर्ष आफिस पर खर्च होगा। केन्द्रीय सरकार जब दुनिया के आने वाले लोगों की व्यवस्था करती है तो अलग से व्यवस्था मेरी समझ में नहीं आती। भारत सरकार भी पर्यटन व्यवस्था करती है। उत्तर प्रदेश की तरफ से यह बेकार खर्चा क्यों किया जा रहा है। क्या यही समाजवादी बजट है?

अल्पसंख्यकों की समस्याओं को देखने के लिये एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है जो मंत्रियों को उसके बारे में सुझाव देगा। आज ३०-३५ की लंबी मंत्रियों की फौज है और अधिकतर मंत्री गरीब घरों से आते हैं। लेकिन वे गरीबों की, हिन्दू मुसलमानों की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं, और एक हाईकोर्ट का जज जिसको २५०० रुपया वेतन मिलेगा और उस पर तथा उसके स्टाफ पर १५६९०० रुपया व्यय किया जायेगा। क्या आप गरीबों की समस्याओं को नहीं जानते हैं? हरिजन सोशल वेलफेयर कमेटी बनी थी, पटेल आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट सिक्रेटेरियेट में मौजूद है---क्या उनसे आपको कोई रोशनी नहीं मिल सकती थी।

आगरा में आलरेडी एक जेल की बिल्डिंग मौजूद है। शानदार बिल्डिंग है लेकिन कर्मचारियों ने सुझाव दे दिया है कि उसको दूसरे स्थान पर बनाया जाय और उस पर २,०८,००० रुपया खर्च होगा। उसका कारण क्या है? सेन्ट्रल जेल के चारों ओर बड़े बड़े लोगों की आलीशान बिल्डिंग्स खड़ी हैं। वे अपने पास में जेलखाने को अपनी तौहीन समझते हैं इसलिये उन्होंने चौधरी

साहब से मांग की उसको दूसरी जगह पर बना दिया जाय। इसी प्रकार से बरेली में एक थाने की मरम्मत के लिये २,७७,१०० रुपया और दुद्धी में १ लाख ५० हजार रुपया थाने को बनाने के लिये खर्च किया जायगा। मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण के लिये जरूरी है विश्राम कक्ष बनाना। एक इमारतों का तांता सा लगा हुआ है। ये हमारे विभागाध्यक्ष ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसके जरिये निर्माण कार्य के नाम पर कुछ पैसे उनकी जेबों में आ सकें। हमारे मंत्रियों का ध्यान उधर नहीं जाता है।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। मैं पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात नहीं करता लेकिन मैं भावनाओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का। १२ नई सड़कें १५० किलोमीटर लम्बी मेरठ में बन रही हैं और ८ नई सड़कें १०१ किलोमीटर लम्बी नैनीताल में बन रही हैं और ५ किलोमीटर डाक्टर सीताराम के यहां, ६ किलोमीटर राजमंगल पांडेय जी के यहां और १३ किलोमीटर गेंदा बाबू के यहां। तीन मंत्री हैं पूर्व के, उनकी हैसियत के मुताबिक बंटवारा किया गया है और हम भी खुशकिस्मत हैं, अपने बल पर नहीं, अपने विधायकों की शक्ति पर नहीं बल्कि किसी साधारण कर्मचारी द्वारा मुबारकपुर से बरजा ५ किलोमीटर सड़क मिल गयी है। बलिया में कोई नई सड़क नहीं मिल सकी है। चौधरी चरण सिंह पूर्व की भावनाओं से परिचित हैं। वह बराबर कहते हैं कि ये खाने वाले लोग हैं, आराम करने वाले लोग हैं। माननीय गेंदा सिंह को इन्फार्मेशन दिया है, १२ लाख का बजट है, १० लाख कर्मचारियों पर खर्च है। डाक्टर सीताराम को पशुपालन दिया है। छोटे-छोटे विभाग दे कर सुला दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेताओं को। हमारे सिंचाई मंत्री जी माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने मुजफ्फरनगर में जो पानी जरूरत से ज्यादा नहरों में जमा हो जाता है उसको निकालने के लिये ३ लाख ४६ हजार रुपये रखे हैं। मेरठ और बुलन्दशहर में टेलीविजन पर वहां के किसान वार्ता सुनेंगे। केवल ३ हजार खर्च हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। टेलीविजन मेरठ और बुलन्दशहर में हो इसकी मुझे चिन्ता नहीं है लेकिन चिन्ता मुझे इस बात की है कि वह टेलीविजन आगरा, बरेली और पीलीभीत में तथा किन्हीं अन्य जिलोंमें क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं।

अपने बजट भाषण में माननीय सदस्य नैनीताल जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक स्थिरता लाने और आर्थिक उत्थान करने के लिये कटिबद्ध है। सरकार राजनीतिक स्थिरता कैसे लायेगी। गुन्डा ऐक्ट बन रहा है मान्यवर, सरकार राजनीतिक स्थिरता लायेगी। गुन्डा ऐक्ट द्वारा और उसके बाद में हो गें बांके लाल जी तथा मुख्य मंत्री जी के निगाह में जो गुनाहगार हों। अगर कुछ कहेंगे तो गुन्डा ऐक्ट में पकड़े जायेंगे, हम पकड़े जा सकते हैं, कोई भी सम्भ्रांत व्यक्ति पकड़ा जा सकता है, उर्दू की तरक्की के लिये २ लाख ५ हजार रुपया १९६९–७० के बजट में रखा गया है। ५,००० रुपया रखा गया है मेरठ या बुलन्दशहर के किसी पुरअसर मुसलमान को उस कमेटी में रख कर उनके टी० ए०, डी० ए० में दे देंगे और दो लाख तरक्की में क्या लगायेंगे कि कोई लायब्रेरी खोल देंगे वहां जिसमें किताबें होंगी, यही उर्दू की तरक्की हो जायगी। होमगार्ड्स के संबंध में ६ लाख ५४ हजार २ सौ रुपया खर्च किये जायेंगे। सिर्फ इस लिये कि वे टोपी लगाये। ताकि अगर उनपर डंडे पड़े तो अपने सर का बचाव कर सकें। अब जब लाठी का युग नहीं बल्कि रिवाल्वर और अद्धे चल रहे हैं। तो उनके घुटने के या पेट के बचाव का कोई जिक्र नहीं किया है सिर्फ सिर के बचाव के लिये सरकारी कर्मचारियों ने इतनी बड़ी रकम का प्रावीजन करवाया है। मैं समझता हूं साल भर में, वह दो दिन जगते हैं। २,६६,०६८ रुपया छोलदारियों के लिये दे दिया और ३९ हजार के पंखे लगायेंगे। इस प्रकार से बजट का जो रूप है उसमें समाजवाद तो दिखाई नहीं देता। माननीय चौधरी चरण सिंह जो स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, जो खुद ही स्वच्छ नहीं हैं और स्वच्छता के आधार पर मंत्रिपद पर नहीं बैठा है वह अगर स्वच्छता की बात करता है तो यह बात समझ में नहीं आती है। आज उनकी धर्म पत्नी विधायक बन कर बैठी हैं, माता तुल्य हैं, उनके हाथ में होती माला, ये होती हरिद्वार या बदरीनाथ के मंदिरों में और चौ० साहब किसी गैर बिरादरी के नौजवान को उनकी जगह लाते—क्योंकि बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के तथा समाजवादी विचार के हैं, यदि किसी नौजवान को

[श्री रामविलास पाण्डेय]

लाते होते तो वह कुछ बात समझ में आती। ये तो साबित करना चाहते हैं कि हम तो अपने कुत्ते को भी, अपने सारे कुनबे को सत्ता दे सकते हैं यह रोब डालना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस समाजवादी बजट का विरोध करता हूं।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा उपकार मानता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया इस बजट के जनरल डिस्कशन पर अपने विचार व्यक्त करने का। नारायणदत्त जी सदन में नहीं हैं। उनके १९६०-६१ के कुछ उद्धरण सामने हैं। उन्होंने जो आपत्तियां की हैं सदन में तो मैं उनके बजट भाषण पर उन्हीं का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेरे साथियों ने कुछ कहा और मैं चाहता था कि यहां उपस्थित होते। मुझे आशा है कि जो मंत्री यहां बैठे हैं वह मेरी बात उन तक पहुंचा देंगे।

मान्यवर, जो प्रस्तुत बजट है वह २३ करोड़ के घाटे का है। मैं समझता हूं कि जैसा कि और साथियों ने कहा, यह बजट नारायण दत्त तिवारी का नहीं है, इसमें उनकी छाप नहीं है और जो इसकी प्रक्रिया है उससे उनके कथन का कोई मेल नहीं खाता। मुझे तो अहसास होता है इसमें बड़ा अन्तर है। बजट की जो परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत बजट में की गई है, मेरे पास एक पुस्तिका है मि० ग्रोम्स की जो विन्कौन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बजट की नारायणदत्त जी ने परिभाषा दी है अपनी पुस्तिका में तो उनकी परिभाषा देखी जाय और इस पुस्तिका में जो की गयी है परिभाषा तो वह बजट की वास्तविक परिभाषा पर कहां उतरती है वह स्पष्ट हो जायगा। यह अंग्रेजी में है, मैं हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा—

"Comprehensiveness is undoubtedly the most widely recognized of budgetary principles and one that has been recognized as a feature of budgetary policy regardless of the nature of the approach to budgetary matters"

तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मिस्टर ग्रोव्स ने कहा है कि यह बजट कंप्रिहेन्सिव होना चाहिये, लेकिन मैं देखता हूं कि यह बजट कंप्रेहेन्सिव नहीं सम्यक नहीं है। मैं इसके कारण बताऊंगा कि यह अधूरा बजट है क्योंकि इसके बाद सप्लीमेंटरी बजट आयेगा। २३, २४ करोड़ का घाटा दिखाया गया है और यह कहा जाता है कि आगे चल कर यह सरप्लस बजट में परिवर्तित हो जायेगा। इसलिये मुझे शंका है कि यह बजट सही है।

१९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के बीच में श्री यादवेन्द्रदत्त जो नेता विरोधी दल थे, उन्होंने डेफिसिट बजट के बारे में जो कहा है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि केवल एक ही परिपाटी का, जो वर्षानुवर्ष पांच वर्षों से देखता आ रहा हूं, इस मंत्रिमंडल ने पालन किया कि डेफिसिट बजट पेश करेंगे और फिर वर्ष समाप्त होते होते कहेंगे कि हम कितने बुद्धिमान हैं हमने डेफिसिट पूरा कर लिया। वही चीज इस बार फिर आई। कई साल का उन्होंने दिया है। तो मुझे भी शंका है कि यह जो पौने चौबीस करोड़ घाटे का बजट है आगे चल कर सरप्लस में हो जायेगा। जो डेफिसिट बजट की प्रवृत्ति है वह ठीक नहीं है, वह बजट का सही रूप नहीं देती है। दूसरी पुस्तक में श्री आर० एन० भार्गव जो प्रोफेसर एण्ड हेड आफ दी डिपार्टमेंट आफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एण्ड रिसर्च इन इकोनामिक्स, यूनिवर्सिटी आफ जबलपुर के हैं उन्होंने डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में लिखा है

"The meaning of deficit financing is different In India from what it is in in the western countries."

इससे आगे चल कर फिर उन्होंने लिखा है :

"When deficit spending by the Government increases people's income, output of goods and services does not increase correspondingly in our case,"

तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो घाटे का बजट पेश होता है यह घाटे का बजट नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया को बाहर से कर्ज लेना पड़ता है लेकिन उत्तर प्रदेश प्रान्त जो कर्ज लेता है वह बैंक से लेता है। मान्यवर अगर कर्ज लेते चले गये और मूल्य बढ़ते चले गये तो एक समय वह आयेगा जब आपको राइटआफ करना पड़ेगा। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की प्रवृत्ति हो रही है वह गलत है। माननीय नारायण दत्त जी होते तो मैं उनको बताता। वह बजट के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने जो बात कही है उसे मैं दोहरा रहा हूं।

श्री वी० के० आर० वी० राव जो सेन्टर में एजूकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतवर्ष में वह स्थिति आ गई है कि अब डेफिसिट फाइनेंसिंग सम्भव नहीं है। तो इसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय नारायणदत्त तिवारी ने १९६०–६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के बीच में कहा है अब मैं इस असन्तुलित बजट के अन्य स्वरूपों की ओर आता हूं। यह असंतुलन लगातार एक ट्रेंड बन गया है, तरीका बन गया है। पहले तो हमारे सामने यह कहा जाता है कि डेफिसिट, होगा, घाटा होगा और उसके नाम पर टैक्स लगाये जाते हैं और रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है। हम लोग भी मानते हैं कि इतना घाटा है, उसे पूरा करने के लिये इतना टैक्स भी देना है। लेकिन एक ट्रेन्ड बन गया है कि घाटे का बजट ही बाद में बचत का बजट बन जाता है। मैं इस ट्रेन्ड को स्पष्ट करने के लिये कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। १९५३–५४ में ४ करोड़ ४२ लाख का रेवेन्यू डेफिसिट कहा गया था, लेकिन वही बाद में सरप्लस हो गया २ करोड़ ८३ लाख का। १९५४–५५ में ३ करोड़ ९१ लाख का डेफिसिट कहा गया और सरप्लस हुआ ६१ लाख रुपये का। इसी तरह से १९५५–५६ में ४ करोड़ ५० लाख रु० डेफिसिट बजट बनाया गया पर उसमें १ करोड़ ३० लाख रुपये की बचत हुई। १९५६–५७ में ९ करोड़ ५५ लाख का घाटा होगा ऐसा कहा गया पर उसी बजट में १२ लाखकी बचत हो गयी। १९५७-५८ में ११ करोड़ ६७ लाख के घाटे का बजट बनाया गया और उसमें ५ करोड़ ५२ लाख की बचत हुई। इस तरह से मान्यवर, उन्होंने बराबर ८, १० वर्ष का उदाहरण दिया है। श्रीमन्, इसमें वित्तीय असन्तुलन मालूम होता है। मैं नारायणदत्त जी के शब्दों को ही पेश करता हूं। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि हर विभाग में वित्तीय विशेषज्ञ होना चाहिये जो देखे कि आमदनी और खर्चा ठीक-ठीक बैठ रहा है। यह राय उन्होंने आज से दस वर्ष पहले दी थी और वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है। वर्तमान बजट में उन्होंने एक विशेषज्ञ रखा है लेकिन उन्होंने मांग की थी हर विभाग में एक विशेषज्ञ की। उन्होंने जो बजट का प्रारूप दिया है वह अच्छा है सदस्यों के समझने के लिये लेकिन जो बजट का भाषण है उसके २७ वें पेज पर उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान दशक १९७०–८० राज्य के लिये सर्वाधिक निर्णायक दशक होगा। जब भविष्य में वर्तमान का इतिहास लिखा जायगा तब उसमें यह कहने का किसी को अवसर नहीं मिलना चाहिये कि इस दशक के प्रारम्भिक निर्णायक वर्ष में जन नेताओं ने चाहे वे सरकार में हों या विपक्ष में, प्रगति के अवसरों को हाथ से निकल जाने दिया। मैं उनका यह वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। यह सही है कि जो बजट बना है उसमें इस तरह की गड़बड़ी है। उसको भी ध्यान में रखें और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है उसके आय व्यय का ठीक-ठीक संतुलन होना चाहिये। मान्यवर, इस बजट में जो प्रस्तुत है उसमें शिक्षा के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्र के शिक्षा मंत्री माननीय वी० के० आर० वी० राव ने कहा कि शिक्षा के बारे में अजीब जन भावना पैदा हो रही है। हमारे आफिसर और मंत्रिपरिषद् में जो विद्वान् मंत्री हैं वह समझते हैं कि शिक्षा को कुछ दिनों तक रोका जा सकता है और दूसरे काम किये जायं। राव साहब ने कहा कि है शिक्षा को रोक दीजिये तो वैसा ही होगा जैसे एक जानकार आदमी न हो और उसे बढ़िया से बढ़िया नुमाइशखाने में रख दीजिये तो वह विज्ञान की वस्तुओं को खिलवाड़ की वस्तु समझेगा। मैं समझता हूं कि शिक्षा के बजट पर ध्यान न देने का ही यह परिणाम है जो आज अनुशासनहीनता और नक्सलपन्थी की बात हो रही है। आज विश्वविद्यालयों में अनुशासन नहीं है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा

[श्री दीपनारायण मणि]

संविधान की धारा ४५ की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है--

"The state shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and Compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

मान्यवर, मैं आपका ध्यान वित्त मंत्री जी का इस ओर दिलाना चाहता हूं और उन्होंने कई बार इसकी चर्चा भी की है। तो जो यह संविधान का निदेश है इसके संबंध में उन्होंने क्या व्यवस्था शिक्षा के बारे में की है? आज १८-२० वर्ष हो गये हैं तो इसके क्या अर्थ होते हैं। न देश की हालत की तरफ हमारा ध्यान है और न प्रदेश की तरफ ही। जो बजट १०-१५ वर्ष पहले बनता था उसमें एक तरीका था, किसी बात पर स्पष्ट रूप से अंकित होता था उस तरह से भी मौलिक कदम नहीं उठाया गया है। इस वर्ष यह आशा थी कि एक क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया जायगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। इस प्रदेश में ५४ जिले हैं और हर जिले में माध्यमिक शिक्षा के लिए संस्थायें हैं जिनमें हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। हमारे जिले देवरिया में भी इस प्रकार की संस्थाओं में १००० से लेकर १५०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहां से निकले हुए बालक ही देश के नागरिक होंगे। उनके लिए राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और यह सरकार का पुनीत कर्तव्य है। इसमें क्या दिक्कत है। आप उनको ग्रान्ट देते हैं, अनुदान देते हैं फिर भी इस महत्वपूर्ण कदम को आप क्यों नहीं उठा रहे हैं। यह सरकार का पुनीत और आवश्यक कदम है। १८९२ में मि० वुड ने यह लिखा है कि प्राइमरी एजूकेशन को किस प्रकार से चलाना चाहिये। उनकी एक रिपोर्ट इस पर है। १८८२ में एक हंटर कमीशन बना था।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि आप मौलिक प्रश्न को लें कि अगले १० वर्ष में किस प्रकार से यह शिक्षा देनी चाहिये। आपका भाषण बहुत लम्बा हो गया है और आपको केवल १५ मिनट का ही समय दिया गया था जो समाप्त हो गया है। अब आप समाप्त करें।

श्री दीप नारायण मणि--

हंटर कमीशन ने कहा था कि प्राइमरी इजुकेशन सरकार को स्वयं चलानी चाहिये लेकिन आज यह जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं द्वारा संचालित हो रही है। इस प्रकार से शिक्षा की दुर्गति होती चली जा रही है। इस तरफ शासन और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया है जैसा कि ध्यान दिया जाना चाहिये। इस लिये मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। मैं पूर्वी जिलों के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप अपने भाषण को समाप्त कर दें।

*राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बजट पर कुछ बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं बजट पर अपने विचार रखता हूं कि जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि बजट केवल एक अवधि सामान्यतः

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक वर्ष के लिए सार्वजनिक व्यय और आय के रूप में रखा जाता है परन्तु यही नहीं वरन् वह विकास के कार्यक्रम को भी प्रस्तुत करता है। मान्यवर, इसको देखते हुए यह मालूम होता है कि इन बातों में बजट हमारा बिलकुल ही नगण्य है और उसका कोई चित्र हमको बजट में नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने इस असन्तुलित बजट के बारे में अपने विचार विस्तृत रूप में रख रहा हूं और आशा है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। मान्यवर, इस बजट के अन्दर जो सबसे पहले एक चीज देखने को मिली वह यह कि २३ करोड़ ३२ लाख रुपये का घाटा इस बजट में दिखलाया गया है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के विचार को सामने रख कर इस बजट को पेश किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बतलाना चाहूंगा कि १९६९–७० में ४८ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया गया था लेकिन वर्ष के अन्त में वह घाटा १३ करोड़ रुपये की बचत में बदल गया। इसी प्रकार से इस वर्ष भी बचत में दिखला कर जो घाटे के रूप में बजट को दिखलाया गया है, वह टट्टी की आड़ में जनता के ऊपर टैक्स लगाने का रास्ता उन्होंने दिखलाया है और वर्ष के अन्त में कह देंगे कि घाटा समाप्त हो गया और अब बचत का बजट स्पष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त इसी बजट के अन्दर ३०–३२ करोड़ रुपये जो एरियर्स के पड़े हुए हैं कलेक्ट किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि इसे घाटे का बजट क्यों बतलाया जाय। माननीय वित्त मंत्री द्वारा एक और भी संकेत हुआ है, संकेत ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि वह संकेत करों का रूप धारण कर लेगा अगले कुछ दिनों के ही अन्दर। मनोरंजन कर, कोर्ट फीस, बिक्री कर, और खाली पड़े हुए प्लाट्स पर सरकार द्वारा कर लगाये जायें। मान्यवर, जहां तक मनोरंजन कर का प्रश्न है, पिछले कई वर्षों से लगातार मनोरंजन कर में वृद्धि होती रही है और वह कर इतना अधिक हो गया है कि उस कर को और बढ़ाना उस वर्ग के साथ अन्याय होगा जो सिनेमा घरों में जाकर कभी-कभी अपना मनोरंजन कर लिया करता है। इस तरह से कर बढ़ा कर उनके मनोरंजन के साधन को आप समाप्त करने पर तुले हुए हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मनोरंजन कर बढ़ाना उस गरीब और दुखी जनता के साथ अन्याय है जो लोग कि पूरा दिन कठिन परिश्रम करने के बाद सायंकाल किसी-किसी दिन सिनेमा घरों में जाकर अपना मनोरंजन कर लिया करते हैं। ऐसा करना उन गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार ही होगा।

जहां तक कोर्ट फीस बढ़ाने की बात है, इसका भी अधिकतर भार, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनके ऊपर ही पड़ेगा। इसलिये कोर्ट फीस बढ़ाना भी उन गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है।

बिक्री-कर का जहां तक प्रश्न है, उसके बढ़ने से भी प्रदेश की गरीब जनता पर ही अधिक भार पड़ेगा। क्योंकि बिक्री कर का सीधा असर गरीब जनता पर ही पड़ता है। जो छोटी आमदनी के लोग हैं उन्हीं पर इसका असर पड़ता है।

जहां तक खाली पड़े हुए प्लाटों का संबंध है, उनके ऊपर कर बढाने की बात तो सरकार ने रखी है लेकिन इस बात को नहीं सोचा कि प्लाट्स खाली क्यों पड़े हुये हैं। जिनके प्लाट्स खाली पड़े हुये हैं उनके पास पैसे का प्रबन्ध नहीं है जिससे वे अपनी बिल्डिंग का कांस्ट्रक्शन कर सकें। इसलिये सरकार को इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिये कि उन खाली पड़े हुए प्लाट्स के लिए रुपये का प्रबन्ध किया जाय, जिससे सरकार द्वारा लोन वगैरह दिया जा सके जिससे वे अपनी बिल्डिंग बना सकें या उन पर दूसरे तरह के निर्माण कार्य हो सकें। उन पर कर बढ़ाने का असर यह होगा कि गरीब व्यक्ति उन प्लाट्स को अमीरों के हाथ स्थानान्तरण करना शुरू कर देंगे और इस तरह से वे सारे प्लाट्स अमीरों के पास ही पहुंच जायेंगे जिससे आपका जो सही उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं तो समझता हूं कि आपका जो यह बजट है वह ढोल में पोल की तरह से है।

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—]

बच्चों के लिए एक बाल कल्याण योजना चलायी गयी है जिसके लिय ३० लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। आप देखें कि पूरे प्रदेश के अन्दर प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं जिनके लिये दोपहर के भोजन का प्रबन्ध इससे किया जा सकता है। यह ३० लाख रुपया उसी प्रकार से है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इस रुपये से उन गरीब बच्चों की समस्या का कुछ भी समाधान न हो सकेगा।

टेक्निकल बेरोजगार लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में कई हजार तक है। उनके लिए १० लाख रुपये की रकम का प्रबन्ध किया गया है। इन बेरोजगार टैकनीकी लोगों के लिए १० लाख रुपया रखा गया है। इसके द्वारा इनकी बेरोजगारी समाप्त की जायेगी। मान्यवर, यह रुपया इसमें ऐसे दर्शाया गया है जसे अलादीन का चिराग जिससे सभी तकनीकी लोगों की बेरोजगारी दूर हो जायगी। श्रीमन्, इस रुपये के द्वारा केवल दो-तीन सौ व्यक्तियों को दो-तीन सौ रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाय तो वह समाप्त हो जायेगा। श्रीमन्, भारतीय सांख्यकी संस्थान के एक अध्ययन से निकाले गये आंकड़ों के अनुसार सन् ७५-७६ तक अपने देश के अन्दर १६ लाख शिक्षित वर्ग के लोग बेरोजगार हो जायेंगे। लन्दन के एक संस्थान के आंकड़ों के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का अनुमान ६० लाख का है सन् ७५-७६ तक। उस संख्या को अगर हम अपने प्रदेश के अनुपात में देखें तो हमारे यहां भी ५—६ लाख बढ़ जायेंगे। सरकार ने इन लोगों के लिये कोई योजना नहीं बनाई जिससे इनकी बेरोजगारी समाप्त हो और जो जनता के अन्दर एक आतंक है कि इन लोगों का भविष्य अन्धकारमय है वह दूर हो सके।

समाजवाद का जो नारा है सरकार का यह किसी भी वर्ग के लिए सहायक नहीं है। आज इसीलिये हड़ताल और अनशन देखने को मिल रहे हैं। यह १० लाख रुपया जो रखा गया है, बिल्कुल नगण्य है। इससे तकनीकी बेरोजगारों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यह अपव्यय है। इसमें कई करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये। तकनीकी लोगों, डिग्री होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स और आई०टी०आई० के जो लोग हैं इनके लिए उचित प्रबन्ध होना चाहिये। हमारे चौधरी चरण सिंह जी विशेष रूप से इस बात के हिमायती हैं कि धरती से भार हटाने के लिए देहाती क्षेत्र में इस प्रकार की स्कीम चलायी जाय उद्योग-धंधों की जिससे सुख-समृद्धि वहां हो सके। आज ८० प्रतिशत जनता देहातों में है और २० प्रतिशत नगरों में। लेकिन उस ८० प्रतिशत में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट करके शहरी क्षेत्र में आना चाहते हैं। देहाती क्षेत्र में जो एक वातावरण बुरा बना हुआ है वह और बुरा बनता जा रहा है। देहाती क्षेत्र में इस प्रकार की योजनायें रखनी चाहिये थीं जिनमें रचनात्मक कार्य किये जाते, जसा कि आज हमारे सामने जापान और जर्मनी का उदाहरण है। श्रीमन्, स्विटजरलैन्ड में घड़ियां बनती हैं। एक घड़ी के निर्माण में २०० परिवारों का योगदान रहता है। जब तक हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं होगी और मानोपोली समाप्त नहीं होगी जब तक हमारे यहां की समस्या का निवारण नहीं होगा। समाजवाद का नारा देने वाली सरकार की इस प्रकार की कोई योजना बजट में नहीं है।

मान्यवर, इससे पूर्व जो गुप्ता जी की सरकार चल रही थी उसने पेशा-कर की समाप्ति की घोषणा की थी। कर्मचारी उससे जितना दुखी है समाज का कोई और वर्ग शायद ही उतना दुखी होगा। यदि देखा जाय तो यह सरकार ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। यदि इस प्रकार के करों से उन्हें मुक्त किया जाय तो भ्रष्टाचार में रुकावट लायी जा सकती है। इस बजट में कहा गया है कि ३०० के स्थान पर ३५० रु० मासिक वेतन वालों से कर लिया जायेगा और उसकी पूर्ति उन कर्मचारियों से की जायेगी जिनका वेतन ८०० रुपये या उससे अधिक है। यह अन्याय है और अत्याचार है। जब तक इन चीजों का अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं किया जायगा तो लाभ नहीं होगा। इन लोगों को जो ८०० रुपया वेतन मिलता है वह सरकार की दृष्टि में बहुत अधिक मालूम होता है लेकिन उनके पास खर्चा इतना बढ़ जाता है कि उनको अपना घर खर्च चलाना कठिन हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उसको हमें देखना चाहिये

और इनको पेशा-कर से मुक्ति दिलानी चाहिये । यह सरकार इस प्रकार से इन प्रश्नों पर विचार कर रही है जैसे उसको संसार में बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है।

इसके पूर्व सेकेन्ड्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिये गारन्टी दी गई थी कि उनको मासिक वेतन यथा समय और ट्रेजरी से दिलाया जायगा लेकिन इस सरकार ने अपना इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण न रखकर यह कहकर समाप्त कर दिया कि गुप्ता सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया था और हमको सोचना पड़ेगा । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिला परिषद् के अध्यापकों की जो स्थिति हमारे जिले में हुई वह सारे प्रदेश में नहीं हुई है। ४-४ महीने तक उन गरीब अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया जिसके कारण उनको अपने यहां हड़ताल करना पड़ी । यह हमारी भावी पीढ़ी पर एक कलंक मात्र है । हम क्या आशा कर सकते हैं कि वह अध्यापक हमारे बच्चों को उन क्षेत्रों में सही शिक्षा दे सकते हैं जिनको भरपेट भोजन भी नहीं दे सकते हैं । इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं हरिजन वर्ग के लिए क्या किया गया ? इस बार गांधी शताब्दि चल रही थी । गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिये कोई बात नहीं छोड़ी जो उन्होंने उनके लिये न कही हो लेकिन मौजूदा सरकार ने हरिजन वर्ग और अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और छात्रवृत्ति संबंधी कार्यवाही के अन्तर्गत ५१ लाख रुपये की कटौती की है। हम इस सरकार से क्या आशा कर सकते ह कि उनके उद्धार के लिए यह सरकार कुछ कर रही है । जहां सरकार को बढ़ोत्तरी करनी चाहिये थी वहां उसने कटौती कर दी है । आज हमारी इस सरकार को सुविधा अधिक देने के लिए ४२ प्रतिशत हरिजन वर्ग की सुविधा प्रदान करनी चाहिये तब उनको १८ फीसदी का अवसर मिल पायेगा । लेकिन इन सब बातों को देखते हुये मुझे ऐसा जान पड़ता है कि सरकार ने उन कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है । मैं यह कहूंगा कि हरिजन वर्ग के लिए भी उसी तरह से कालेज होने चाहिये जैसे पूंजीपतियों के बच्चों के लिये कालेज आवश्यक हैं । इसी प्रकार से हरिजन छात्रों के लिये स्थान-स्थान पर कालेज खुलने चाहिये । तब इनकी बढ़ोत्तरी अनुपात में आ सकती है। इसके अतिरिक्त जो जरूरी काम थे उनके लिये कटौती कर दी गई है । शिक्षा में ४।। करोड़ रुपये की कटौती की गई है । चिकित्सा में ५ करोड़ की, कृषि में ४ करोड़ की तथा श्रम-कल्याण योजन में १३ लाख रुपये की कटौती की गई है ।

मैं आपके माध्यम से रामपुर के विषय में दो बातें निवेदन करना चाहता हूं । रामपुर जिला शिक्षा क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

आपने मुझे जो समय प्रदान किया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करने के लिये तो खड़ा हुआ हूं लेकिन जब मैं बजट के विवरण की ओर जाता हूं तो वास्तव में जिसकी मैं कल्पना करता था कि एक कर्मठ, जनसेवी और समाजवादी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत बजट में समाजवाद की झलक दिखाई पड़ेगी उसकी मैं नितांत कमी देखता हूं । मेरे कुछ साथी इससे बड़े प्रसन्न ही रहे हैं, वह प्रसन्नता की बात तो अपने ढंग से हो सकती है लेकिन अपनी बात कहने में मुझे कुछ संकोच नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । जब हम इस बजट को देखते हैं और इसके विवरण की ओर हमारा ध्यान जाता है तो केवल यही दिखायी देता है कि जो भी योजना इसमें शामिल की गई है वह किसी विशेष दृष्टिकोण से रखी गयी है, किसी मंत्री के दबाव से रखी गई है या किसी विशेष सिफारिश से वह रखी गयी है या पक्षपात के साथ वह रखी गई है । प्रदेश के पूरे चित्र को सामने रखकर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों की क्या आवश्यकतायें हैं ।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---]

मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं बांदा के कर्वी क्षेत्र का एक कार्यकर्ता हूं और वह इलाका पूरे प्रदेश में इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां सिंचाई, यातायात, चिकित्सा आदि के कोई समुचित साधन नहीं हैं। अगर कहा जाय तो कमियों का सारा भंडार वहां है और वह क्षेत्र अपने समान एक ही है। अपने यहां का उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं और मैं मंत्री महोदय से और आगे बैठने वाले महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि वह जरा स्वयं देखें और सोचें कि क्या वास्तव में उस पिछड़े क्षेत्र के साथ न्याय किया गया है? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यदि यही होता रहा कि जहां प्रभावशाली लोग हैं, सरकार के सदस्य हैं उनकी ही ओर ध्यान दिया जाता रहा तो पिछड़े क्षेत्रों की अवहेलना निश्चित है। जहां पर सड़कों का प्रतिशत अधिक है, जहां एक-एक इंच भूमि सिंचित है, जहां चिकित्सा आदि की विशेष व्यवस्था पहले से है अगर उधर ही सरकार का ध्यान जाता रहा तो पिछड़े हुये क्षेत्र को आप ऊपर कैसे उठा सकेंगे? इसका ख्याल रहना चाहिये कि इन क्षेत्रों के लोग भी इसी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं।

यह अच्छा संयोग है कि हमारे बुन्देलखंड के कुछ वरिष्ठ नेतागण मंत्रि परिषद् में हैं जो उस क्षेत्र की स्वयं यात्रा भी कर चुके हैं। पी० डब्ल्यू० डी० की एक सड़क राजापुर से कमासिन की बहुत जरूरी है वहां पर यातायात का कोई साधन नहीं है, बरसात में दस मील तक आने-जाने का कोई साधन नहीं है। उस स्थान पर श्री कमलापति जी त्रिपाठी भी गये थे और श्री जगन प्रसाद रावत जी भी वहां पर जा चुके हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यह सड़क बनेगी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वह आज भी मंत्रिपरिषद् में हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारा अनुभव तो यह हो रहा है कि बजट तो पहले ही तैयार हो चुका था और मंत्रीजी आये थे तो उन्होंने उस पर केवल फिनिशिंग टच दिया है और उसमें उनका कोई विशेष हाथ नहीं रहा और उनको बाध्य होकर हस्ताक्षर करने पड़े हैं। परन्तु यदि यही होता रहा तो कैसे काम चलेगा और पिछड़े क्षेत्रों के साथ कैसे न्याय होगा?

इसके अतिरिक्त कई बार मैंने स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहा और अनुरोध किया कि बांदा में एक सदर अस्पताल है और पूरे जिले में कहीं भी कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसके द्वारा सही मानों में लोगों की चिकित्सा हो सके। हमारे यहां राजापुर और करवी ऐतिहासिक स्थान हैं और जिनकी गिनती तीर्थ-स्थानों में है और आज के आपके चिकित्सा संचालक कभी वहां मेडिकल आफिसर रह चुके हैं। यह अस्पताल एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है लेकिन दुख है कि यह करवी का अस्पताल जो पहले बी० ग्रेड का अस्पताल था वह सन् ६५ में 'सी' ग्रेड का कर दिया गया और वहां दो की जगह एक डाक्टर कर दिया गया और उस एक डाक्टर के जिम्मे पोस्टमार्टम का काम भी कर दिया गया। वह ऐसा क्षेत्र है जहां कत्ल होना स्वाभाविक है और वहां सप्ताह में ४, ६ कत्ल हुआ ही करते हैं और वहां एक डाक्टर भी पोस्टमार्टम में लगा रहता है और उसे मरीजों को देखने की फुरसत ही नहीं मिलती। मेरा अनुरोध है कि वहां एक डाक्टर और पोस्ट किया जाय। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि इन महापुरुषों से पूंछा जाय कि कब व्यवस्था होगी और कितना समय और बीतेगा जब वहां यह व्यवस्था हो सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा कटु अनुभव है वह भी मैं निवेदन कर दूं। यहां पर १९६९ में कांग्रेस की सरकार आयी और माननीय कमलापति जी त्रिपाठी उसमें सिंचाई मंत्री हुये जो कि उस क्षेत्र से परिचित थे उन्होंने वहां पर बागें नदी से ओरा पम्प कैनाल की स्वीकृति दे दी थी लेकिन कल ही मुझे एक पत्र मिला कि उसका सर्वे कराया गया लेकिन अब इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ऐसा दिखायी देता है कि इस योजना में ज्यादा रुपया लगेगा लेकिन रिटर्न कम होगा। इस पर विचार करने के बाद नौकरशाही की यह रूपरेखा हमारे सामने आयी। इन्हें रिटर्न कैसा चाहिये। भूमि की सिंचाई करने का यह प्रदेश की सरकार व्यापार करेगी। हमारे क्षेत्र में कर्वी एक स्थान है। मैंने यह जानकारी करने का प्रयास किया कि वहां पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है। वहां पर १ इंच भी भूमि की सिंचाई का प्राविधान नहीं है। ५ साल

से वहां पर कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओला पड़ जाता है और हर साल वहां पर राज्य सरकार लाखों रुपया पीने के पानी के वितरण में व्यय करती है लेकिन फिर भी उस क्षेत्र के लिये कोई स्थायी योजना अमल में नहीं लाई गई जिससे इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके । जहां पर जिसका जैसा प्रभाव पड़ा वहां वैसा ही हो गया ।

सड़कों के बारे में, जैसा मैंने पहले कहा, एक ऐसा समय आया था जब कि मुझे सूचना मिली थी कि मेरे क्षेत्र में कुछ विशेष सड़कें ले ली जायंगी, मैंने भी कल्पना कर ली थी कि इस स्वच्छ प्रशासन में हमारे सामने यह दृष्टिकोण रहा था कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर सड़क कम हैं, उन इलाकों को प्राथमिकता दी जायगी, लेकिन उनको न देकर प्रभाव वाले व्यक्तियों के क्षेत्रों में बनायी गयी । मैं यह अवश्य आशा करता था कि ये सड़कें पिछड़े हुए इलाकों में ही बनायीं जायंगी लेकिन बजट को जब देखा तो मालूम पड़ा कि मेरे क्षेत्र के लिए सड़कों के लिए कोई प्राविधान नहीं है ।

जहां तक शिक्षा आदि की व्यवस्था है, मैं स्वयं एक अध्यापक हूं मैं अनुभव करता हूं कि आजादी के २२ साल बीतने के बाद भी हमको क्या मिला है । इस शिक्षा जगत में न जाने कितने कमीशन बैठे, न जाने कितने प्रयोग हुए लेकिन व्यवस्था में अंग्रेजी जमाने की शिक्षा प्रणाली आज भी हमारे ऊपर लदी है। पहले कम से कम गणित, भाषा तथा सामाजिक ज्ञान आदि विषयों का बालकों को ज्ञान होता था लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली ने उसे भी समाप्त कर दिया है । आज वहां पर दलिया खाने के लिए दिया जाता है जो कहीं से भीख मांग कर लाते हैं उनको बांट-बांट कर जो ईमानदार हैं, उनको भी जो रेवेन्यू कर्मचारियों की तरह से भ्रष्ट करते हैं । अब वहां पर केवल बटवारा होता है । जो रुपया शासन की ओर से जाता है, विदेशों से भीख मांगकर लाया जाता है, ऊपर से नीचे तक उसका बटवारा होता है । आज प्राइमरी शिक्षा तो बिल्कुल समाप्त ही है । अध्यापकों में असंतोष है । सब तरफ तो प्रगति हो रही है, औद्योगिक संस्थानों में उनको वेतन मिलता है, उनको बोनस मिलता है लेकिन इन अध्यापकों की एक मांग कि उन्हें ट्रेजरी से वेतन दिलाया जाय, इस ओर जितनी भी सरकारें आयीं हैं, चाहे वह एस० वी० डी० सरकार हो, चाहे माननीय गुप्ता जी की सरकार हो और चाहे वह चौधरी चरण सिंह जी की सरकार हो, किसी ने इसे कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया है । भगवान जाने कि क्या मानव बनाने वाली मशीन का लुब्रीकेशन नहीं होगा या उनको संतुष्ट नहीं किया जायगा तो कैसे प्रदेश का कल्याण होगा क्योंकि आज यह वर्ग असंतुष्ट है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और हमेशा इसको भुलावे में रखने का प्रयास किया जाता है । क्योंकि उसका भविष्य अन्धकारमय है । इन परिस्थितियों में आज प्रदेश गुजर रहा है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको आज अपनी इन पक्षपातपूर्ण नीतियों को बदलना पड़ेगा । आज प्रदेश के जिस हिस्से को जिस बात की जरूरत है उस ओर उसको ध्यान देना पड़ेगा । आज बुन्देलखंड विशेषकर बांदा अपनी समस्यायें रखता है । वहां हमेशा प्रकृति के प्रकोप होते रहते हैं । आपको वहां के निवासियों को इस योग्य बनाना होगा कि वे प्रकृति के प्रकोपों का सामना कर सकें । जो पश्चिमी जिले हैं, जहां प्रकृति के प्रकोप होते भी हैं तो वहां फसलें ऐसी होती हैं कि एक फसल बिगड़ी तो वे दूसरी सम्भाल लेते हैं । लेकिन हमें तो वे साधन नहीं हैं, वे सुविधायें नहीं हैं । आज किसान, इस प्रगति के युग में भी, चाहे वह किसी क्षेत्र का निवासी हो, पानी की बूंद-बूंद के लिए तड़पे तो इस सब की कल्पना स्वयं की जा सकती है । मैं अपने क्षेत्र की कहानी कहां तक सुनाऊं । आज इस प्रगति के युग में भी करवी और राजापुर में २५ मील के इर्द-गिर्द महिलाओं का कोई अस्पताल नहीं है । महिला चिकित्सक नहीं हैं । शहरों में तो सभी व्यवस्था की जाती है । यदि यह कठिनाई शहरों में भी रहे तो हम संतोष कर लें । शहरों में रहने वालों को अनेक सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं और उनको कोई कठिनाई नहीं हो पाती । लेकिन पिछड़े क्षेत्र के लोगों को यदि इसी तरह से परेशान किया गया तो किसी न

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—]

किसी दिन, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वह विद्रोह खड़ा होगा जिसको दबाया नहीं जा सकेगा। इन पिछड़े क्षेत्रों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता ? क्योंकि वे आपसे निष्कृष्ट हैं। आप समझते हैं कि इन ग्रामीण लोगों को जो भोले-भाले हैं बड़ी आसानी से बहकाया जा सकता है। लेकिन वह समय दूर रहा। आज अपने बांदा जिले के बारे में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि उन्हें वहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक समस्या खड़ी हो जायेगी। बांदा में ऐसे तत्व बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको रोकने के लिए उस क्षेत्र के जनमत को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा वरना बंगाल की रूपरेखा वहां भी दिखाई देने में देर नहीं लगेगी। मैं मंत्री महोदय, नेता सदन और आगे बैठने वाले मंत्रिपरिषद् के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे इस पिछड़े क्षेत्र पर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं बजट के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हम लखनऊ से अपने क्षेत्र में जाइत है तो जनता पूछत है कि सरकार कब खत्म होई। तब हम जनता को जवाब देइत है कि सरकार है ही नहीं। यदि सरकार होती तो यह चोरी, कत्ल, डकैती जो रोज पड़ति हैं काहे पड़ति। और गरीब डंडे से मारा जात है कोई पुछहाल नहीं। इसके लिये बड़े-बड़े नेता अनेक आदमी दिल्ली गये और उस सड़क पर बिहारी लाल को डंडे से मार दिहिन। आज असेम्बली के अन्दर देखित है और जनता देखित है तो पता चलत है कि अगर सरकार होति तो यह काहे इतना अत्याचार होति। मान्यवर, जब हम देहात में घूमित है और देखित है तो बाईस साल हुकूमत के अन्दर गरीब के हक में कोई चर्चा नहीं है। न गरीब अपने दरवाजे पर खटिया रख सकत है और न खूंटा गाड़ सकत है। कोई भी शिकायत किसी भी अधिकारी से करो कोई नहीं सुनता है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र कर्नेलगंज कस्बा में जहां पर हम रहते हैं १३ हजार आदमी रहते हैं। मगर वहां पर एको अस्पताल नहीं है। वहां पर एको जनाना अस्पताल नहीं हैं। हमने अखबारन में भी दिया, स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखा, हजारन प्रस्ताव पास करा कर दिये, मगर सरकार सुनने वाली नहीं है।

मान्यवर, यह उधर के बैठने वाले जो लोग हैं उन्होंने चौधरी साहब को वोट दिये हैं मगर फिर भी उनको यह शिकायत है कि उनके क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। फिर किस लिये आपने उनको वोट दिये। २२ साल की हुकूमत में सबसे बड़ा नैतिक पतन हुआ है। डाक्टर लोहिया कहते थे कि जब तक करनी और कथनी में अन्तर रहेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है। हमारे यहां बलरामपुर तहसील है, वहां पर बिजली और सड़कें हैं। जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैं बिजली और सड़कें हैं, हमारे क्षेत्र में जहां हम रहते हैं वहां एक भी सड़क पक्की नहीं है। न बिजली ही है। २०–२२ वर्ष हो गये न कोई सड़क बनी है, न पुल बना है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो पुल बनाया भी है वह किसी काम का नहीं बना है।

हमारे क्षेत्र में गरीबों को बेदखल किया जा रहा है। जो पैसे वाले हैं जिनके पास नाजायज जमीन है, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। उसके बारे में किसी से कोई भी शिकायत करो कोई सुनने वाला नहीं है। आज बड़े-बड़े लोग अपने लड़का के नाम, अपने मेहरारू के नाम हर प्रकार के खेत दर्ज कराय लिहिन हैं लेकिन हमार कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहां एक कड़ुवा मौजा है, जहां के लिए एस०डी०ओ० के यहां दरख्वास्त पड़ल, साल भर मुकदमा चला, सैकड़ों रुपया खर्च भा, लेकिन फिर भी बेदखल होय गये और एस०डी०ओ०,

तहसीलदार तथा दूसरे अफसरान सब बांट लिहिन । एक गांव ऐसा है जहां गरीब लोग गन्ना बोवत हैं और प्रधान लोग उनसे १००–१०० रुपया वसूलत हैं, लेकिन कोई सुनवाई नाई । आजकल सब तरफ भगत लोग नजर आवत हैं, ऊपर से राम राम भीतर का है ई भगवान जाने । कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क है, इसे देखा जाये । ५ आदमी के बीच मां जो बात गुजरत है उइका माना जात है, लेकिन यहां सैकड़ों आदमियों के बीच कहीं कोई बात से पलट जात है और मुख्य मंत्री जी यहां कहिन असेम्बली के अन्दर कि हम कुछ नहीं कहा है । भला इससे समाजवाद आय सकत है । ई नहीं मालूम कौन मेल का ई समाजवाद दिल्ली और लखनऊ में गावा जात है । गुप्ता जी का देखा जाये, तो पहले उइ भी वही इशारे पर चलत रहे हैं, मुला अब हम अपनी तरफ से कहिबे एक कवि वाल्मीकि जी रहें जो निरे आदमी आदमिन का ढेर ढेर कर देत रहे और जब सम्भल गये तो बाल्मीकि रामायण बनाये दिहिन । तो जब गुप्ता जी अध्यादेश जारी किहिन तो उई डाक्टर लोहिया के छोटे भाई बन गयेन ।

मेरे यहां से एक एम०एल०ए० चुनकर आये हैं । एक रोज हमारे सामने सवाल पैदा भा । का भा ? यहां असेम्बली में राज्य सभा का चुनाव हुआ । कानपुर के महाजन चुनाव में हिस्सा लिहिन और जब उई बैठत हैं तो कहत हैं कि उई इतना लये लिहिन मगर हमका इतने मिला । यही बी०के०डी० के लोग उनका ३८ वोट से जिताय दिहिन । तो इनके पास केवल नोटन का काम है दूसर कोई काम नहीं । इनका तो बस नोट चाही । कहां तक कही यदि जनता जानदार होत और जनता के बीच ई एम० एल० ए० गये होत और उनका जानकारी होत तो उई गांव वाले इनका डंडा से पीटत-पीटत अपने गांव से, बाजार से बाहर निकाल देत । लेकिन उनका जानकारी नाहीं है, उनका ई लोग हांकत हैं । चाहे इधर के लोग होयं या उधर के लोग होयं ।

इतना बड़ा घाटे का बजट प्रदेश की गरीब जनता के लिए एक अभिशाप है, सरकार के लिए एक कलंक है । यह घाटे का बजट साफ संकेत करता है कि प्रदेश की गरीब जनता पर नये-नये कर लगाये जायंगे । मान्यवर, इस बजट में प्रदेश की गरीब जनता पर कोई रहम नहीं किया गया है । गरीबों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है । बजट का कोई भी हिस्सा हरिजनों व पिछड़े लोगों के लिए विशेष सहायता और विकास का कोई निर्देश नहीं देता । हरिजनों व पिछड़े लोगों के लिए दकियानूसी बजट ही रखा गया है ।

अलाभकर जोत पर से मालगुजारी समाप्त करने का कहीं भी संकेत नहीं है । मान्यवर, इस कमरतोड़ बजट में फिजूलखर्ची पर, नौकरशाही को मजबूत करने पर और पुलिस राज्य को कायम रखने के अतिरिक्त और कोई नयी चीज नहीं है । इसमें नये-नये पदों पर जोर दिया गया है और बड़े सरकारी पदों को कायम रखने दिया गया है जिनका न तो सरकार क लिए और न जनता के लिए ही कोई महत्व है । उदाहरण के लिए मान्यवर, सह जिला विद्यालय निरीक्षक का पद सरकार के लिये केवल नाजायज खर्चा ही नहीं बल्कि दोहरा शासन कायम कर देता है । जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में कर्मचारियों में गुट बन जाते हैं । इसी तरह से बिजली विभाग में एस०डी०ओ० का पद बिना किसी आवश्यकता के रखा गया है । इसी तरह से तमाम और बहुत से पद हैं जो सरकार के खर्चे को बढ़ाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य के दो मिनट और हैं ।

श्री भगेलू सिंह—

जो छोटे मनई हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है । यहि लिये हम बजट का विरोध करित है ।

*श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे वक्त दिया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। (व्यवधान) जब आप बोलते हैं तो मैं बहुत गौर से सुनती हूं । इसलिये मेहरबानी करके, आप मेरी बात को पसन्द करें या न करें, उपाध्यक्ष महोदय के जरिये प्रार्थना करती हूं मेहरबानी करके जो मैं कहती हूं वह सुनिये । मैं समर्थन तो जरूर कर रही हूं मगर उसके साथ-साथ मुझे हैरत है कि जिस जमाने में हम लोगों ने इतना बड़ा प्रचार किया कि हम समाजवाद और प्रजातंत्र को लेकर आयेंगे, जिसकी वजह से हमने अपने भाइयों से लड़ाई लड़ी, अपनी संस्था को तोड़ा, उसके बाद ऐसा बजट आया जिसको मैं लाइफलेस बजट कहूंगी । जिसमें कुछ खास डायनेमिज्म नहीं है जिसकी हमें जरूरत थी कि जो बात बीस साल से नहीं हुई है वह इस साल हम करके रहेंगे । इसलिये हमने यह बहुत बड़ा कदम उठाया था । मैं समझती हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी जो गुप्ता सरकार में भी मिनिस्टर रह चुके हैं शायद उनके ख्यालात बदलने में देर लग रही है और जो उनके पुराने ख्यालात थे, जो पहले थे उन्हीं की बिना पर यह बजट उन्होंने पेश किया है।

मेरा खास एतराज यह है, जैसा मेरे भाई ने जो गांव से आते हैं कहा है, हम ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं वह गांव से ही आते हैं, गांवों के हजारों लोगों के सामने वादे करते चले आये हैं अपने हर एलेक्शन के वक्त हमने उनसे कहा है, तुम्हारे गांव को शहर बना देंगे, हम तुम्हारे यहां सड़कें बनवा देंगे ।

सड़कें इसलिये नहीं देंगे कि देखने में अच्छी लगें इसलिये कि जो छोटी-मोटी पैदावार होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें । उनके यहां इंडस्ट्री शुरू करवायेंगे, पानी का इन्तजाम करवायेंगे, ५ मील पर स्कूल बनवायेंगे, अस्पताल बनवायेंगे और शहर को गांव में ले आयेंगे इस तरह के वादे सरकार ने किये थे । जब मैं पारसाल इलेक्शंस के दौरान हैदरगढ़ से लखनऊ आती थी तो यहां देख कर मालूम होता था कि लंदन में आ गयी हूं । वहां गांव में सारी परेशानियां हैं । अन्धेरा है, बच्चे बीमार हैं तो दवा के लिए अस्पताल नहीं । क्यों कोई डाक्टर अथवा मास्टर वहां रहने के लिए जाय ? केवल सरकारी कर्मचारी अपने मतलब के लिए वहां जाता है। जमींदारी आपने एबालिश कर दी लेकिन वह जमींदारी आपने प्रधानों तथा पटवारी की जेबों में डाल दी । जिसको चाहा जमीन दे दी और जो जिससे चाहा लिखवा लिया क्योंकि गांव का रहने वाला अनपढ़ है । उसे पता नहीं किस चीज पर वह दस्तखत कर रहा है ? पेट भरा तो सरकारी कर्मचारियों का भरा या हम एम०एल०ए० का भरा हो लेकिन वाकया यह है कि गांव की हालत आज बद से बदतर है ।

आप हरिजन की बात करते हैं । हरिजन कहां रहता है ? वह गांव में रहता है । आप गांव की हालत दुरुस्त करिये उसकी हालत खुदबखुद ठीक हो जायगी । एक हरिजन मिनिस्टर नहीं १० हरिजन मिनिस्टर आप बना दीजिये तो मिनिस्टरों की समस्या भले ही हल हो जाय, उनके घर में भले ही आराम हो जाय लेकिन देहातों में जो हरिजन हैं, भूमिहीन हैं उनकी समस्या कैसे हल होगी ? हैदरगढ़ में हरपालपुर में एक वाकया हुआ । एक चार वर्ष का हरिजन बच्चा कुएं में डूबा हुआ मिला । किसी ने इस भरोसे पर कि जिसके यहां बच्चा न होता हो, अगर हरिजन के बच्चे की जान ले ली जाय तो उसके बच्चा पैदा हो जायगा उसने बच्चे को कुए में डाल दिया । उसके बाद गांव वाले मेरे पास आये और कहने लगे कि उनको मालूम है किसने यह किया है ? अफसोस की बात है कि एक साल हो रहा है उसके मां-बाप भी बहुत दौड़े और मैं भी बहुत दौड़ी लेकिन कुछ पता नहीं चल सका । सब चुपचाप तो कहते हैं कि उनको मालूम है लेकिन पता नहीं किसने किसको घूस दे दी कि कोई सामने आकर उसका पता नहीं देता, उसकी गवाही नहीं देता आप लोगों को खबर भी न होती अगर आज मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न कहती । ऐसे न मालूम कितने वाकयात होते हैं । तो यह है गांव की हालत । वहां न पीने के पानी का इन्तजाम है । हमारे भाई ने कहा कि हजारों गांवों के बीच में अगर इस सरकार ने दो तीन सौ गांव को पीने के लिये पानी का इन्तजाम कर भी दिया तो क्या कमाल किया ? दस हजार साल में हम इस तरह कुछ न कुछ आगे बढ़ ही जायेंगे ।

सरकार ने गरीब हरिजनों तथा भूमिहीनों को जमीन देने का वायदा किया था । आपने कहा था कि सीलिंग लायेंगे और न जाने क्या-क्या लायेंगे ? न जाने कितनी जमीनें पड़ी हुई हैं वही नहीं दी गयीं । देने के बजाय उनकी जमीनों को छीना जा रहा है । बस स्टाफ के लिये सरकार जमीन छीन रही है । मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वह दूसरी जमीन उसके नजदीक ही दे रहा है लेकिन उससे कहा जाता है कि लिखा-पढ़ी हो चुकी है । आप कौन होते हैं लिखने-पढ़ने वाले ? छीन लो बस गरीब की जमीन । आज भी झगड़ा चल रहा है और उस गरीब का कोई पुरसाहाल नहीं । यह हालत गांव में चल रही है । कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं है । यह सब देख कर जब आप गांवों के लिये पीने के पानी की बात, अस्पतालों तथा स्कूलों की बात, भूमिहीनों को जमीन देने की बात, सिंचाई के लिये सुविधा देने की बात करते हैं तो वह केवल दिखावे की बात लगती है ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षायें अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मैं कुछ सूचनायें सदन को दे दूं उसके बाद आप अपना भाषण जारी रखेंगे सूचनायें इस प्रकार हैं :—

आज मेरे पास करीब ४-५ कामरोको प्रस्ताव आये हैं जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के न होने से सम्बन्धित हैं । जैसा कि मैंने आज सबेरे कहा है कि कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकते किन्तु उसके ऊपर वक्तव्य होंगे । इस पर वक्तव्य माननीय मंत्री जी आज शाम को ५ बजे देंगे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में प्राप्त सूचनायें इस प्रकार हैं—

श्री रूपनाथ सिंह यादव का है जो कि श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा को मकान भत्ता, बस तथा रेलवे कूपन की सुविधा देने से सम्बन्धित है, इसे मैंने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इसकी जानकारी आफिस से की जा सकती है ।

दूसरा श्री रामचरण त्रिपाठी और राम पूजन पटेल का है जो कि उत्तर प्रदेश में डाल्डे की देहाती क्षेत्रों में विशेष कमी के कारण जनता में परेशानी के सम्बन्ध में है । इसे भी मैंने स्वीकार नहीं किया है क्यों कि इसमें चर्चा हो चुकी है ।

तीसरा श्री हरिवंश सहाय का है जो कि जिला देवरिया के ग्राम में ब्राह्मणों तथा हरिजनों में झगड़ा तथा बन्दूक की गोली से एक हरिजन की मृत्यु होने एवं दर्जनों के घायल होने के सम्बन्ध में है । तो यह घटना ४–५–७० की है । यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं है । इसमें अल्पसूचित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

चौथा श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी का है जो कि सीतापुर जिले में नरभक्षी लकड़बग्घों का आतंक फैला हुआ हुआ है परन्तु अधिकारियों द्वारा उनके रोक के लिये समुचित कदम नहीं उठाये जाने से

[श्री अध्यक्ष]

सम्बन्धित है। इसको मैंने उचित कार्यवाही के लिये मंत्री जी को भेज दिया है। इसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

पांचवा श्री राम वचन यादव जी का है जिसमें आजमगढ़ के थाना निजामाबाद के अन्तर्गत ग्राम गाहखोर और बीबीपुर में ५–६ मई को डकैती हुई परन्तु पुलिस द्वारा इसकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उलटे ग्रामवासियों को धमकी देने के विषय में है। इसे मैं २०–५–७० को केवल वक्तव्य देने के लिये कहा है। आजमगढ़ में बहुत-सी डकैतियां पड़ रही हैं। दोनों को मिलाकर इसमें वक्तव्य दिया जायेगा। यह नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य दिया जायेगा।

छठी सूचना श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित तथा कुछ अन्य लोगों ने दी है कि कानपुर जिले के थाना कल्याणपुर के गांव से श्री देवीदीन यादव के घर १०–४–७० की रात को भीषण डकैती, यह डकैती पुलिस अधीक्षक, श्री लक्ष्मण प्रसाद की साजिश से पड़ी है। इससे जनता में आतंक फैला हुआ है। इसमें भी अल्पसूचित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

सातवां श्री श्याम सूरत उपाध्यक्ष ने लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा के स्थगन तथा पुलिस का जमाव आदि से सम्बन्धित है। इस सूचना को मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी आज सायं अपना वक्तव्य देंगे।

आठवां श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा अन्य लोगों ने दिया है जो कि कानपुर जिला के गांव पलवाड़ा में आग से ९ व्यक्ति जल गये। इसमें वक्तव्य सरकार का हो चुका है। केवल अल्पसूचित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

और एक अन्य श्री दर्लासिंगार यादव और श्री भीमा यादव का है जो कि आजमगढ़ जिले म पुलिस की अकर्मण्यता के कारण डकैतियां, हत्यायें, अराजकता आदि के विषय में है, इसको मैंने केवल वक्तव्य देने के लिये २०–५–७० तक क्रम सं० ५ के साथ सम्मिलित करने की स्वीकृति दी है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैंने नियम ५१ में एक प्रश्न दिया था। रामस्वरूप वर्मा जी के बारें में। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है। हाईकोर्ट का स्टे आर्डर मिल जाने के कारण अब उनकी हैसियत वैसी ही हो गयी जो पहले थी। लेकिन यहां से आर्डर हुआ है कि उनको रिम्युनरेशन नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में हमें कानूनी सलाह देखनी पड़ेगी। आप मेरे कमरे में आ जायं। इस पर यहां डिसकशन नहीं होगा। वहां लीगल रिमेंम्बरेंसर होंगे, उनका मशविरा भी हमें मिल सकता है। वे बता सकेंगे कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या अर्थ हो सकता है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

सुप्रीमकोर्ट का जब आर्डर हो गया है तो उनकी केवल सेलेरी रोकी जा सकती है। सहूलियतों को आप किस प्रकार से रोक सकते हैं।

श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)—

मैंने डालडा के बारे में एक प्रश्न दिया था। काश्तकार और छोटे-छोटे मजदूरों को डालडा बिलकुल नहीं मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो प्रश्न हो चुके हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, बड़ी दिक्कत हो रही है। आजकल देहात में बहुत शादी-विवाह हो रहे हैं। वहां पर डालडा बिलकुल नहीं मिल रहा है। माननीय रामचरन जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। देहात की जनता में इसके बारे में व्यापक रोष है। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित कर दें और इस पर चर्चा के लिये कुछ समय दे दें।

श्री रामचरण—

इलाहाबाद और कानपुर में तो कुछ घी मिल भी जाता है लेकिन देहातों में उसका बिलकुल अभाव है। अब तक तो देशी घी के बजाय डालडा का लोग प्रयोग कर लेते थे अब खाद्य मंत्री जी ने उसको भी खत्म कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप उसके बारे में प्रश्न कर लीजिए।

श्री रामसूरत सिंह (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, इलाहाबाद में डालडा की बहुत कमी है। इसके पहले मैंने नियम ५१ में भी इसको दिया था। आपने उसको मंजूर नहीं किया। देहातों में बड़े शादी-विवाह हो रहे हैं हम लोगों का रास्ता चलना ही मुश्किल हो रहा है। माननीय चौधरी साहब सारे घी को खा गये। मान्यवर, आप चाहे चर्चा के लिये समय न दीजिये, आप उस पर वक्तव्य करा दीजिये।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, डाल्डा की बड़ी समस्या है। ३५–४० के भाव बिक रहा है। खाद्य मंत्री जी वक्तव्य दें या न दें, उसकी व्यवस्था करें।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, हमारे यहां मिट्टी का तेल और डालडा बिलकुल नहीं मिल रहा है। जब से बी० के० डी० की सरकार विराजमान हुई है ये दोनों चीजें बाजार से गायब हो गयी हैं। आपने अभी पेपर में देखा होगा कि वहां की एक महिला अपने पति पर इसलिए नाराज हो गयी कि उसका पति मिट्टी का तेल नहीं लाया।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो आप लोग मिट्टी का तेल और डाल्डा के बारे में कल दे दीजिये। उसके ऊपर आप वक्तव्य चाहते हैं, वह दिला दिया जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैंने और माननीय यादव जी ने कल दफा ५२ में एक सूचना दी थी जिसमें राज्य सरकार के आदेश से डाक्टर अम्बेदकर की लिखी हुई "जाति भेद का उच्छेद", सम्मान के लिये धर्म परित्राण, बौद्ध धर्म जय मंगल कार्य पद्धति, आदि वंश कथा, ये किताबें यहां किसी भी पुस्तकालय में नहीं रखी जायेंगी और न चलेंगी।

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने स्वीकार किया है लेकिन किस-किस तरह से स्वीकार किया है यह मैं कल बता दूंगा।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस वक्त बजट का भाषण चल रहा है और पुस्तकालय में आपके पढ़ने की व्यवस्था बहुत खराब है। कृपा कर के उस पर ध्यान दें ताकि यहां बैठ कर हम लोग कुछ साहित्य देख सकें।

श्री अध्यक्ष—

आपका भाषण हो चुका ?

श्री दीपनारायण मणि—

हो तो चुका है लेकिन लायब्ररी म बड़ी गड़बड़ी है । इसलिये कृपा कर के उसको वातानुकूलित बनवा दें ।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आपने यह नहीं बताया कि डालडा और मिट्टी के तेल पर कब चर्चा होगी ? आजकल डालडा की बड़ी जरूरत है । हुकूमत की तरफ से यह साजिश की गयी है कि इस तरह से कंट्रोल कर के कुछ रुपया डालडा से खींच कर एलेक्शन में लगाया जाय । पहले कहा करते थे कि यहां दूध और घी की दरिया बहायेंगे लेकिन आज बनस्पति घी भी नहीं मिलता है । तो इस पर कब चर्चा करायेंगे ?

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

सीतापुर शहर में एक साल में ५०० बच्चे लकड़बग्घा खा गये । अभी सीतापुर शहर में कोतवाली के पास तीन साल की बच्ची अपने मां-बाप के बीच में सो रही थी कि उसे लकड़बग्घा उठा कर ले गया और कोतवाली के पास खाया । इसके लिये मैंने दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सम्बन्धित मंत्री से कहा है कि इसके ऊपर उचित कार्यवाही करके इसको रोकें । यह कर दिया है मैंने ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

तो रिपोर्ट कब मिलेगी ? ये मंत्री लोग फंक्शन नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब कार्यवाही करेंगे ।

१९७०-७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत)

*श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला—

अध्यक्ष महोदय, अभी मैं कह रही थी कि हमारे ज्यादातर गांव की हालत बहुत खराब है । वहां सड़कें नहीं हैं कि गरीब आदमी जो कुछ पैदावार करता है वह इधर से उधर हटा सके । वहां तालीम की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है और देखभाल करने वाले वहां आसानी से नहीं जा सकते । आज हालत यह है कि 'ग्राम बसन्ता भूतानां, शहर बसन्ता देवानां' । मैं इस उम्मीद पर अपने वित्त मंत्री के नोटिस में लाती हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि समाजवाद और प्रजातन्त्र लाने के लिये हमारी यह सरकार आयी है । हम उनको याद दिलायेंगे कि हमारे हरिजनों की क्या हालत है, हमारे गांवों की क्या हालत है, हमारी सड़कों की क्या हालत है, हमारी पैदावार किस तरह से रुकी हुई है । आप हमको सिंचाई दीजिये, आप हमको सड़कें दीजिये, आप हमको वहां रहने के साधन दीजिये, आप हमारे लिये स्कूल और अस्पताल बनवाइये ताकि जो पढ़ाना चाहते हैं वह पढ़ा सकें, जो डाक्टर हैं वह इत्मीनान से डाक्टरी कर सकें, हमारे आने-जाने का इन्तजाम ठीक रहे ताकि बच्चे हमारे पढ़ने के लिये यूनिवर्सिटी भी जा सकें, इंटरमीडिएट कालेजेज भी जा सकें । हमारे गांव के भाई इस कदर उम्मीदों से आपके सामने बैठे हुये हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और गांव की तरक्की के लिये अपनी तमाम उम्मीदें लगाये हुये हैं। लगाये हुये हैं गुलिस्तां की तमन्ना। वह गुलिस्तां आपको देना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इसी साल में हम जो गुलिस्तां देंगे वह इस तरह का देंगे कि उनको अच्छी सड़कें मिलें, उन्हें सिंचाई के साधन मिलें, पीने को पानी मिले। तब आप देखेंगे कि किस तरह से लहलहाती हुई खेती उठेगी, मनों गल्ला जमीन पैदा करेगी, सरकार के पास इतना ज्यादा गल्ला हो जायगा कि बाहर भी भेजा जा सके। आप मुफ्त के बीज दीजिये, ३–३, ५–५ बीघे वाले किसानों को मदद दीजिये--बीज से, खाद से, पानी से, फिर देखिये हमारी जनता हमको क्या देती है। जनता से आपने वोट मांगा उसने दिया, गरमी में, धूप में सर्दियों में जनता आपके पीछे चली। आपको उन्हें कुछ देना है तब उनसे चौगुना लेने की उम्मीद कर सकते हैं।

मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं और मुबारकबाद देती हूं कि जो आपकी महिला मंडल योजना है पहले ये बहिनें इधर-उधर फिर रही थीं, कहीं उनको स्कूलों में भेज दिया, कहीं अस्पतालों में भेज दिया, गलत-सलत जगह लगा दी गयीं। इस महिला मंडल योजना से हमारे गांव को बहुत फायदा होगा और जो बच्चों की न्यूट्रीशन स्कीम उठायी गयी है उससे बराबर ऐसा गिजा और खाना मिलेगा जिससे बच्चों को फायदा होगा। महिला मंडल योजना से मुझे मालूम है कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर बहिनें बताती हैं कि किस किस्म का खाना खिलाया जायगा बच्चों को ताकि वे तन्दुरुस्त हों। जब बच्चों की सेहत अच्छी होगी, उनको सही किस्म का खाना मिलेगा तभी वे पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं और अच्छे नागरिक बन सकते हैं और मुल्क की सेवा कर सकते हैं। तभी वे गांव में सही पैदावार कर सकते हैं। हमारे पढ़े-लिखे लड़के जो वापस नहीं जाना चाहते हैं गांव में, वह इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उन्होंने शहर आकर जो वहां की खूबसूरती और चहल-पहल देखी उसमें वह सौ-सौ रुपये की नौकरी पाकर खुश हो जाते हैं और गांव की एक-एक हजार की आमदनी छोड़कर शहरों की आबादी बढ़ाते जाते हैं। बाप समझता नहीं कि क्या करें। उसके पास इतनी बड़ी जायदाद है। जब वह कहता है बेटे से कि तुम इसकी देखभाल करो तो वह कहते हैं कि अगर हम बीमार हो जाते हैं गांव में तो हमारे इलाज का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है, डाक्टर नहीं है। जबतक हम अपने बच्चों को, बीबी को अस्पताल ले जायं तो वह मर जाते हैं, तो कैसे वह गांव में रहें? तो अगर गांव में ऐसा इन्तजाम हो जाय तो हमारी सारी फैमिली प्लानिंग और सब योजनाएं आसान हो जायं। गांव में पढ़े-लिखे, एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स, अच्छे ऐग्रिकल्चर के डिग्री वाले लड़के जाकर वहां बैठें। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैदावार गांव की होगी। किस तरह से हमारे बागों का इन्तजाम हो, किस तरह से हम बांट कर खायें इसका भी इन्तजाम वहां जाकर करना है। आज क्या वजह है कि जमींदार से जमींदारी ले ली गयी, लेकिन गरीब को जमीन नहीं मिली, उसी तरह से रह गये जैसे कि पहले भूमिहीन थे। हम जमींदारों ने अपनी जमीन भी खोयी कि एक दूसरे से रिश्ता हो जायगा, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा जमीन में, वह चीज सब खाक में मिल गयी। आज गरीब परेशान हाल है, उसके पास न जमीन है न खाने को रोटी, न तन पर कपड़ा। होता यह है कि घूस लेकर जमीन किसी और को दे दी जाती है और गरीब जहां का तहां है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से बहुत अदब से दरख्वास्त करूंगी कि इन गांवों के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी यह फैमिली प्लानिंग में जो इतना रुपया खर्च हो रहा है वह कामयाब होगी। अगर यह रुपया जो खर्च किया जा रहा है वह हमारे यहां मोबाइल डिस्पेंसरी लगाने पर खर्च हो जहां पर डाक्टर जाकर काम करे और सबको राय दे तो हमारे यहां बहुत तरक्की होगी। तब आपके शहर के हजारों, लाखों लोग भाग कर गांव में चले जायंगे। आज हालत यह है कि शहरों में इतने ज्यादा लोग हो गये हैं कि न रहने को जगह है, न काम करने को कोई रास्ता, छोटी-छोटी कोठरियों में बटे हुए हैं और झक मार रहे हैं, जिनको थोड़ी तनख्वाह मिलती है, वहां वह रह कर ज्यादा से ज्यादा पैदावार करेंगे, खुली हवा में रहेंगे इससे उनकी सेहत अच्छी

[श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला---]

होगी, दिल व दिमाग अच्छा होगा अगर उनके लिये वहां इन्तजाम कर दिया जाय। मुझे यकीन है कि यह सरकार, जो मौजूदा सरकार है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हमारे बीच में समाजवाद आये और गरीबी दूर हो, न कोई अमीर रहे और न कोई गरीब रहे। सब बांट कर खायें। वह बहार आते-आते कहां रह गई ? आखिर वह बहार आयेगी मगर---

'मुद्दत से जो सोचा करते थे अब वह भी जमाना आयेगा,
हर मुश्किल अब आसान होगी हर नक्श कुहन मिट जायेगा,
अब कोई नया फितना हरगिज तसनीफ न होने पायेगा।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

आज एक विशेष परिस्थिति में मान्यवर, यह बजट हमारे सामने आया है। १९४७ के बाद हमारे इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अन्दर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। हम यह देखते हैं कि जो कांग्रेस २० वर्षों से हमारे बीच में राज करती आई है वह दो टुकड़ों में बंट गई है। प्रदेश की जनता को यह बताया गया और देश की जनता को बताया गया कि कांग्रेस के दो टुकड़े इसलिये हुए क्योंकि कांग्रेस के अन्दर सैद्धांतिक मतभेद है। एक गुट चाहता है कि समाजवाद आये और दूसरा इसमें रोड़ा अटकाना चाहता है। जिन्होंने समाजवाद लाने की बात कही, प्रदेश की जनता ने उनका स्वागत किया। प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जिस नगर में गईं जनता की तरफ से नारे लगाये गये कि---

'इंदिरा गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं।'

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

माननीय नेगी जी ने कहा कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये क्योंकि सैद्धांतिक मतभेद था। जानना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के दो.....

श्री गोविन्द सिंह---

जहां इंदिरा गांधी गईं गरीब कर्मचारियों ने और गरीब किसानों ने नारे लगाये।

'इंदिरा गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं।'

मान्यवर, इस नई रोशनी को जनता इस बजट के अन्दर देखना चाहती थी। परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह नई रोशनी इस बजट के अन्दर नहीं दिखाई पड़ती है। वह समाजवाद नहीं दिखाई पड़ता, वह नये कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते। मान्यवर, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि जो परम्परायें और जो नीतियां माननीय, श्री चन्द्रभानु गुप्त के राज्य में बनी हैं उनकी सरकार के जमाने में, आज वही नीतियां हमारे सामने आती हैं। मान्यवर, तो कहां गया वह समाजवाद, कहां गये वह नये कार्यक्रम, कहां गई वह नई रोशनी, कहां गई वह जनता की आकांक्षायें ? आज वह इस बजट के अन्दर देखने को नहीं मिलतीं। आज घाटे का बजट पेश किया गया है। मैं माननीय चौधरी साहब से भी कहना चाहता हूं, आपने भी कांग्रेस छोड़ दी। आप भी कांग्रेस के अन्दर थे। आपने कांग्रेस इसलिये छोड़ी कि आपने देखा कि कांग्रेस देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनता को आपने क्या दिया ? इस प्रदेश के किसानों को आपने क्या दिया और इस प्रदेश के मजदूरों को आपने क्या दिया ? एक बात दी है २४ करोड़ रुपये के टैक्स प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि समाजवाद आ रहा है, प्राइमरी स्कूल के मास्टर दिन रात मेहनत करने वाले मास्टर उम्मीद करते थे कि समाजवाद आ रहा है शायद मुझको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी कुछ मिलेगा। दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क भी समझते थे कि उसके भी आसू पुछेंगे, पंचायत मंत्री को उम्मीद थी उस को भी कुछ मिलेगा समाजवाद आ रहा है, नई नीतियां आ रही हैं, नई रोशनी आ रही है लेकिन वह सब दिल पर हाथ रखकर रह गये। नई रोशनी लाने की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं लेकिन पे कमीशन का जो गठन किया था उसको भी खत्म कर दिया गया है। यह आप प्रदेश की जनता को देते हैं।

मान्यवर, समझदारी क्या है? मान्यवर, वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कह चुके हैं कि थोक भाव गिर रहे हैं। मंत्री जी बाजार नहीं जाते होंगे। अपने चपरासी से पूछिये कि क्या बाजार में भाव गिर रहे हैं? किस ढंग से गिर रहे हैं? आपका जो पी० ए० है जो क्लर्क है उससे जाकर पूछिये कि बाजार के अन्दर भाव गिर रहे हैं या नहीं? किस बाजार की बात आप करते हैं? आप उस लुटेरे बाजार की बात करते हैं जहां किसानों को लूटने के लिये बड़े-बड़ आदमी बैठे हैं जो इस समय किसानों से गल्ला खरीद रहे हैं। आज से, दो महीने बाद क्या भाव होंगे? आप समझते ह कि भाव गिर रहें हैं लिहाजा आपने इंकार कर दिया और कह दिया कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का नहीं बढ़ायेंगे। मान्यवर, उड़ीसा के अन्दर एक सरकार है, स्वतंत्र पार्टी की सरकार है। हमारे इंडीकेट के भाई, बी०के०डी० के भाई, समाजवादी भाई सब लोग कहते हैं कि प्रतिक्रियावादी सरकार समाजवाद को नहीं मानती लेकिन उस सरकार ने, स्वतन्त्र पार्टी की सरकार ने जिसमें राजे महराजे लोग मौजूद हैं, उसने अपने सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता कर दिया। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आन्ध्र की सरकार, केरल की सरकार और बंगाल की सरकार, इन सबने अपने-अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते केन्द्रीय कर्मचारियों के समान कर दिये। यह आपका समाजवादी बजट है। आप समाजवाद की बात करते हैं समाजवाद का बुनियादी मकसद क्या है? समाजवाद किस वर्ग के प्रति क्या भावना रखेगा यह आपकी नीति से झलकना चाहिये था। सारा बजट मान्यवर पढ़ लीजिये लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। इस वर्ष हमारे हुकूमत के भाइयों ने भी लेनिन शताब्दी मनाई है। इसी वर्ष लेबर कमीशन की रिपोर्ट मान्यवर आई है और सरकार के सामने वह रिपोर्ट होगी।

मान्यवर, वित्त मंत्री जी एक शुद्ध समाजवादी थे और समाजवाद की जो वैज्ञानिक भावनायें हैं उन पर यकीन करते थे लेकिन उनके भाषण में, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं होता है कि इस सरकार की लेबर पालिसी क्या है? लेबर के प्रति उनकी नीति क्या है? पूरे बजट भाषण में आप देख लीजिये, बजट की पोथियां जो हैं उनमें कहीं पर स्पष्ट नहीं है कि इस सरकार की श्रम नीति क्या है, क्या उनके दृष्टिकोण हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर कुछ मान्यवर, सार्वजनकि क्षेत्र में उद्योग हैं और कुछ व्यक्तिगत क्षेत्र में हैं। हमारी बदकिस्मती यह है कि समाजवादी सरकार के गठन होने के बावजूद भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको वह भी सुविधायें नहीं मिलती हैं जो व्यक्तिगत क्षेत्र के कर्मचारियों को मिली हैं। एक यहां पर परमानेन्ट कन्सीलियेशन बोर्ड का गठन किया गया। पिछले १२ वर्षों से यह बोर्ड गठित हुआ है। ए० पी० सेन रोड पर यह बोर्ड सड़ रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। १२ सालों में जितने भी केसेज वहां पर गये हैं उन पर केवल एक है जिस पर कोई निर्णय हुआ है, यह आपकी सरकार है और यह हैं उसकी नीतियां। यह आपका दृष्टिकोंण है उन कर्मचारियों, मजदूरों के प्रति जो आपके संरक्षण में काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग हैं चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, चमड़ा और रबड़ उद्योग है हमारे प्रदेश में। सरकार की तरफ से एक वेतन मंडल गठित किया गया और वेतन मंडल ने अपनी शिफारिशें दीं हैं। हमारे प्रदेश की सरकार उन शिफारिशों को लागू करने से इन्कार करती है, आपके पास कोई उपाय नहीं है और न उसके लिये कोई कोशिश ही की जाती है। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के अन्दर १७०० व्यावसायिक संस्थानों ने बोनस बांटे थे और अब उन १७०० में से १००० से भी उपर हैं जिन्होंने बोनस देने से इन्कार कर दिया है। यह आपके राज्य में मजदूरों की हालत है, कर्मचारी वर्ग की हालत है। इस सम्बन्ध में आपकी कोई नीति स्पष्ट रूप से नहीं है और बजट में आप उसको नहीं लेते हैं।

[श्री गोविन्द सिंह–]

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हमारे प्रदेश के अन्दर कृषि उत्पादन बढ़ा है साथ ही हमारे प्रदेश में नागरिकों की आमदनी भी बढ़ी है। अगर आप इन चीजों को देखें तो हमारे यहां तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं। करोड़ों रुपया इन पर लगाया जा चुका है, अरबों रुपया फिंक चुका है और आज हालत क्या है? १९६०–६१ में इस प्रदेश में एक व्यक्ति की औसत आय २४६ रु० थी और बड़े गर्व के साथ वित्त मंत्री जी कहते हैं कि ६९–७० में प्रति व्यक्ति औसत आय २५३ रु० हो गई है। अन्दाजा लगाइये कि १० साल बीत चुके और करोड़ों रुपया बर्बाद हो चुका है परन्तु जो आमदनी बढ़ती है वह केवल ७ रु० मात्र बढ़ती है यानी १ रु० प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ोत्तरी हुई है। यह ढांचा है हमारे समाजवादी मंत्री जिस पर उनको गर्व है। मान्यवर, बताया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य की आय में से कृषि का अंशदान ६०–६१ में ७.९ प्रतिशत था और ६९–७० में यह ५६ परसेंट रखा है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि उद्योगों का योगदान ६०–६१ में १०.२ प्रतिशत था और ६९–७० में ११.५ प्रतिशत हो गया। फिर अन्दाजा लगाइये, श्रीमन्, उसकी सुनहरी तसवीर हमारे सामने रखने की कोशिश की जारही है लेकिन हम देखते हैं कि १० साल तक लगातार प्रयास करने के बावजूद, १० साल तक लगातार बिड़ला को मुफ्त दर पर बिजली देने के बावजूद, १० साल तक चीनी मिल मालिकों पर टैक्स माफ करने के बावजूद, १० साल तक कानपुर के मिल मालिकों से टैक्स न वसूल करने के बावजूद और इतनी तमाम सुविधायें देने के बावजूद हमारी पैदावार में जो हिस्सा आता है वह केवल १.३ है। हमारे प्रदेश के उद्योग की सही स्थिति यह है कि जिसके बारे में हमारे वित्त मंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं। .....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप कितना समय और लेंगे?

श्री गोविन्द सिंह—

१० मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

५ मिनट और ले लें।

श्री गोविन्द सिंह—

असलियत क्या है? असलियत यह है कि प्रदेश की जो आर्थिक समस्या है उस समस्या के प्रति हम लोग जानते हैं, सजग हैं लेकिन उसको छेड़ने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। आज कृषि क्षेत्र के अन्दर क्या है? बड़ी लम्बी चौड़ी बात कही गयी है कि हम ७५ प्रतिशत बिजली के ऊपर खर्च कर रहे हैं, सिंचाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं, खेती के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि इसके पूर्व जो भी हुकूमत कर रही हो, क्या उसने सिंचाई के ऊपर खर्च नहीं किया? क्या उसने उर्वरकों के ऊपर खर्च नहीं किया? क्या उसने पैदावार बढ़ाने के ऊपर खर्च नहीं किया? हर सरकार ने खर्च किया लेकिन बुनियादी समस्या क्या है? बुनियादी समस्या यह है कि हमारे देहाती क्षेत्रों के अन्दर, कृषि क्षेत्र के अन्दर जो उत्पादन से सम्बन्धित चीजें हैं उनमें गतिरोध पैदा हो गया, उनके सम्बन्ध में अन्तर्विरोध पैदा हो गया। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से ही हमारा नारा रहा है कि जोतने वाले का ही खेत होता है, जो हल पर काम करता है, जो मेहनत करने वाला खेतिहर मजदूर है उसको जमीन दी जायेगी, उनमें जमीन बांट दी जायेगी। हमारे प्रदेश के अन्दर कई ऐसे कानून भी बनाये गये। जमींदारी

एबालिशन ऐक्ट पास किया गया, लैंड सीलिंग ऐक्ट पास हुआ, और भी भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पास किये गये लेकिन उन कानूनों के पास करने के बावजूद आज भी काश्तकारों की समस्या क्या है, आप देख सकते हैं। क्या सरकार इमानदारी के साथ कह सकती है कि जो खेतों पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो देहातों के खेतिहर मजदूर हैं उनको जमीन मिली? क्या उन हरिजनों, मजदूरों को जमीन मिल सकी जिनके पुश्त, दर पुश्त उन खेतों के अन्दर ही काम करते-करते मर गये ? मेरा कहना है कि उनको भी जमीन नहीं मिल सकी। आज जमीनों की हालत क्या है?

बिड़ला जी हमारे देश के बहुत बड़े पूंजीपति और उद्योगपति हैं। केरल के अन्दर वे उद्योग लगाने की बात करते हैं लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर उद्योग नहीं लगाते। इस प्रदेश की खुश किस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, इस प्रदेश के अन्दर अगर कोई सबसे बड़ा जमींदार है तो वह बिड़ला जी हैं जिनके पास इस प्रदेश के अन्दर १० हजार एकड़ जमीन है। उनमें से ४ हजार एकड़ जमीन तो लखीमपुर खीरी में उनके पास है, २ हजार एकड़ जमीन अफजलगढ़ में है और २ हजार एकड़ जमीन बदायूं में है। इसी तरह से दूसरा पूंजीपति नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में प्राग फार्म है जिसके पास ढाई हजार एकड़ जमीन है। तीसरा नेवटिया जी हैं जिनके पास २ हजार एकड़ जमीन है। इस तरह से देश के जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं व हमारी जमीन हड़पे हुए हैं। दूसरी तरफ ये पूंजीपति अकेले नहीं हैं बल्कि इनके साथ सरकारी कर्मचारी हैं। छोटे कर्मचारी नहीं हैं, बड़े-बड़े कर्मचारी हैं—कमिश्नर और डी० आई० जी० के रैंक के। मैं नाम ले रहा हूं। तराई क्षेत्र में करीब ४ लाख एकड़ जमीन है, वह इसलिए रखी गयी थी कि पहाड़ों के जो सिपाही लोग हैं, जो सैनिक हैं, उसको कुछ जमीन दी जाय, उनके लिए जमीन रखी थी। लेकिन कौन चोर गया ? बड़े-बड़े अफसर, कमिश्नर। श्री रामरूप सिंह ने सैकड़ों बीघा अपने नाम या अपने परिवार वालों के नाम कर ली। श्री चूणामणि, श्री बी० आर० बोहरा ने भी सैकड़ों एकड़ जमीन ले ली। एयर मार्शल, अर्जुन सिंह सिपाही के नाम की हजारों एकड़ जमीन दबाए बैठे हैं। डी० आई० जी०, इस्लाम अहमद साहब बहराइच में एक हजार एकड़ लिये हैं। डी० आई० जी० ओंकार सिंह एक हजार एकड़ लिए हैं बहराइच में। तो इस तरह की लूट है। नक्सलपंथी की बात कही गयी। शुरूआत कैसे होती है? जब किसान देखता है कि उसकी धरती पर लूट हो रही है तो वह बगावत करता है। कानून आप पास करते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। तो वह क्या करेगा? बगावत करेगा। मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया, अगर मेहनत करने वाले को धरती नहीं मिली तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि नपाल की तराई में, लखीमपुर-खीरी में भी वही आन्दोलन हो सकता है। सरकार का गठन हुआ। माननीय चौधरी साहब ने अमीनुद्दौला पार्क में भी और राज्यपाल जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में भी घोषणा की कि ३० एकड़ की सीलिंग होगी। दो महीने का सदन चल रहा है लेकिन अभी तक जो कार्यक्रम है उसमें कहीं भी सीलिंग के बिल लाने का जिक्र नहीं है। एक तरफ ऐलान कर चुके हैं एक महीने पहले ताकि तमाम जमींदार लोग, बड़े-बड़े किसान लोग इस बात से आगाह हो जांय कि अपनी समस्या हल कर लें, अपनी जमीन को बांट दें। उसके बाद बिल आयगा भी तो उसका वही हश्र होगा जो पिछले बिल का हुआ। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, ५ मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

१० मिनट थे उसमें से ३ मिनट बाकी हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

अन क्षेत्रीय असन्तुलन की बात देखें। श्रीमन्, देश के अन्दर विघटनकारी समस्या, तेलंगाना की समस्या, मिजो और नागालैण्ड की समस्या क्यों पैदा होती है, उसका आधार क्या है ?

[श्री गोविन्द सिंह—]

विभिन्न क्षेत्रों का विकास असन्तुलित ढंग से हो रहा है । एक में विकास हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है । आज हमारे प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी ३०८ रु० है, पश्चिमी क्षेत्र की २९९ रु० है, उत्तरी क्षेत्र की २८४ रु० है, और पूर्वी क्षेत्र की २२९ रु० है । पूर्वी क्षेत्र के बारे में पटेल आयोग का गठन किया गया था । उसकी सिफारिशें सरकार के दफ्तर में सड़ रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं । हम लोगों की क्या हालत हो रही है । हमारी गरीबी का आप अन्दाजा लगा सकते हैं । दौलत की भी हमारे यहां कमी नहीं है । पर्वतों में दौलत बिखरी पड़ी है । हम केवल गंगा और यमुना का पानी ही नहीं देते हैं बल्कि बेशकीमती लकड़ी भी देते हैं, प्राकृतिक सम्पदा देते हैं । अगर बजट को देखें तो १९ करोड़ रुपये की आमदनी प्रदेश को जो जंगलात से होती है उसमें से कम से कम १० करोड़ रुपये की अकेले पर्वतों से होती है । मान्यवर, अगर प्रदेश के अन्दर प्रति व्यक्ति से औसत जो राजस्व सरकार को मिलता है वह १ रुपया मिलता है लेकिन हमारे, पर्वतीय प्रदेश से प्रति व्यक्ति से इस सरकार को १ रुपया ७५ पैसे मिलता है । लेकिन स्थिति क्या है ? जो विकास हमारे पर्वतीय प्रदेश में होना चाहिये था वह विकास आप नहीं कर रहे हैं । जो हम लोगों का हक है पर्वतों के अन्दर उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं । वहां पर पर्वतीय विकास परिषद् का गठन किया गया है । हम लोगों को उम्मीद दिलाई गई थी कि पर्वतीय विकास परिषद् से पर्वतों की समस्या हल हो जायेगी । उस विकास परिषद् के उद्घाटन के लिये यहां से गुप्ता जी मुख्य मन्त्री गये थे और नारायण दत्त तिवारी जी का भी भाषण हुआ था और फिर वहां से वापस आ गये । हालांकि आपने उसके लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की, लेकिन क्या हो रहा है । मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव आपने मुजफ्फर नगर में पास किया था कि पर्वतीय विकास परिषद् को पूरे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे तो उस पर अमल किया जाय । डुंगरसिंह जी ने बताया कि उन पर्वतीय प्रदेशों में भी उस तरह का आन्दोलन तैयार हो सकता है जिस तरह का मेघालय के बारे में तैयार हुआ है । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय प्रदान किया ।

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, मेरी कथा वहां से शुरू हो रही है या होगी जहां से मेरे मित्र की कथा, जो अभी बोल रहे थे खत्म हुई है । मैं अपने मित्र, श्री तिवारी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं सब से पहले इस बात के लिये कि उन्होंने उस बजट भाषण में बजट की व्याख्या करके हमारे जैसे सदस्यों को, हमारे जैसे मेम्बरों को यह बतलाया कि बजट क्या है । श्रीमन्, मैंने यहां पर इस बात को देखा है कि जहां हमारे वित्त मंत्री जी ने अध्यापक का भी काम किया है वहा पर मैंने यह जानने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि क्या उन्होंने नई लहर, नई धारा को जिसको उन्होंने अपने जीवन में बहुत बेहतरीन वर्षों में प्रदान किया, उस नई विचारधारा और नई लहर का इस बजट में दर्शन है या नहीं । मैंने देखने की कोशिश की कि मन्त्रिमंडल का मार्ग प्रदर्शन का कार्य वह करते हैं या नहीं, तो मुझे अत्यन्त निराशा हुई । जब यह कांग्रेस विभाजित हो गई और दो टुकड़ों में बंट गई और हमने एक नई राजनैतिक मान्यता अपने सामने रखी और पुरानी मान्यता को भंग करके तोड़ने का संकल्प किया और एक स्वप्न देखा, जब कांग्रेस की हर चीज बट गई, यहां तक कि जब हमारे नेतागण भी बंट गये तो उसके बाद यह पहला बजट था जो हमारे सामने आया । इसलिये हमने कल्पना की थी कि जिन राजनैतिक मान्यताओं को हमने अपने सामने रखा है, जिसके आधार पर हमने अपने घर को बांटा है, जिसके आधार पर हमने अपने नेताओं को बांटा है, जिसके आधार पर हमने अपनी संस्था को दो टुकड़ों में बांट दिया है उस कल्पना को, उस स्वप्न की एक झांकी हमको इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजट में मिलगी लेकिन हमको अत्यन्त खेद है कि उसकी कोई झांकी हमको इस बजट में नहीं मिलती है ।

श्रीमन्, यह कोलीशन गवर्नमेंट है । यह सरकार का गठबन्धन दो दलों का है । एक दल का शासन हमारा राजनैतिक बन्धन बतलाता है कि इस प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में अब नहीं चल सकता है । उस देश में अब एक दल का एक पार्टी का शासन नहीं चल सकता है । हम लोग वर्षों से और जब से यह देश आजाद हुआ एक कल्पना करते थे कि एक पार्टी का शासन चलेगा उसमें हमको निराशा हुई किन्तु जो अवश्यम्भावी है उसके साथ हमने समझौता किया और उसके बाद भी जो सरकार हमने बनाई और उस गठबन्धन के बाद भी और नई राजनैतिक मान्यताओं को स्वीकार करने के बाद भी, इतना विप्लव करने के बाद भी यदि राजनैतिक क्षेत्र में हम विकास की ओर न बढ़ सकें, प्रगति की ओर न बढ़ सके, अपने लक्ष्य की ओर न बढ़ सके और उद्देश्य की ओर न बढ़ पाये तो वह महान् दुख और तकलीफ की बात होगी । इस नये गठबन्धन क बाद और प्रशासन के आने के बाद एक चीज प्रतिध्वनित हुई है इस राजनैतिक ढांचे में कि मंत्रिमंडल के निर्माण में हमने कुछ चीजों की प्रतिछाया देखी है और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में कहीं भी इस गठबन्धन के अच्छे परिणाम हमें देखने को नहीं मिले । हमें बड़ी-बड़ी आशायें हुईं जब यह सरकार आई, सीलिंग की बात मेरे मित्र ने कही लेकिन वह सीलिंग उस ऊपर की सीलिंग पर अटक कर रह गई, वह जमीन पर नहीं उतर सकी । ३० एकड़ भूमि पर सीलिंग लगाने का जो संकल्प था वह खो गया, वह धूमिल हो गया, वह हमारे पास से हटकर चला गया । वह क्यों चला गया ? वह इसलिये चला गया क्योंकि आज भी निहित स्वार्थ हैं दलों के अन्दर, शासन के अन्दर और प्रशासन के अन्दर भी––जो सीलिंग को नही लाने देना चाहते, वह आसमान पर ही उसको रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह जमीन पर न आये ।

लगान की माफी का काम भी अधूरा पड़ा है । इस में हमारी कृषि नीति भी कोई स्पष्ट या सफाई के साथ दिखाई नहीं पड़ी, किसानों को सचमुच जमीन मिलने वाली है, खेतिहर मजदूरों की इस सूबे में करीब एक डेढ़ करोड़ आबादी है और आज २२ साल से वह इस बात के स्वप्न देखते थे कि कभी हमें भी जमीन मिलेगी लेकिन वह आज तक उन्हें नहीं मिली । क्षेत्रीय असंतुलन की बात मेरे मित्र ने अभी कही, उन्होंने पहाड़ों की बात कही । मैं भी उस जगह से आता हूं, उन के पहाड़ तो सहृदय हैं, वह सदय हैं, वह देश के लिये जलप्लावित कर देते हैं और वह इन्सान को सहृदय बनाने में सफल हो जाते हैं लेकिन हमारे इलाके के पहाड़ भी सूख ह वहां गरीबी है, वहां दरिद्रता हैं, वहां निर्धनता है और वहां अशिक्षा है, वहां अभाव ही अभाव है । मैंने आज से २२ साल पहले सन् ५२ में स्वर्गीय पंत जी महाराज के मंत्रि मंडल के समय कहा था, उस वक्त भी समाजवाद की बात चल रही थी, मैंने कहा था कि यह हो नहीं सकता कि सूबे का एक अंचल प्रगति करे और आगे बढ़ता चला जाय और बुन्देलखंड का क्षेत्र गरीबी, दरिद्रता, अन्धकार और निर्धनता की विभीषिका में पड़ा रहे और इस तरह से कभी भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, स्वराज्य या जनतन्त्र कायम नहीं रह सकता । यदि समानता नहीं आई तो प्रजातन्त्र का काम आगे नहीं बढ़ सकता और स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो सकती लेकिन २२ साल का समय बीत जाने के बाद भी हमें अत्यन्त दुख है, ग्लानि है कि आज मुझे यह कहना पड़ रहा है मंत्रिमंडल से और शासकों से कि यदि बुन्देलखंड की उपेक्षा हुई और वहां का सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर और आर्थिक स्तर ऊंचा न किया गया और दूसरे प्रदेश के अंचलों के समान बुन्देलखंड क लाखों प्राणियों को एक उचित आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्तर पर लाकर खड़ा न किया गया तो यह सारी समाजवाद की बात और यह बम्बई के प्रस्ताव एक कल्पनामात्र रह जायेंगे और सारे राजनैतिक स्वप्न धूलधूसरित होकर समाप्त हो जायेंगे । समाजवाद इस तरह से आ नहीं सकता । एक ओर विद्युत् की रोशनी और प्रकाश हो, एक ओर बड़े भवन और महल हों सारी जीवन की सुविधायें हों, सारे ऐशोआराम के सामान हों, और दूसरी तरफ अंधेरे का राज्य हो, निर्धनता और गरीबी का साम्राज्य हो, खाने तक का प्रबन्ध लोगों के लिये न हो तो क्या इस तरह से समाजवाद आ सकता है ? क्या उसकी कल्पना भी की जा सकती है ? आप सोचें कि

[श्री कृष्ण चन्द्र—]

इन वर्षों में बुन्देलखंड को आर्थिक, समाजिक और राजनैतिक स्तर पर प्रदेश के अनुरूप लाने के लिये क्या किया गया है ? आप कितनी शताब्दियां लेंगें उन निर्णयों के, जो आपने लिए हैं, कार्यान्वियन के लिए ?

बुन्देलखंड में कृषि नहीं हो सकती है, अधिकांश भागों में । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई रूपरेखा तैयार की है ? वहां पर सिंचाई नहीं हो सकती है । क्या वहां पर बड़े या छोटे उद्योग खुल सकते हैं ? श्रीमन्, प्रदेश की सरकार ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है । और श्रीमन्, यह सरकार ही नहीं कर रही है बल्कि जो भी सरकार सत्तारूढ़ हुयी है उन्होंने बुन्देलखंड के साथ में अन्याय किया है । जब मैंने कहा था कि बुन्देलखंड में भारी उद्योग लगाओ या झांसी में खोलो तब इस सरकार के पदासीन लोगों ने हस्तक्षेप किया और कभी वह उस उद्योग को अलीगढ़ ले गये, कभी हरिद्वार ले गये और कभी प्रयाग ले गये और आज यह सरकार बता नहीं सकती है । मैं माननीय गुप्ता जी और उनके साथियों से ही पूंछना चाहता हूं कि उन्होंने बुन्देलखंड में इन २०–२२ वर्षों में कौन-सा उद्योग खोला ? (श्री धर्मवीर की ओर इशारा करते हुए) हम शर्मा जी से पूंछ ही लेंगे लेकिन मैं आपसे और भी पूंछना चाहता हूं कि आपने गुप्ता जी को क्यों सलाह नहीं दी ? शर्मा जी को तो हम कहते ही रहते हैं लेकिन आप से भी पूंछ रहा हूं । आप तो माननीय गुप्ता जी के दायें और बायें थे । श्रीमन्, आज वहां की स्थिति क्या है । कृषि वहां पर हो नहीं सकती, सिंचाई के वहां पर साधन हैं नहीं । बिजली बन रही है माता टीला में और गयी कहां है कानपुर में या चुर्क में और बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां । जिस जमीन पर यह पावर हाउस बना है और बिजली पैदा होती है, उसके आसपास के इलाके में अन्धेरा पड़ा हुआ है । वहां पर रोशनी नहीं है, अन्धकार ही अन्धकार है । सिंचाई की सुविधा आप दे नहीं सकते, बिजली वहां पर दे नहीं, सकते तो इस प्लानलेस बजट का उद्देश्य ही शून्य है, कार्य शून्य है, प्लान शून्य है और कार्य प्रणाली शून्य है ।

श्री अध्यक्ष—

अब ५ बजने वाले हैं । कृपया अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि ५ से साढ़े ५ बजे तक लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के स्थगन के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य होगा । यदि आप बोलना चाहेंगे तो कल आपको समय मिलेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

बहुत अच्छा, श्रीमन् ।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के स्थगन के संबंध में वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)—

१२ मई, १९७० को विधान सभा में लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में उत्पन्न अव्यवस्था के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया गया था, उसके बाद की स्थिति इस प्रकार है :

१२ मई के सायंकाल लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों का एक प्रतिनिधि मंडल उपकुलपति से उनके निवास स्थान पर मिला । उपकुलपति ने उनके साथ विचार विनिमय के लिये लखनऊ मंडल के आयुक्त तथा जिलाधिकारी, लखनऊ एवं शिक्षा सचिव को आमंत्रित किया । ये अधिकारी उपकुलपति के निवास स्थान पर अध्यापकों के प्रतिनिधियों से मिले और उनकी बात के बारे में उनसे विचार विनियम किया । आयुक्त, लखनऊ मंडल ने स्थानीय अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन दिया कि परीक्षाओं में संचालन कार्य करने वाले अध्यापकों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और इस सम्बन्ध में जो और आवश्यकता होगी उसे भी पूरा किया जायेगा । उन्होंने अध्यापकों के प्रतिनिधियों से यह अपील की कि जैसा कि उपकुलपति ने प्रेस विज्ञप्ति

द्वारा सब लोगों को सूचित किया है उसके अनुसार १३ मई से परीक्षायें चालू हो जानी चाहिये और उसमें अध्यापकों का सहयोग मिलना चाहिये । किन्तु अध्यापकों के प्रतिनिधि इससे संतुष्ट नहीं हुये । उनका यह कहना था कि जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपद्रवकारी कार्य किये हैं उनके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिये । अधिकारियों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों के बीच यह वार्तालाप करीब ७ बजे सायंकाल तक चला था । इसके बाद अध्यापकों ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि वे विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षाओं में निरीक्षण न करने के अपने निर्णय को नहीं बदलेंगे । फलस्वरूप विश्वविद्यालय अधिकारियों ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं । इस स्थिति पर विचार करने के लिए आज, यानी १३ मई, के सायंकाल में विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक बुलाई गई है । परीक्षाओं के स्थगित होने के समाचार से स्थानीय अधिकारियों को यह शंका थी कि सम्भव है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कोई तत्व शान्ति भंग करें । इसकी देखभाल करने के लिये पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, साथ साथ मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये हैं । विश्वविद्यालय के प्रांगण में रात्रि भर पुलिस की गश्त चालू रही और उपकुलपति निवास स्थान पर तथा ६ अन्य ऐसे स्थलों पर जिनकी सुरक्षा आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय के प्रांगण में रहने वाले शिक्षक वर्ग जो उसके आप पास रहते हैं उनकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध कर दिया गया है । शहर में धारा १४४ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया है ।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

यह पराजय का स्टेटमेन्ट है । मिनिस्टर से हम यह चाहते हैं कि वे इन्तजाम करें ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में कुछ ऐसे विद्यार्थी रह रहे हैं जो यहां के छात्र नहीं हैं । जिनका हाईकोर्ट से भी निर्णय हो चुका है कि वे छात्र नहीं हैं । प्राक्टर ने और वी० सी० ने जिलाधिकारियों ने उनका नाम लिया है कि वे होस्टल रिक्त कर दें । वे ही विद्यार्थी उपद्रव कर रहे हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

हो सकता है । अभी-अभी मुझे विधान परिषद् में भी विधान परिषद् के सदस्य, जो अध्यापक भी हैं उन्होंने इस तरह की बात बतलाई थी । लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, कहां हैं, किस होटल में हैं । इसकी पूरी-पूरी सूचना मेरे पास नहीं है । इसकी जांच तब हम करवा लेंगे ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री ने जो सदन में पढ़ा है श्रीमन्, उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह विश्वविद्यालय का मसला ऐसा है कि जिसे सम्भवतः हमारे दो-चार साथियों ने उठाया है । ऐसा न हो कि आप उन्हीं को प्रश्न करने का मौका दें । उन सब लोगों को जिनकी इसमें अभिरुचि हो, प्रश्न करने का मौका दें ।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, जो वक्तव्य पढ़ा है मंत्री जी ने वह कोई नई बात नहीं है । जो स्थिति कल थी वही आज भी है । मालूम पड़ता है कि सरकार ने वहां की स्थिति को कि किस वजह से यह घटना घट रही है इसको जानने की चेष्टा नहीं की और न सरकार ने दिलचस्पी ली । वहां इतना तनावपूर्ण वातावरण है कि सिर्फ पी० ए० सी० तैनात करने से काम चलने वाला नहीं है । इस वक्तव्य में लिखा है कि "अध्यापकों ने कुलपति की मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया कि वे परीक्षाओं

[श्री धर्मवीर]

में जो निरीक्षण कार्य करते हैं वे नहीं करेंगे, वे अपने निर्णय पर अडिग रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अध्यापकों की मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार ने उनके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यापकों की मुख्य मांगें यह है कि जिन विद्यार्थियों ने यह काम किया है उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाय। यह कार्य उपकुलपति के करने का है। वही कर सकते हैं। कुछ यूनियन के इसमें पदाधिकारी भी हैं जिनके खिलाफ वे कार्यवाही चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी ने अध्यापकों को बुलाकर उनसे स्वयं भी बातचीत की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हमने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर बात की है। हमने कमिश्नर महोदय, शिक्षा सचिव, डी० आई० जी० पुलिस तथा जिलाधिकारियों को कहा है कि वे अध्यापकों से, वाइस चान्सलर से तथा विद्यार्थियों के नेताओं आदि से बात करके इस मसले को निपटायें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इसके मूल कारण को देखने की कृपा करें। वहां ३-४ अध्यापकों का, वाइस-चान्सलर का एक गोल है तथा बाकी प्राध्यापकों का एक है जो चाहते हैं यही व्यवस्था चले। मेरी सूचना यह है कि जिस विद्यार्थी ने नकल की थी उससे पहले भी परीक्षा में नकल की थी और उसने अध्यापक को छुरा दिखाया था। वह जब मामला प्राक्टर तथा वाइस चान्सलर के पास गया तो उस पर ५-१० रुपये का फाइन ही कर दिया गया, वह विद्यार्थी वाइस चान्सलर का कृपा पात्र होने के कारण उस पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यापकों की अब मांग है कि वे इस्तीफा दें। तो जो इसका मूल कारण है क्या मंत्री महोदय उसका पता लगा कर इस समस्या को हल करायेंगे ताकि परीक्षा हो सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इतनी विस्तृत सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन इसके हल के लिये पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये उप-कुलपति महोदय से कहा जायेगा।

श्री दीपनारायण मणि—

श्रीमन्, विश्वविद्यालय में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है। हजारों लड़कों की परीक्षा का समय है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी, जिन लड़कों ने अनुशासनहीनता की कार्यवाही की है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये वाइस चान्सलर को बाध्य करेंगे ताकि अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो सके और परीक्षायें चल सकें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो सलाह हम उनको दे सकते हैं वह दे रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वे ऐसा काम करें जिससे वहां शान्ति हो और परीक्षायें चल सकें।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

सरकार के इस वक्तव्य से जाहिर है कि विश्वविद्यालय का यह झगड़ा अध्यापकों और लड़कों के बीच का नहीं है बल्कि अध्यापकों और वाइस चान्सलर के बीच का है, तो ऐसी स्थिति

में पी० ए० सी० और पुलिस किन कारणों से लगाई गई है? और सरकार क्या पुलिस को शीघ्र वापस बुला लेगी और नगर में लगी दफा १४४ को उठा लेने की घोषणा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वहां पर विश्वविद्यालय कैम्पस में पुलिस का रखना आवश्यक समझा गया है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों द्वारा ऐसी हरकतें हुईं कि कनातें जलाई गईं तथा अन्य प्रकार के भी अशोभनीय काण्ड हुए हैं। इसकी पुष्टि माननीय सदस्यों ने भी यहां की है। तो विद्यार्थियों, अध्यापकों और यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है और उसके लिए पुलिस का वहां रहना भी जरूरी है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मूल कारण हैं, उसमें एक तो वह घटना है कि जिसमें इन्वीजीलेटर पर अटैक की घटना हुई है और दूसरी घटना वहां से प्रारम्भ होती है जबकि प्राक्टर महोदय ने सभी हेड्स आफ डिपार्टमेंट के नाम एक सरकुलर ईश्यु किया, जिसमें लिखा था कि यदि अनुशासनहीनता हुई तो उसकी जिम्मेदारी प्राक्टरल बोर्ड पर नहीं होगी ? क्या इसकी जानकारी शासन को है ? यदि हां, तो उसने सरकुलर के बारे में क्या कदम उठाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यूनिवर्सिटी में क्या सरकुलर निकले हैं, इसकी जानकारी शासन को नहीं है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, सबेरे ही मैंने एक कामरोको-प्रस्ताव आपके सामने पेश किया था और आपसे याचना की थी कि आप कामरोकों-प्रस्ताव स्वीकार कर लें, क्योंकि यह १२ हजार लड़कों का मामला है और नियम ५१ में आध घंटा की चर्चा से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, मैं इस विश्वविद्यालय का भूतपूर्व अध्यक्ष रहा हूं और रजिस्ट्रार, वाइस चान्सलर और प्राक्टर साहब से मिला हूं। आज करीब डेढ़ घंटे वहीं रहा हूं। तो श्रीमन्, आप इसके लिए २ घंटे का समय दे दें ताकि दूसरे लोग भी अपने विचार व सुझाव दे सकें और मैं भी अपनी पूरी बात कह सकूं क्योंकि यह मसला आसानी से हल होने वाला नहीं है। इसमें कई कारण उलझे हुए हैं। वाइस चान्सलर ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वह ऐसे छात्रों की सूची भेजें, जिन्होंने डबल कोर्स लिया है। चार सौ ऐसे छात्र हैं। इन लोगों को एक नोटिस दिया गया है जिसमें लिखा है कि आपने जो एम० ए० (पार्ट-१) की परीक्षा दी है वह कैंसिल की जाती है। इस बार ऐसे ५० एम० ए० (ऐंशियन्ट हिस्ट्री) के छात्र थे, उन्होंने अप्लीकेशन दी, दाखिले की और मार्च १३ को लखनऊ यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें डीन्स और हेड्स आफ डिपार्टमेंट थे, उसने ५० छात्रों को दाखिला दिया। दो अप्रैल को जब एडमिशन कार्ड मिला और परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई तो छात्रों ने विधिवत् परीक्षा दी और परीक्षा देते-देते उनको ८ बजे एक नोटिस मिलता है कि आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने डबल कोर्स लिया है—पिछले बीस वर्षों से डबल कोर्स लड़के ले रहे हैं। कोई नियम नहीं है जिससे वे विद्यार्थियों को डबल कोर्स लेने से रोक सकते। पिछले वर्ष चार सौ विद्यार्थी (४०० विद्यार्थी) बैठे थे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीश गांधी—

वहां पर एक लिस्ट रजिस्ट्रार ने बना कर दी है, वह लिस्ट बनायी जा रही है। ये सारे लड़के परीक्षा से रोके जायंगे और वीभत्स कांड होगा, खूंरेजी हो सकती है। ये परीक्षाएं जुलाई तक क्या साल छः महीने भी नहीं हो सकेंगी जब तक सरकार का जबरदस्त इंटरवेंशन न हो। ७५ प्रतिशत अटेंडेंस होनी चाहिये। यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार लेकिन जीरों अटेंडेन्स है, उनको भी परीक्षा देने के लिये अलाऊ किया गया है, पिछले वर्ष भी किया गया था। इस वर्ष

[श्री जगदीश गांधी—]

भी किया गया है और अब रोका जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी केवल वक्तव्य देकर समस्याओं का निदान करेंगे ? एक ओर छात्रों के अन्दर उद्दंडता बढ़ रही है, दूसरी तरफ अध्यापक कहते हैं कि जब तक यह विद्यार्थी निकाले नहीं जायेंगे तब तक हम परीक्षा लेने के लिये तैयार नहीं हैं। उद्दंडता फैलने का एक कारण यह है कि विद्यार्थियों को परीक्षा से रोका गया। क्या सरकार इंटरवेंशन करके समझाने की कोशिश करेगी और ऐसी कोशिश करेगी जिससे छात्र और अध्यापक दोनों संतुष्ट हो सकें और परीक्षाएं हो सकें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ी वक्तृता में वहां की बातों की बताया। वह सत्य भी हो सकती है। डबुल कोर्स में इम्तहान होता है या नहीं होता है, नियमों के अनुसार किसी को परमीशन दे दी तो नियमित हो गया लेकिन अगर किसी ने परमीशन नहीं ली डबुल कोर्स का इम्तहान दे रहा है और तरीके से, तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का काम है वह कि देख लें हर केस को मोरिट पर, उपकुलपति या यूनिवर्सिटी के अधिकारी देखेंगे। जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है उसके बारे में जानकारी हम लोग उनसे करेंगे कि इस सम्बन्ध में वह क्या कर रहे हैं।

श्री धर्मवीर—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने देखा माननीय अध्यक्ष, जितने माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये सरकार की तरफ से कोई समुचित उत्तर नहीं आया, न किसी तथ्य के विषय में जानकारी आयी। जगदीश गांधी ने जो वक्तव्य दिया और बताया उस पर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। जितने बयान आपने दिये हैं एक में भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि सरकार को इस गम्भीर स्थिति के बारे में जानकारी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसा जगदीश गांधी ने कहा है दो घंटे की इस पर चर्चा करवा दें। सरकार तैयार भी नहीं है और न रुचि ले रही है, न संतोषजनक उत्तर दे रही है। इस प्रकार समय यहां बीत जाता है। कल दो घंटे का समय दे दें। जिन-जिन लोगों को जानकारी है वह रखें।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैंने पता लगाया है, किस्सा यह है कि लड़का नकल कर रहा था। उसको जाकर मास्टर साहब ने पकड़ा। पकड़ने के बाद लिखी हुई कापी छीन ली। उसके बाद लड़के ने कहा कि कापी ले जाइये लेकिन विधान है, हम को दूसरी कापी दीजिये। लेकिन मास्टर साहब ने कापी देने से इंकार किया। जैसा बताया जाता है वहां पर मास्टरों में कुछ पार्टीबन्दी है, शायद लड़का किसी पार्टी में रहा हो। मास्टर साहेब ने इंकार किया कि दूसरी कापी नहीं देंगे। इस पर गाली-गुप्ता हुई, घूंसेबाजी हुई, छूरेबाजी हुई, पुलिस बुलवायी गयी और वह लड़का जेल में भेज दिया गया। मामला वहां से खत्म हो जाता। लेकिन प्राक्टर ने, जैसे बोरा साहब को भी उस प्राक्टर ने निकाला था, यूनिवर्सिटी से निकाला गया था तभी से यह झगड़ा चला आ रहा है। वहां की यूनियन के प्रेसीडेंट ने माफी मांगी और वह वायदा भी करते हैं कि विद्यार्थियों की तरफ से कोई झगड़ा नहीं होगा, इम्तिहान ले लिया जाय लेकिन कुछ तत्व तिल का ताड़ बनाना चाहते हैं कि प्राक्टर को मिटा दिया जाय, वाइस चांसलर को मिटा दिया जाय . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री राजितराम पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को खबर है कि बोरा जी उस यूनिवर्सिटी से निकाले गये थे, वह लड़का जेल भेज दिया गया जब कि वह लड़का कापी मांग रहा था और क्यों कि दूसरी कापी नहीं मिली इसलिये यह झगड़ा हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

राजित राम पांडेय जी ने एक सूचना सदन को दी और एक माननीय सदस्य ने दूसरी सूचना सदन को दी कि यह लड़का पहले भी निकाला जा चुका था, नकल करते हुए पकड़ा गया था और इसके साथ पहले भी रियायत की गयी थी और अब फिर पकड़ा गया। तो ये दो तरह की सूचनायें हैं।

श्री धर्मवीर—

सरकार के पास कोई सूचना नहीं इस पर मैंने आपकी व्यवस्था मांगी थी। इस प्रकार सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें। जो सूचना मेरे पास है वह मैं सदन को दे चुका हूं और वह यह कि यह लड़का नकल कर रहा था। एक टंडन साहब जो निरीक्षक थे उन्होंने उसे पकड़ा जिस पर उसने उन पर आक्रमण किया। इससे उनकी उंगली में चोट आ गयी। चोट की डाक्टरी हुई है और वह अन्डर आबजरवेशन है।

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)—

एक तरफ १५ हजार विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न है यह महत्वपूर्ण है या मास्टरों की मांग महत्वपूर्ण है और पुलिस द्वारा इस समस्या को हल किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसका हल निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन हल तभी निकलेगा जब हम और आप मिल कर इस में सहायता करेंगे।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

यह मामला काफी सीरियस है। हजारों लड़कों की जिन्दगी का सवाल है और सरकार ने पुलिस, कमिश्नर आदि के जरिये इसको हैंन्डिल करने की कोशिश की है। अगर अफसरान के जरिये इसे हैंडिल किया गया तो यह मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा हो कि स्टूडेन्ट्स, टीचर्स तथा विश्वविद्यालय सब के रिप्रेजेंटेटिव्स को सरकार बुलाये, अपने साथ कुछ और आदमियों को बिठाये और जल्दी से जल्दी उनकी राय से तय कराये। इस तरह से लड़कों की जिन्दगी के साथ गवर्नमेंट को नहीं खेलना चाहिए।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय सदस्य, इलाहाबाद ने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा और मैंने भी प्रश्न पूछा था। पिछले ६ साल से लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो प्रोक्टर महोदय हैं उन्होंने ४ प्रेसीडेन्टस को वहां से इक्सपेल किया है। मैं ही हिन्दुस्थान में केवल एक ऐसा इस यूनीवर्सिटी का प्रेसीडेन्ट था जिसने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिट जीता। मान्यवर, इतना ही नहीं, मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि ये प्राक्टर महोदय ३० मार्च तक तो प्रेसीडेन्ट के गुलाम होते हैं और ३० मार्च के बाद रिवेन्ज की भावना से उनसे इस प्रकार की हरकतें करते हैं और विपक्षी विद्यार्थियों के नेताओं को पीसने की कोशिश करते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, क्या आप भाषण सुन रहे हैं माननीय सदस्य का ?

श्री डी० पी० बोरा—

मेरे विषय में कोई बात कही जायेगी तो मैं अवश्य उसके बारे में कहूंगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पिछले ६ वर्षों से इन प्राक्टर महोदय ने भूतपूर्व ४ प्रेसीडेन्ट को इस यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया है। पिछले दो वर्षों में कुछ घटनायें ऐसी घटी हैं जिनमें अध्यापकों को पीटा गया है और इन प्राक्टर महोदय जो कि इस यूनिवर्सिटी में अवांछनीय तत्व हैं, के खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक सरकार ने नहीं की है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, यहां पर यूनीवर्सिटी के बारे में इधर से और अपोजीशन की तरफ से प्रश्न पूंछे जा रहे हैं और कुछ माननीय सदस्य भाषण भी दे रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस पर विवाद के लिये २ घंटे का समय मिलना चाहिये क्योंकि यह बहुत ही जबरदस्त घटना है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, माननीय डी० पी० बोरा ने जो कुछ कहा है। वहां पर जो घटनायें हुई हैं उसमें ऐक्ट के अनुसार जो पावर सरकार की होगी, इन्क्वायरी वगैरह बैठाने की वह कर ली जायेगी। अगर वहां ऐसी बातें हुई हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है तो वह देख ली जायेंगी और सरकार की तरफ से उन पर कार्यवाही कर ली जायेगी। अभी इस समय मुझे इनकी जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, कल इस माननीय सदन में बयान दिया गया था और हमने प्रश्न पूंछे थे। इस मसले को अवश्य तय करना होगा और क्योंकि यह १२ हजार विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है। कल यहां पर माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा था कि विद्यार्थियों की परीक्षा का कार्यक्रम चलता रहेगा किन्तु आज वे कोई निश्चयात्मक उत्तर सदन को देने में असमर्थ मालूम होते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जनाना चाहूंगा कि इन १२ हजार विद्यार्थियों की परीक्षा का जो नुकसान हो रहा है उनकी परीक्षा लेने के लिये सरकार कोई आवश्यक प्रबन्ध करायेगी ? श्रीमन्, हर एक आदमी इस पर बोलना चाहता है, आप दो घंटे के विवाद की अनुमति दे दीजिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, जैसा माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी ने कहा, मैंने कोई गलतबयानी नहीं की। मैंने तो एक लिखित वक्तव्य पढ़ा और उसमें कहा था कि उपकुलपति महोदय यह सोचते हैं कि १३ तारीख को परीक्षा होगी और उसी प्रकार से मैंने वक्तव्य दिया था।

श्री कृष्ण स्वरूप—

हमने स्पष्ट प्रश्न किया था कि क्या अध्यापकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे इनविजिलेशन करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपकुलपति महोदय को यह विश्वास था कि अध्यापक उनकी बात मान लेंगे। इसी भरोसे पर उन्होंने यह बात कही थी कि १३ तारीख को इम्तहान होंगे। उनका जो वक्तव्य था उसकी कापी भी मेरे पास है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
१३ मई, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८७ पर)

सूची

			लम्बाई (किलो-मीटर)	अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
१—मौरावां–बिहार	..	..	२०.००	१२.४४
२—परिहार रोड (४ फलांग)	..	..	१.००	१.०३
३—हरिहरगंज–गंगाघाट	..	..	३.५०	२.३०
४—सफीपुर–मियांगंज	..	..	१६.००	१०.००
५—अचलगंज–गंगाघाट	..	..	६.५०	८.५२
६—तिकोली–रावतपुर (रेलवे फीडर मार्ग)		..	१.५०	२.५४
७—मोहनलालगंज–मौरावां मार्ग	..	..	१८.५०	१३.२०
८—इलाहाबाद–उन्नाव मार्ग	..	..	११.५०	७.७७
९—काहाकालू खेड़ा	..	..	१८.००	१२.००
१०—बांगरमऊ–संडीला	..	..	१८.००	१२.४०
११—बांगरमऊ–हसनगंज	..	..	४७.००	२९.९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९ पर)

संलग्नक

		रु०
१—सर्वोदय इन्टर कालेज, गजियापुर, आजमगढ़	..	४,२६४.७५
२—जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, दुबारी, आजमगढ़	..	३,५४९.७५
३—शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ ..	..	७७.००
४—एस० के० पी० इन्टर कालेज, आजमगढ़	..	३१.५०
५—बी० आर० डी० डिग्री कालेज, देवरिया	..	७७.००
६—सन्त विनोबा इन्टर कालेज, सिपाह, आजमगढ़	..	१,५३१.२५
७—जनता उ० मा० विद्यालय, बाजार गोसाई	..	९१३.५०
८—गांधी डिग्री कालेज, मालताड़ी, आजमगढ़	..	१,३०९.००
९—गांधी इन्टर कालेज, मालताड़ी, आजमगढ़	..	८६१.०७
१०—बी० एस० बी० इन्टर कालेज, दुधरा, गोरखपुर	..	६१९.२९
११—विक्रम इन्टर कालेज, महम्मदपुर, आजमगढ़	..	७,३८६.३३
१२—नेशनल डिग्री कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर	..	६९३.००
१३—पटेल जू० हा० स्कूल, उदीहा, आजमगढ़	..	२,६४६.००
१४—सुभाष इन्टर कालेज, करखिया, आजमगढ़	..	५,८८८.५०
१५—जू० हाई स्कूल, शिवपुर, आजमगढ़	..	२,३९४.००
१६—मोती लाल नेहरू स्मारक जू० हा० स्कूल, रामनगर, आजमगढ़	..	१,०७८.००
१७—इन्टर कालेज, अमिला, आजमगढ़	..	६३.००
१८—तपेश्वरी देवी जायसवाल इन्टर कालेज, सरदहा बाजार, आजमगढ़		२८१.७५
१९—लोक शिक्षा परिषद् इन्टर कालेज, सरदहा बाजार, आजमगढ़		९४.५०
२०—हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज, आजमगढ़	..	६१.२५
२१—जनता जू० हा० स्कूल, महुला, आजमगढ़	..	१,०५०.००
योग	..	३४,८७०.४४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०४ पर)

अनुलग्नक

मेरठ जिले की नगरपालिकाओं को वर्ष १९६९–७० में दिये गये शासकीय अनुदानों का विवरण

नगरपालिका का नाम	प्रयोजन जिनके लिये अनुदान दिया गया	अनुदान की धनराशि जो दी गई
१	२	३
		रु०
मेरठ ..	(१) शिक्षा कार्यों के लिये	९,७२,५५०
	(२) परिवार नियोजन केन्द्रों के रख-रखाव के लिये	४,९०३
	(३) मोटर व्हिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ अन्तर्गत	६,१८०
	(४) अनुदान (आवर्तक) जुर्मानों से न होने वाली आय की हानि के कारण	३२,३४०
गाजियाबाद ..	(१) शिक्षा कार्यों के लिये	४,३२,८२५
	(२) सड़कों के लिये	८५,९१४
	(३) शुष्क शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में बदलने हेतु	२५,०००
	(४) जुर्मानों के बदले में	२५,६०८
	(५) फेमिली प्लानिंग केन्द्रों के रख-रखाव के लिये	७,६०८
बड़ौत ..	(१) शिक्षा कार्यों के लिये	८६,९९५
	(२) सड़कों रख-रखाव आदि के लिये ..	७३,१२८
	(३) जुर्मानों के बदले में	४,८५७
	(४) नगरपालिका के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के लिए	४६,५८६
हापुड़ ..	(१) शिक्षा कार्यों के लिए	१,८६,६५९
	(२) सड़कों के लिए	२,०६,४२८
	(३) जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत ऋण का २५% अनुदान	३७,५००
	(४) जुर्मानों के बदले में	२६,७५१

१	२	३
		रु०
मवाना ..	(१) शिक्षा कार्यों के लिये	५३,९४८
	(२) सड़क अनुदान	४८,३७६
	(३) बोर्ड के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के लिये सब्सिडी	३७,६११
	(४) जुर्मानों के बदले में	३,२९६
	(५) सफाई मजदूरों के लिये हाथ ठेली खरीदने के लिये	३,०००
	(६) सफाई मजदूरों के क्वार्टर्स के निर्माण के लिये ..	६,०००
पिलखुआ ..	(१) शिक्षा कार्यों के लिए	६८,४२१
	(२) सफाई हेतु	१,३३७
	(३) सड़क अनुदान	१,७२,९९२
	(४) गवर्नमेंट सब्सिडी (वेतन व भत्ता बोर्ड के लिये के लिए)	४९,९३५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ८०९ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९६९) के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का) तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
*५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत ग्राम अजगरा, बमनी, अकोल्हिया तप्ता पचहर में कितनी बंजर भूमि ग्राम समाज के पास है ?	५—बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत ग्राम अजगरा, बमनी, अकोल्हिया, तप्पा पचहर में क्रमशः ३८ एकड़, ९ एकड़ व ६७ एकड़ बंजर भूमि गांव सभा के पास है।

चतुर्भुज शर्मा,

राजस्व मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७४ एल० ए०—१९७१—८४५ ।